लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . .	१६९९—१७४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से १११७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ .	१७४०—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . .	१७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ .	१७७७—१८२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ .	१८२५—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३	१८४९—८२

603 LSD

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७—२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८—२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ — २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ — २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . — २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . — २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . — २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . — २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . — २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ — २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . — २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक सभा

शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुऐ]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पुर्तगाल सरकार द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

*१३०८. **श्री एस० एन० दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने उस अधम प्रचार के कुप्रभाव का प्रतिवाद करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की है जो पुर्तगाली सरकार भारत के विरुद्ध संसार के विभिन्न भागों में, विशेषकर यूरोप और अमरीका में, कर रही है कि भारत सरकार सैन्यधारी आक्रान्ता, ईसाई-विरोधी और विशेषकर कैथोलिक-विरोधी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पुर्तगाल सरकार की ओर से होने वाले ऐसे प्रचार का सरकार को बोध है। जब कि इस प्रकार के प्रचार में होड़ लगाने का हमारा कोई विचार नहीं है, हम ने विदेशों में अपने राजदूतों आदि को तथ्य सामग्री भेज दी है जिन में अपने दृष्टिकोण तथा गोआ के उत्तरदायी नेताओं के वक्तव्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि भारत के दृष्टिकोण और इस समस्या को मित्रतापूर्ण तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने की उस की इच्छा की निरन्तर सराहना की जा रही है।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत में स्थित विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार को इस विषय में पूर्ण सहयोग दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अन्य लोगों की ओर से मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री एस० एन दास : क्या इस प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य-कार्यालय में कोई विशेष प्रयत्न किया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रतिक्षण प्रत्येक स्थान पर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार ने कैथोलिक नेताओं के वक्तव्यों का कि सरकार कैथोलिक-विरोधी नहीं है, यथोचित प्रकाशन व प्रचार किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, श्रीमान्, यह किया गया है।

विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिकर

*१३०९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतरिम क्षतिपूर्ति योजना के अधीन ३० नवम्बर, १६५४ तक प्रतिकर के भुगतान के लिये कितने प्राथनापत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उक्त दिनांक तक कितने विस्थापित व्यक्तिओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया था ; और

(ग) आगे किस श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र मांगने का विचार है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) लगभग १,६३,००० ।

(ख) २४,७२० ।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास) अधिनियम, १६५४ की धारा ४ के अनुसार अब कोई प्राथमिकता-श्रेणी नहीं बनाई जायेगी, और इसके अनुसार अवशिष्ट दावेदारों से ३० जून, १६५५ तक क्षतिपूर्ति-प्रार्थनापत्र मांगने होंगे, प्रार्थनापत्र किसी राज्य या राज्यों के समूह में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों से मांगे जायगे । यह प्रश्न कि कुछ राज्यों में रहने वाले अवशिष्ट दावेदारों से अब प्रार्थनापत्र मांगे जायें विचाराधीन है ।

सरदार हुक्म सिंह : वर्तमान योजना के अनुसार लगभग किस दिनांक तक अन्तिम दावेदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान होने की आशा है ?

श्री जे० के० भोंसले : मोटे तौर पर तीन वर्ष में । परन्तु हमें आशा है कि इस से पहिले ही हो जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या में इस के पृथक पृथक आंकड़े जान सकता हूं कि कितना भुगतान नकदी में किया गया है और कितना सम्पत्ति के रूप में ?

श्री जे० के० भोंसले : नकदी के मेरे पास पृथक पृथक आंकड़े हैं, परन्तु सम्पत्ति के नहीं । में यह भी बता दूं कि समूची सम्पत्ति तथा लोगों की सम्पत्ति का समायोजन मेरे आंकड़ों में सम्मिलित है जो इस प्रकार है :—

दिल्ली	३,१०,३०,२६२
बम्बई,	१,३१,७८,४३०
जालंधर	१,७७,३३,७६५
अजमेर	१६,२७,७२३
भोपाल	१२,२५,६७१
योग	६,४७,७६,१५१

सरदार हुक्म सिंह : जनता के समक्ष अन्तरिम योजना प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने कुछ आशा दिलायी थी कि सम्भव है कि अन्तिम योजना अन्तरिम योजना से आगे निकल जाये और अन्तरिम योजना अन्तिम योजना में मिला दी जाये । क्या वह वक्तव्य अब भी सच है और क्या हम निकट भविष्य में अन्तिम योजना की आशा कर सकते हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह सच है इस पर सरकार बड़े सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

हीराकुंड और भाखडा नांगल में विद्युत शक्ति

*१३१०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १६ फरवरी, १६५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८६ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये

विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीराकुड और भाखड़ा नांगल संयंत्रों से बिजली के उपयोग के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या बिजली के उपयोग के लिये योजना आयोग द्वारा बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि यह जो प्राइवेट प्लांट लगाए जा रहे हैं या यह जो मिलें लगाई जा रही हैं उन को जो बिजली दी जाएगी वह किस रेट से दी जायगी और जो सरकारी मिलें लगाई जायेंगी उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि योजना आयोग द्वारा बिठाई गई है उन को जो बिजली सप्लाई की जायेगी वह किस रेट से सप्लाई की जायगी ?

श्री हाथी : यह बिजली अलग अलग रेट्स पर सप्लाई की जाती है, लेकिन अल्युमीनियम के बारे में दरें कम हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं यह पूछना चाहता हूं कि कमेटी ने जो सिफारशें की हैं उन को मंजूर करने के बाद और प्लांट्स के लग जाने के पश्चात् भाखड़ा नांगल में कितनी ऐसी बिजली बच जायगी जो कि उपयोग नहीं हो पाएगी और उस बिजली का क्या किया जाएगा ?

श्री हाथी : १९५७ तक बिजली का पूरा पूरा उपयोग होने लग जायगा ।

श्री भक्त दर्शन: पिछले अधिवेशन में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि भाखड़ा नांगल की बिजली के रेट्स अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने पश्चिमी ज़िलों के लिये उसे लेने से इनकार कर दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि अभी भी वही स्थिति है या उत्तर प्रदेश की सरकार अब रज़ामंद हो गई है ?

श्री हाथी : यू० पी० सरकार का विचार है कि रिहांड डैम पूरा होने वाला है और उस में से उस को बिजली मिल जायगी ।

श्री काशलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि गंगवाल पावर हाउस वर्क करने लग गया है, अगर नहीं तो यह कब चालू हो जाएगा ?

श्री हाथी : अभी तो शुरु नहीं हुआ है । २ जनवरी को इस का उद्घाटन होने वाला है ।

रेडियो श्रवण का नमूना सर्वेक्षण

*१३११. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २१ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के श्रोता गवेषणा एककों द्वारा किये गये रेडियो श्रवण के नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार हो गयी है ;

(ख) क्या दिल्ली के नागरीय क्षेत्रों का भी ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् । क्षेत्र-कार्य समाप्त हो गया है । परन्तु अभी आंकड़ों की तालिकायें

बनानी हैं और प्रतिवेदन तैयार करना है।

(ग) ऐसा नमूना सर्वेक्षण प्रयोगात्मक होते हैं और उन पर आधारित कोई भी प्रतिवेदन रेडियो अधिकारियों के लिए एक साधारण संकेत होता है कि वे कार्यक्रम में सुधार के लिये प्रयोगात्मक रूप से आगे और कौन सा परिवर्तन करें। यह आकाशवाणी के अधिकारियों के लिये गुप्त रूप से प्रयोग के लिये होता है और प्रतिवेदन की प्रतियां लोक-सभा पटल पर नहीं रखी जा सकतीं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सर्वेक्षण किन्हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया गया था या उस समय के लिए उन व्यक्तियों को भर्ती किया गया था ?

डा० केसकर : मैं नहीं जानता कि "प्रशिक्षित" व्यक्तियों से क्या अभिप्राय है। इस कार्य का अधीक्षण श्रोता गवेषणा अधिकारी ने किया था जो श्रोता गवेषणा कार्य का संचालन कर रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि अन्य व्यक्ति भी, जिन्होंने उस के अधीन कार्य किया था, इस कार्य के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित थे या नहीं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस के लिये कोई प्रश्नावली जारी की गयी थी और क्या उस प्रश्नावली की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा सकती है ?

डा० केसकर : मेरा ख्याल है कि एक प्रश्नावली जारी की गयी थी, किन्तु इस समय मेरे पास इस की प्रति नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्री महोदय सर्वेक्षण द्वारा विदित हुई श्रोताओं की रुचि का कुछ वर्णन कर सकते हैं ?

डा० केसकर : जब अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा और जब केन्द्र के लोग यह निश्चय करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की जाय, तब यह बताने का समय होगा कि सर्वेक्षण के समय श्रोताओं ने क्या विचार प्रकट किये थे।

दामोदर घाटी निगम

*१३१२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने यह तरीका अपना रखा है कि न्यूनतम टेंडर देने वाले को काम नहीं दिया जाता बल्कि न्यूनतम टेंडर की दर पर ही काम को कई ठेकेदारों में बांट दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम सामान्यतया न्यूनतम टेन्डर देने वालों को ही काम देता है बशर्ते कि उनमें अपेक्षित अनुभव और नियत समय में सफलता पूर्व : कार्य करने का सामर्थ्य हो। जब यह समझा जाता है कि न्यूनतम टेन्डर देने वाले के पास काम को नियत समय पर समाप्त करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं तो काम का कुछ भाग अन्य टेन्डर देने वालों को भी न्यूनतम टेण्डर की दर पर ही दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया का सहारा लेने के निम्न कारण हैं :

(१) काम की अत्यावश्यकता और

(२) न्यूनतम टेण्डर देने वाले की नियत समय में काम समाप्त करने की असमर्थता।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में इस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया ?

श्री हाथी : १९५३-५४ में ऐसे कुछ मामलों की संख्या जिनमें पूरा काम न्यूनतम

टेण्डर देने वालों को न दे कर कई ठेकेदारों में बांट दिया गया था, २२ थी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में न्यूनतम टेण्डर देने वालों को दण्डित किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : नियत समय में काम पूरा न कर सकने पर ?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : कोनार बांध के बारे में बम्बई के एक व्यापारिक सार्थ को की गई अधिक चुकौती के मामले में क्या हुआ ? उसकी स्थिति किस प्रकार है ?

श्री हाथी : वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । पर अभी स्थिति वैसी ही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को पता है कि न्यूनतम टेण्डर देने वाले को ठेका न देने की प्रणाली से ठेकेदारों की प्रतियोगिता प्रवृति समाप्त होती जा रही है ?

श्री हाथी : सामान्यतया ठेके सब से कम टेण्डर वालों को दिये जाते हैं परन्तु जब यह पता चले कि ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है या वे निश्चित काल में काम समाप्त नहीं कर सकते तो ठेके, कम से कम टेण्डर की दरों को ध्यान में रखते हुये अन्य ठेकेदारों में बांट दिये जाते हैं ।

नेपाल बाढ़-पीड़ित

*१३१३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल बाढ़-पीड़ितों के लिये कोई अंशदान भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो दिया गया अंशदान कितना और किस प्रकार का है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस मामले में तरह तरह की सहायता दी है । नैपाल सरकार की तरफ से जब हमारे पास सूचना आई थी तो हमने यह मदद दी थी :

१. त्रिभुवन राज पथ की मरम्मत के लिये	८०,००,००० रुपया
२. और जो वहां बाढ़ से नुकसान हुआ उसके लिए	६८,००,००० रुपया
३. प्रधान मंत्री कोष से	२५,००० रुपया
४. जो हमारे काठमांडू में राजदूत हैं उनको दिया गया ताकि वे उन लोगों को सहायता पहुंचावे जिनको जरूरत समझी जाय	३५,००० रुपया
५. दो मेडीकल टीमें नैपाल तराई को भेजी गयी	४०,००० रुपया
६. एक वैटेरीनरी टीम नैपाल को मवेशियों के इलाज के लिए भेजी गयी	२,५०० रुपया

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के गरीब लोगों को कुछ कपड़ा और जाड़े का ओढ़ना दे कर अब भी सहायता कर सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो आम तौर से वहां की हुकूमत ही करती है । यह काम उन्हीं के जरिये से होता है । मान लीजिए हम अपने भारत में बिहार को अपने खर्च से सहायता देते हैं तो वह सहायता सैंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं देती, वह सहायता बिहार सरकार के मार्फत दी जाती है । तो यह काम वहां की हुकूमत का है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को यह मालूम है कि हम नैपाल को जो सहायता देते हैं उस का वहां पर ठीक से प्रचार नहीं होता और नैपाल वालों को यह नहीं मालूम होता कि भारत सरकार नैपाल को क्या सहायता दे रही है, और वहां एक पार्टी है जो हम लोगों के खिलाफ कार्य कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उस में बहुत कुछ सत्य है । लेकिन इस में आप देखेंगे कि जो कुछ हम ने दिया है वह सड़कों की मरम्मत के लिये है और उस काम को हमारे इंजिनियर वहां कर रहे हैं और हम ने कुछ डाक्टर वगैरह भेजे हैं वह भी अपना काम कर रहे हैं । कोई रुपये की बड़ी रकमें वहां नहीं दी गयी हैं ।

कीनिया में भारतीय

*१३१५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि एशियाई लोगों को सामान्यतया और व्यापारों को विशेषतया कीनिया को विकसित करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता;

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि इन लोगों को कृषि सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें नहीं दी जातीं जिस के कारण उन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन मामलों में क्या पग उठाने का विचार है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि कीनिया में बहुत कम एशियाई लोगों के पास कृषि भूमियां हैं, तथापि नागरिक क्षेत्रों में उन की व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाएं हैं । व्हाइट हाइलैंड्स में सभी सर्वोत्तम कृषि भूमि केवल यूरोपियन बसने वालों के लिये सुरक्षित है । तथापि उपनिवेश के व्यापारिक जीवन में एशियाई लोगों का, विशेषकर भारतीयों का, प्रमुख स्थान है । सरकारी कार्यालयों में और व्यापारिक संस्थाओं में, अधिकतर क्लर्क भी भारतीय हैं और अधिकतर कारीगर और प्रवीण कर्मचारी भी भारतीय हैं । वहां के भारतीयों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कीनिया की सरकारी सेवा में भारतीय कितने प्रतिशत हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे कुछ मालूम नहीं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कीनिया में भारतीयों के पास कुल कितने एकड़ भूमि है ?

राज्य उद्योग और निजी उद्योग

*१३१६. **श्री गिडवानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस भाषण की ओर आकृष्ट हुआ है जो कि बम्बई में उद्योग संस्था के अध्यक्ष ने इस बारे में दिया था कि सरकार की उन उद्योगों को चलाने की प्रवृत्ति है, जिन्हें निजी उपक्रम द्वारा चलाया जा रहा है ;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जिन में इस प्रकार दोहरी व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या राज्य उद्योगों और निजी उद्योगों दोनों का उत्पादन बाजार में बेचा जा सकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां । माननीय सदस्य के प्रश्न के फलस्वरूप ।

(ख) यदि किसी विशिष्ट प्रकार के माल के लिये वर्तमान मांग तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली मांग वर्तमान उद्योगों द्वारा पूरी की जा रही हो, तो सामान्यतया सरकार नये उद्योग नहीं चलाती । अतः सरकार प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दे सकती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिडवानी: क्या सरकार यह कह सकती है कि नये उद्योग चलाने से निजी उपक्रम द्वारा चलाये जाने वाले निजी उद्योग बंद नहीं हो जायेंगे और इस तरह उन क्षेत्रों में जिन में ये उद्योग चल रहे हैं, बेकारी नहीं पैदा होगी ?

श्री कानूनगो : यदि वर्तमान उद्योग उत्पादनक्षमता के अनुसार नहीं चल रहे या किसी अन्य कारण से उन का उत्पादन पर्याप्त नहीं है, तो क्या किया जा सकता है ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या सरकार ने राज्य उद्योगों में पैदा होने वाली और निजी उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तुओं के उत्पादन व्यय की तुलना की है ?

श्री कानूनगो : जी हां । यह लगभग बराबर है ।

अभ्रक उद्योग

१३१७. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन संकल्पों की ओर दिलाया गया है जो कि अक्टूबर १९५४ में गिरिडीह में बिहार व्यापारी सम्मेलन ने पारित किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संकल्पों में उल्लिखित विदेशी हितों की कार्यवाहियों की, जिन से अभ्रक उद्योग को बहुत हानि पहुंची है, कोई जांच की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) : (क) जी हां । सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई थी ।

(ख) सम्मेलन ने बिहार सरकार से यह सिफारिश की थी कि वह केन्द्रीय सरकार से यह कहे कि विदेशी विशेषज्ञों को दिये गये विकास परमिट रद्द कर दिये जायें, या उन की अवधि की समाप्ति के बाद उन का नवीकरण न किया जाये । भारत सरकार को इस विषय में राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । राज्य सरकार से सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में अपनी राय देने के लिये प्रार्थना की गई है ।

श्री भागवत झा आजाद : इन संकल्पों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इस मामले पर विचार करने के लिये उद्योग के और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

श्री करमरकर : जब तक हम इस प्रकार के सम्मेलन की आवश्यकता को अनुभव न करें हमारे सम्मेलन बुलाने का कोई विचार नहीं । जैसा कि मैं ने कहा है, इस बीच हम बिहार सरकार की राय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सरकार की नीति नहीं है कि उन व्यापारों में जिन में किसी टेक्निकल या वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती विदेशियों को प्रवेश न करने दिया जाये ?

श्री करमरकर : साधारणतया हमारी नीति यही है । आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में, हमें नये विदेशियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये । किन्तु यह उन विदेशियों पर लागू नहीं होगा जो कि पहले से इस क्षेत्र में हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या ये विदेशी फर्में भारतीय निर्यातकों की दरों की अपेक्षा निम्नतम दरों पर अग्रक निर्यात करती हैं और इस तरह भारत की डालर आय में कमी करती हैं और केन्द्रीय तथा राज्यों के कर भी कम देती हैं ?

श्री करमरकर : नहीं, यह हमारी जानकारी नहीं है । १९५४ के शुरू में जांच करने से मालूम हुआ था कि ५० प्रमुख निर्यातकों में से केवल एक अभारतीय है और इस का व्यापार प्रमुख निर्यातकों के व्यापार का ६ प्रतिशत है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार इन आरोपों की जांच करेगी कि ये विदेशी हित जिन्हें कुछ मामलों में राज्य सरकारों के इनकार के बावजूद केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस दिये गये हैं, आयकर नहीं देते और उचित संतुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं करते ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में इस समय इस प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं किन्तु यदि कभी आवश्यकता हुई तो हम जांच करेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य उठे—

ब्रिटेन से कपड़े का आयात

*१३१८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन से सूती कपड़ा आयात करने के लिये अब जो खुले लाइसेंस दिये जाते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या ब्रिटेन से कपड़े का आयात बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां तो वृद्धि कितनी हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में ब्रिटेन को कोई और रियायत देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). ब्रिटेन सहित सभी देशों से भारत में सूती कपड़े के आयात पर से १२ सितम्बर, १९५४ से कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिये गये थे । इसके परिणामों का आंकना अभी संभव नहीं है ।

(ग) सभी देशों में आयातों पर प्रतिबन्धों में ढील दी गई थी और यह जहां कहीं भी संभव हो वहां यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठाने की सामान्य नीति का एक अंग था और यह कार्यवाही किसी देश विशेष को रियायत देने के लिये नहीं की गई थी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १९५३ और १९५४ में भारत से ब्रिटेन को कितना कपड़ा निर्यात किया गया है ?

श्री कानूनगो : १९५३ में भारत में ५१·९ लाख गज कपड़ा आयात किया गया था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं निर्यात जानना चाहती हूं ।

श्री कानूनगो : निर्यात १९५३ में २०३·५ लाख गज था और १९५४ में ३१ अगस्त तक १७२·४ लाख गज था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार बता सकती है कि भारत से ब्रिटेन को जो कपड़ा निर्यात किया जाता है, उस में ग्रे कपड़ा कितना होता है ?

श्री कानूनगो : यह अधिकांशतया ग्रे कपड़ा होता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि ब्रिटेन से कपड़े का आयात बढ़ा दिये जाने के बावजूद, भारतीय कपड़े के विरुद्ध आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ और इंगलैंड के बोर्ड आफ ट्रेड के अध्यक्ष को अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन किये जा रहे हैं ।

श्री कानूनगो : जी हां ।

श्रीमती मायदेव : क्या यह सत्य है कि भारत से ब्रिटेन को निर्यात किया गया कपड़ा वहां बनाये गये कपड़े से सस्ता बिकता है ?

श्री कानूनगो : कुछ प्रकार सस्ते बिकते हैं, किन्तु ब्रिटेन में जाने वाला अधिकांश कपड़ा पुन: निर्यात कर दिया जाता है ।

कपड़ा उद्योग

*१३२१. **श्री संगण्णा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में नकली रेशम और सूती कपड़े के मामले में जो प्राधान्य प्राप्त हैं, क्या उस का भारत के कपड़ा उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). अनुमानतया माननीय सदस्य का निर्देश निर्यात मंडियों में जापानी प्रतिस्पर्धा की ओर है । इस प्रतिस्पर्धा के बावजूद इस वर्ष हमारा कपड़े का निर्यात संतोषजनक रहा है ।

श्री संगण्णा : कपड़े के निर्यात से विदेशी मुद्रा को कितनी आय हुई है ?

श्री कानूनगो : मेरे पास मूल्य सम्बन्धी सूचना नहीं है । मैं मात्रा बता सकता हूं । १९५३ में यह ६,२७० लाख गज मिल का कपड़ा था और ६३० लाख गज हाथकर्घे का कपड़ा था ।

श्री एन० एम० लिंगम : जापान के गैट में सम्मिलित होने से हमारे कपड़े के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कानूनगो : हमारे विचार में इस का कोई अधिक प्रभाव नहीं होगा ।

होनेमरड़ परियोजना

*१३२२. **श्री केशवैयंगार** : क्या योजना मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस के पश्चात् होनेमरड़ परियोजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के विषय में कोई विनिश्चय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : नहीं, श्रीमान् । परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन नवम्बर, १९५४ में प्राप्त हुआ था और उस का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री केशवैयंगार : इस तथ्य को सामने रखते हुए कि देश में विद्युत् का यह सब से सस्ता संसाधन है और इस से पैदा होने वाली बिजली से बम्बई, आंध्र, मद्रास और कुर्ग, पड़ौसी राज्यों की मांग पूरी की जा सकती है और इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि मैसूर की स्वीकृति शिमशा परियोजना को रोक दिया गया है और उस के लिये दिया गया ३ करोड़ रुपया वैसे ही पड़ा हुआ है, क्या सरकार का इस विषय में तुरन्त कोई विनिश्चय करने और होनेमरड़ परियोजना के निर्माण का कार्य प्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में ही आरम्भ करने का विचार है ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गयी शिल्पिक समिति इन सब बातों पर विचार करेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विषय की जांच की जा रही है । क्या शिल्पिक समिति यह जांच कर रही है या हाथी समिति ?

श्री हाथी : शिल्पिक समिति इस की जांच कर रही है ।

श्री केशवैयंगार : शिल्पिक समिति में इस के कौन से क्रम पर विचार किया जा रहा है ?

श्री हाथी : इस विषय में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता ।

आर्जिनटीना और बोलीविया की निर्यात

*१३२३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं और विलास वस्तुएं आर्जिनटीना और बोलीविया में काफी बिकती हैं ;

(ख) उन देशों को मुख्यत: किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और क्या इनका निर्यात बढ़ रहा है ; और

(ग) भारतीय वस्तुओं को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उन देशों में क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विदेश विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण आर्जिनटीना और बोलीविया की सरकारों ने सब विलास वस्तुओं का आयात निषिद्ध कर दिया है और इसमें हस्तशिल्प की वस्तुएं भी आ जाती हैं । अत: निकट भविष्य में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के उन देशों में बिकने की अधिक सम्भावना नहीं है ।

(ख) आर्जिनटीना को मुख्यत: गरम मसाले, लाख और पटसन की वस्तुएं और बोलीविया को चाय, पटसन और नारियल की जटा की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं । हमारी निर्यात की मात्रा में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) ब्वेनोस आइरेस में भारतीय दूतावास के कार्यालय में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं का स्थायी रूप से प्रदर्शन किया जाता है । १९५३ और १९५४ में स्थानीय मेलों में भी इन का प्रदर्शन किया गया था । अभी बोलीविया में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : आर्जिनटीना में प्रदर्शन पर कितना व्यय होता है ?

श्री करमरकर : वास्तविक व्यय के बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिये : यह व्यय नितान्त समुचित है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : १९५२ और १९५३ के वर्षों में इन दो देशों को निर्यात की गई वस्तुओं के आंकड़े (मूल्य) क्या है ?

श्री करमरकर : १९५३-५४ में आर्जिनटीना को निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य १९,५७,२४,००० रुपये था । १९५४-५५ में (अप्रैल से अगस्त तक) यह ७,०४,१९,००० रुपये था । बोलीविया को १९५३-५४ में १४,२१,००० रुपये की वस्तुएं और १९५४-५५ में (अप्रैल से अगस्त तक) ३३,००० रुपये की वस्तुएं निर्यात की गयी थीं ।

मैसूर आकाशवाणी के कलाकार

*१३२५. **श्री एन० राचय्या :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर आकाशवाणी में काम करने वाले कलाकारों को, वेतन, छुट्टी और भत्तों के मामले में दिल्ली, बम्बई और मद्रास के कलाकारों के समान समझा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): कर्मचारी कलाकारों को जो वेतन दिये जाते हैं उन में काफी अन्तर होता है और वेतन का आधार उन की योग्यता और काम के प्रकार पर होता है । भिन्न भिन्न केन्द्रों के कलाकारों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता ।

श्री एन० राचय्या : क्या उन कर्मचारी कलाकारों को जो मैसूर आकाशवाणी में कार्यक्रमों के मूल निर्माता हैं स्थायी समझा जायेगा ताकि आकाशवाणी की सेवा करते समय उन की पदवी की अवधि स्थायी हो ?

डा० केसकर : एक बार पहले भी इस प्रश्न का उत्तर देते समय कर्मचारी कलाकारों सम्बन्धी नियम तथा विनियम सभा पटल पर रखे गये थे और यह बात स्पष्ट की गई थी कि उन्हें संविदा के आधार पर रखा जाता है । उन की सेवाओं को स्थायी करना सम्भव नहीं है ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका परिषद् ने रेडियो स्टेशन को मैसूर से बंगलौर ले जाने के विरुद्ध एक अभ्यावेदन सरकार को भेजा है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, यह मूल प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ।

सड़कें

*१३२६. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों (२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में जनता के ऐच्छिक अंशदानों की सहायता से, अब तक कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं ;

(ख) कितने मील लम्बी सड़कों को पक्का किया गया है और उन का सुधार किया गया है ; और

(ग) कितने मील लम्बी सड़कें देख रेख के लिये स्थानीय निकाओं को सौंपी गई हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). ३० सितम्बर, १९५४ तक जो कच्ची और पक्की सड़कें बनाई गई उनकी मीलों में लम्बाई निम्नलिखित है :—

	सामुदायिक परियोजना खंड	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड
कच्ची सड़कें	९०२५	२७१६
पक्की और तार-कोल वाली सड़कें	७५०	२९४

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री एन० एम० लिगम : क्या स्थानीय निकायों से अथवा स्थानीय निकायों के अभ्यावेदन करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा किये गये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि केन्द्र के पर्याप्त अनुदानों के बिना स्थानीय निकाय इन सड़कों की देख रेख नहीं कर सकते ?

श्री एस० एन० मिश्र : सम्भव है कि कुछ स्थानीय निकायों ने इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन भेजा हो । परन्तु प्रायः ऐसा होता है कि परियोजना काल समाप्त हो जाने पर देख रेख का उत्तरदायित्व इन स्थानीय निकायों पर आ जाता है जिन में पंचायतें और इसी प्रकार की दूसरी संस्थायें सम्मिलित हैं । इस समय यही प्रबन्ध किया गया है ।

श्री एन० एम० लिंगम : मेरा अभिप्राय यह है कि स्थानीय निकाय, जिन में पंचायतें भी सम्मिलित हैं, अधिकतर आर्थिक संकट में ग्रस्त रहती हैं । इन सड़कों की ठीक देख भाल करने के लिये योजना आयोग अथवा सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जो ऐच्छिक श्रम और नकद अंशदानों के बलिदान दे कर बनाई गई हैं और क्या सरकार ने इन्हें सहायक सड़कें बना कर इन को निम्न सड़क व्यवस्था में मिलाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस प्रश्न का सम्बन्ध स्थानीय निकायों की अवस्था से है । स्थानीय निकायों के विषय में योजना आयोग के विचार सब जानते हैं । योजना आयोग चाहता है कि स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया जाये ताकि वे स्थानीय विकास के लिये कार्य कर सकें । परन्तु वह एक अलग प्रश्न है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि हिमालय के पहाड़ी ज़िलों में कितने मील सड़कों की उन्नति हुई है या उन को पक्का किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र: मेरे पास इस की कोई सूचना नहीं है कि वहां कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है । लेकिन इस तरह के कुछ आंकड़े मेरे पास हैं । उन के विवरण मैं बाद में दे सकता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार मोटे तौर पर बता सकती है कि ऐच्छिक श्रम से कितनी धन राशि की बचत हो गई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह सड़कें केवल ऐच्छिक श्रम से ही बनाई गई हैं । सरकार केवल निपुण श्रमिकों तथा अन्य सामान की ही व्यवस्था करती है । शेष सब ऐच्छिक श्रम से ही किया जाता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरा प्रश्न और था । मैं ने पूछा था कि इस से सरकार को कितनी राशि की बचत हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जो उत्तर दे सकते थे वह उन्होंने दे दिया है । सम्भवतः उन्हें पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

मंत्रणा समितियां

*१३२८. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंत्रालयों को मंत्रणा देने के लिये सरकार ने १५ मंत्रणा समितियां नियुक्त की हैं ;

(ख) यदि हां तो इन समितियों के कौन कौन सदस्य हैं और उन के क्या कृत्य हैं ; और

(ग) ऐसी और कितनी समितियां बनाने का विचार है ?

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) माननीय सदस्य सम्भवत: संसद् सदस्यों को अनौपचारिक परामर्श समितियों के बारे में पूछ रहे हैं । अब तक इस प्रकार की १८ समितियां बनाई गई हैं ।

(ख) यह अनौपचारिक समितियां भिन्न भिन्न मंत्रालयों के लिये बनाई गई हैं इन में से प्रत्येक के लगभग ३५ सदस्य हैं जिन में दोनों सभाओं और सभी वर्गों के सदस्य सम्मिलित हैं । इन समितियों का प्रयोजन यह है कि संसद् सदस्य सरकारी विभागों के कार्य संचलान नीतियों, कार्यक्रमों, और किये गये कामों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें । वे संसदीय समितियां नहीं हैं और न ही उन्हें कोई संविहित अधिकार दिया गया है । अब तक बनाई गई १८ समतियों के सदस्यों के नाम एक विवरण में दिये गये हैं जो सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस–५०१/५४].

(ग) अधिक समितियां बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

श्री गाडलिंगन गौड़ : क्या मैं जान सकता हूं, कि इस प्रकार की समितियों के लिये व्यक्तियों को चुनने में सरकार ने किस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी है, तथा क्या उन चुने हुए सदस्यों से इस बात की सम्मति ली गई है, कि क्या वे इन समितियों में काम करना चाहते हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हां, श्रीमान् । ये समितियां सभी दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं । सभी दलों के सदस्यों से परामर्श लिया गया है, और उन के नेताओं के द्वारा उन की सम्मति ली गयी है । जहां तक संभव हो सका है, सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की गयी है ।

श्री गाडलिंगन गौड़ : मुझ से सम्मति नहीं लीं गयी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिये यह संभव है कि वह सदस्यों को इस बात की अनुमति दे, कि वे अपनी रुचि अनुसार किसी भी समिति को चुन सकें ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे नहीं पता कि आप एक स्वतन्त्र सदस्य हैं । यदि आप का सम्बन्ध किसी दल से है तो आप अपने नेता से पता लगाइए कि क्या उस से सम्मति ली गयी थी या नहीं ।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं यह जानना चाहता हूं, कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए भी कि राष्ट्रीय उपयोगिता परामर्शदात्री परिषद्, केवल यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से ही सम्बन्ध रखती है, रेलवे को तदर्थ समितियों की सूची से बाहिर क्यों छोड़ दिया गया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने इस का कारण पहले ही बता दिया है । यही तो कारण है कि रेलवे के सम्बन्ध में कोई परामर्श दात्री समिति नहीं बनायी गयी ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अगले प्रश्न पर आना है । ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन समितियों की कभी बैठक भी हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : किस समिति की ?

श्री गिडवानी : किसी भी समिति की ।

श्री सत्य नारायण सिंह: इस प्रकार की पन्द्रह बैठकें हो भी चुकी हैं ।

श्री गिडवानी: पुनर्वास समिति की बैठक अभी तक नहीं हुई है ।

सीमावर्ती आक्रमण

*१३२९. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नवम्बर १९५४ के मध्य में बहुत से बन्दूकधारी पाकिस्तानियों ने सीमा के निकटवर्ती एक खासी गांव पर आक्रमण करके अंधा-धुन्ध गोली वर्षा और मारपीट की थी ।

(ख) इस घटना का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ; तथा

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग). ४ नवम्बर, १९५४ की रात को लगभग २० या ३० पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों ने बन्दूकों, लाठियों और दाउओं के साथ, खासी तथा जैंतियां पहाड़ियों के संयुक्त जिले में स्थित लाहालीन नामक एक खासी गांव पर आक्रमण कर दिया था । गांव में प्रविष्ट होने से पूर्व उन्होंने गोलियां चलाना आरम्भ कर दिया और फिर वे बल-पूर्वक चार घरों में घुस गए । इस आक्रमण के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, परन्तु तीन व्यक्ति घायल हुए, एक तो बन्दूक की गोली से और शेष दो दाउओं और लाठियों की चोटों से । लगभग ४,३७० रुपये के मूल्य के नकद, गहने और कपड़े लूट लिये गये ।

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संयुक्त खासी तथा जैंतिया पहाड़ियों के उपायुक्त ने सिलहट के उपायुक्त के पास एक विरोध-पत्र भेजा है, और उस से कहा है कि वह डाकुओं को पकड़ने, और उन से लूटा हुआ माल वापिस ले कर लौटवाने के लिये शीघ्राति-शीघ्र कार्यवाही करे, तथा इस प्रकार के आक्रमणों की रोक थाम के लिए कोई कदम उठाये । आसाम सरकार ने भी पूर्वी बंगाल सरकार से इसी प्रकार का विरोध प्रकट किया है तथा भारत सरकार ने कराची स्थित अपने उच्चायुक्त को इस प्रकार के अनुदेश भेजे हैं कि वह पाकिस्तान सरकार से इस बारे में तीव्र विरोध प्रकट करे । आसाम सरकार ने ग्रामीणों की रक्षा के लिये भी उपाय किये हैं ।

यह प्रत्यक्ष रूपेण एक डाके का मामला था ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या यह सत्य है कि पाकिस्तानी सीमा-पुलिस के कर्मचारी भी उस आक्रमण में सम्मिलित थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी आप के सामने उत्तर पढ़ कर सुनाया है ; इस में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है । सम्भवतः पाकिस्तानी पुलिस के कर्मचारी इस में सम्मिलित नहीं थे । जहां तक हमें ज्ञात है, यह एक सामान्य डाका था, यद्यपि डाका कोई सामान्य घटना नहीं होती, अपितु असामान्य ही होती है । हां, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं कि उन्हें गुप्त रूप से अन्य लोगों की सहायता प्राप्त थी अथवा नहीं । यह हो भी सकता है और नहीं भी ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या घायल हुए व्यक्तियों के लिये, पाकिस्तान सरकार से किसी प्रकार के प्रतिकर का दावा किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : डाकुओं से किसी प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकता । यदि यह स्पष्टतया एक डाके का मामला हो, तो मैं नहीं समझता कि हम कैसे प्रतिकर का दावा कर सकते हैं ?

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मैं ने कहा है पाकिस्तान सरकार से . . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह आवश्यक नहीं कि लोग किसी समझौते पर निर्भर रहें, वे चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री अमजद अली : क्या सरकार इस बात की जांच कर पाई है कि आरम्भ में जिस कार्यविधि का अवलम्बन किया गया था क्या उस का उद्देश्य डकैती था या केवल निर्दोष ग्रामीणों को आतंकित करना था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक प्रतीत होता है, यह एक डकैती थी । माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्र विशेष रूप से, डकेतियों, तस्कर व्यापार आदि कार्यों के लिये अधिक उपयुक्त होते हैं । लोग डाके डालते हैं, और सीमा पार किसी और स्थान पर जा कर सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं । किसी भी क्षेत्र में डाके की घटना होना, एक बुरी बात है, किन्तु इस से अधिक उस का महत्त्व नहीं होता । यदि यह घटना किसी सीमावर्ती क्षेत्र में होती है तो यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है और सब का ध्यान उस ओर खिच जाता है, यद्यपि डाकू प्राय: सीमावर्ती क्षेत्रों को ही अधिक उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि वे दूसरी ओर जा कर शरण पा सकते हैं ।

श्री अमजद अली : क्या डाकुओं से कुछ प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

रूस को कलाकारों का सांस्कृतिक मंडल

*१३३२. **डा० जे० एन० पारिख :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में, रूस तथा अन्य विदेशों को जो कलाकारों का सांस्कृतिक मण्डल गया था, उसकी प्रतिक्रियायें क्या हैं ; तथा

(ख) उनके उन देशों को जाने से क्या फल प्राप्त हुए हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). एक शिष्ट मण्डल रूस, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया में बहुत से स्थानों पर गया था । उनका हर स्थान पर बड़े उत्साह पूर्वक स्वागत किया गया, और उनके प्रदर्शनों ने भारतीय नृत्य तथा संगीत में वहां के लोगों की अतीव रुचि उत्पन्न कर दी । इस पर्यटन का प्रभाव यह पड़ा है कि भारत तथा उन देशों के मध्य सद्भावना और मित्रता में वृद्धि हुई है, और इसके साथ ही साथ उन देशों में भारतीय कला तथा सास्कृतिक कार्यों के लिये सराहना भी बढ़ गई है ।

सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि शिष्ट मण्डल के साथ जाने वाले कलाकारों पर व्यक्तिगत रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ा है । शिष्ट मण्डल के नेता तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इस बात पर अतीव हर्ष प्रकट किया है कि उन देशों में उनका इतना सुन्दर स्वागत किया गया ।

श्री जे० एन० पारिख : विभिन्न प्रदर्शनों में कुल कितनी आय प्राप्त हुई थी और उस आय का उपयोग कैसे उठाया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस आय अथवा धन प्राप्ति के विषय में हम उत्तरदायी नहीं हैं। यह प्रश्न तो उन शहरों से पूछना चाहिये जहां वे गये हैं, और फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह जानकारी मेरे पास कैसे हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि यह कोई वाणिज्यिक पर्यटन अथवा किन्हीं व्यवसाई लोगों का पर्यटन नहीं था जो धन एकत्रित करने की चेष्टा करते हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई है कि इन शिष्ट मण्डलों के कुछेक सदस्य विदेशों में जा कर सरकार को बुरा भला कहते हैं और उसके मान को गिराने का प्रयत्न करते हैं ? यदि ऐसा है, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या माननीय सदस्य का निर्देश इस शिष्ट मण्डल से है अथवा और किसी से ?

श्री एन० एम० लिंगम : सामान्यतया किसी भी शिष्टमण्डल से।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं किसी भी शिष्ट मण्डल के विषय में, अनिश्चित रूप से पूछे गये इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं ?

इस्पात

*१३३३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जापान ने, भारत को इस्पात संभरित करने का प्रयत्न किया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रस्ताव के निबन्धन क्या क्या हैं ; तथा

(ग) क्या यह व्यवहार वस्तु विनिमय के आधार पर है अथवा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि इस्पात के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले सार्थ विदेशों से इस्पात आयात करने का विरोध कर रहे हैं ? यदि ऐसा है, तो उस के कारण क्या बताएं जाते हैं ?

श्री करमरकर : ऐसा समझा जाता है कि जापान के कुछेक निर्यात कर्ताओं ने, भारतीय आयात कर्ताओं से, इस बारे में यह जानने के लिये बातचीत की है और कर रहे हैं कि क्या वह जापान से आने वाले इस्पात और मुख्य रूप से इस्पात की प्लेटों के विनिमय में वहां, कच्चा लोहा, कच्चा मैंगेनीज़ और इस्पात भंगार (कबाड़) भेज सकते हैं। जहां तक हमें जानकारी है, अभी तक कोई ठोस प्रस्थापना नहीं बनी है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या आप ऐसा कोई अनुमान दे सकते हैं कि हम कुल कितना आयात करते हैं और किस किस देश से करते हैं ?

श्री करमरकर : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

त्रिपुरा में विस्थापित लोग

*१३३५. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय धर्मनगर (त्रिपुरा) में रहने वाले विस्थापित लोगों के कितने परिवार हैं जिन्हें पुनः बसाने का कार्य अभी शेष है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : लगभग ७०० ।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विस्थापित लोगों के लगभग १६ परिवारों को, धर्मनगर कार्यालय टीला के निकट राजकीय खास भूमि पर बसाया गया था, परन्तु इस आधार पर, कि वह भूमि गंगा प्रसाद त्रिवेदी की है, जो कि कांग्रेस के प्रधान हैं और ताल्लुकदार भी हैं, अब उन्हें उस भूमि से हटाया जा रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे इस आरोप के बारे में ज्ञान नहीं है ।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार का इस विषय में पूछताछ करने का विचार है ?

श्री जे० के० भोंसले : अवश्य ।

ग्लिसरीन

*१३३६. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जुलाई से दिसम्बर, १९५४ के बीच निर्यात के लिये परिष्कृत ग्लिसरीन का सीमित अभ्यंश देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) ४४० टन ।

श्री इब्राहीम : इस का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है ?

श्री करमरकर : परिष्कृत ग्लिसरीन का उत्पादन इस प्रकार होता रहा है : १९५३—३,५०९ टन; १९५४, जनवरी से अक्टूबर तक—१,९७१ टन और देश की आन्तरिक आवश्यकता लगभग १,००० से १,५०० टन तक है ।

मोटर गाड़ियां

*१३३७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निम्न सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनी अथवा भारत में पुर्जे जोड़ कर बनाई गई कोई मोटर गाड़ियां अन्य देशों को निर्यात की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी मोटरगाड़ियों का निर्यात किया गया और किस मूल्य पर ;

(ग) किन किन देशों को इनका निर्यात किया गया ;

(घ) क्या भारत में पुर्जे जोड़ कर तैयार की गयी मोटरगाड़ियों में, जिन का भारत के बाहर निर्यात किया जाता है, प्रयुक्त होने वाले पुर्जों पर दिये गये आयात शुल्क में कोई छूट दी जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) व्यापारिक स्तर पर निर्यात नहीं किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) यदि निर्यात किया जाये, तो ऐसी छूट देने की व्यवस्था है ।

(ङ) दिये गये शुल्क के ७/८ तक ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय मंत्री ने बताया कि व्यापारिक स्तर पर निर्यात नहीं किया जाता है । अब किस स्तर पर निर्यात किया जाता है ?

श्री करमरकर : अव्यापारिक स्तर पर। अर्थात्, कभी कभी लोग अपने सामान के साथ ले जाते हैं, उदाहरण के लिये नेपाल को। १९५१ में २५,३०० रुपये के मूल्य की और फिर १९५३ में ११,५०० रुपये के मूल्य की मोटरें गई थीं, उदाहरणार्थ, हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने ८,७९९ रुपये के मूल्य की एक मोटरकार भारतीय राजदूत के लिये भेजी थी। अव्यापारिक स्तर से मेरा यही तात्पर्य है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या भारत में कोई मोटरकार बनाने का कारखाना बन्द हो गया है, और यदि हां, तो इस के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री करमरकर : कोई मोटरकार बनाने का कारखाना बन्द नहीं हुआ है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि मद्रास के अशोक मोटर्स ने अपना कारखाना बन्द कर दिया है। उन का कारखाना बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री करमरकर : कुछ समय पूर्व, खूब सोच विचार के पश्चात् हम ने उन कारखानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जो केवल पुर्जों को जोड़कर मोटर तैयार करने का काम करते थे। अशोक मोटर फैक्टरी के सम्बन्ध में मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : मोटरगाड़ी बनाने वाले समवाय पुर्जे इतने महंगे क्यों बेचते हैं ?

श्री करमरकर : इस का कारण मैं पूर्व सूचना मिलने पर पता लगा सकता हूं।

तिब्बत के व्यापारी

***१३३८. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के व्यापारियों को इस वर्ष गढ़वाल ज़िले की नीती घाटी में प्रवेश करने के लिये पारपत्र प्राप्त करने के हेतु कर देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमालय के दर्रों की अन्य किसी भी घाटी में इस प्रकार का कर नहीं लिया जाता ;

(ग) क्या इस कर के लगने से नीती घाटी में प्रवेश करने वाले व्यापारियों की संख्या में कमी हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) से (घ). भारत सरकार को इस बात का पता नहीं है कि चीन की सीमा के अन्दर तिब्बत के व्यापारियों को पार-पत्र अथवा यात्रा सम्बन्धी पत्रों को ले कर चलने की आवश्यकता होती है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है तिब्बत के सम्बन्ध में भारत-चीन करार के उपबन्धों के अन्तर्गत चीन के तिब्बती प्रदेश से आने वाले व्यापारियों के पास केवल उन के देश की स्थानीय सरकार अथवा उस के द्वारा यथोचित रूप से अधिकृत एजेंटों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र होने चाहियें। भारत सरकार किसी भी दर्रे पर इन व्यापारियों के प्रवेश पर कोई शुल्क नहीं लगाती है।

सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह समझा जाता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष नीती घाटी में आने वाले व्यापारियों की संख्या अधिक थी। १९५३ में इन की संख्या ४६५ और १९५२ में ३५४ थी जब कि इस वर्ष नीती घाटी में आने वाले तिब्बती व्यापारियों की संख्या ६०७ थी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सच है कि नीती घाटी से हो कर आने वाले व्यापारी अपने साथ बहुत कम ऊन और नमक ला पाये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मैं नहीं कह सकता । लेकिन अगर व्यापारी लोग ज्यादा जायें तो कुछ न कुछ अपने साथ जरूर लाये होंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि तिब्बत के बारे में इकरारनामा हो जाने के बावजूद भी नीलंग व माना घाटियों के भारतीय व्यापारियों को तिब्बत में तरह तरह के टैक्स देने के लिये मजबूर किया जाता है जिस के कारण उन्होंने वहां जाना ही प्रायः बन्द कर दिया है ? क्या इस बारे में कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : तिब्बत के अन्दर टैक्स देना पड़ता है इस के बारे में तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । अगर आप के पास कोई ऐसी सूचना है तो दरयाफ्त किया जा सकता है ।

निजी थैलियां

*१३४१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूत-पूर्व शासकों को निजी थैलियों तथा भत्तों के रूप में प्रतिवर्ष कुल कितना धन दिया जाता है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री की अपील के परिणामस्वरूप भूतपूर्व शासकों ने इस राशि में स्वेच्छा से कोई कटौती करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कटौती की वह राशि कितनी होती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सभी भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों के रूप में दी जाने वाली वार्षिक धन राशि कुल लगभग ५,४०,००,००० रुपये है ।

(ख) कुछ शासकों ने अपने-अपने राज्यों में विकास कार्यों पर अपनी निजी थैलियों में से, कुछ अंश का उपयोग करने के विचार का अनुमोदन किया है । उन में से अधिकांश ने राष्ट्रीय योजना ऋण में काफी अंशदान दिया है ?

(ग) ये विषय अभी विचाराधीन हैं और इन पर पत्र-व्यवहार हो रहा है अतः आगे और ब्यौरा बताना वांछित नहीं होगा ।

श्री जेठालाल जोशी : यह कटौती कितने प्रतिशत है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये गये थे और भिन्न-भिन्न प्रतिशत का सुझाव दिया गया था । अर्थात्, अधिक निजी थैली पाने वाले कुछ लोगों के लिये प्रतिशत कुछ अधिक था । यह प्रतिशत क्रमानुसार था ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या प्रधान मंत्री जी ने इन शासकों से जो अपील की थी कि वे डेवलपमेंट के कामों के लिये अधिक रुपया दें, इस में उन्होंने कितना सहयोग दिया है और क्या यह सहयोग प्रधान मंत्री के कहने पर ही दिया गया है या अपनी मर्जी से दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रार्थना के अनुसार दिया या अपनी मर्जी से दिया यह समझना तो मुश्किल है । लेकिन अक्सर के जवाब आये हैं । उन्होंने पहले भी दिया था और अब भी दे रहे हैं । बाज के जवाब अभी नहीं आये हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि कुछ भूतपूर्व

शासकों ने विकास-सम्बन्धी कार्यों के लिये अंशदान दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह अंशदान सर्वथा दे दिया गया है, या ऋण के रूप में दिया गया है और यदि ऋण के रूप में दिया गया है, तो क्या यह ऋण ब्याज रहित होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: अतीत में वे जो कुछ देते रहे हैं उस के विषय में ऋण का प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चय ही यह सब एक उपहार है, और बहुत कुछ वैयक्तिक रूप से दिया गया है, अर्थात् उन्होंने किसी प्रयोजन विशेष के लिये वह रुपया नहीं दिया है। इस समय विचार यह किया गया है कि इस कार्य को कुछ संगठित रूप में किया जाये, इस कारण इस में ऋण का प्रश्न नहीं उठता। जब वे पैसा ऋण पर देते हैं तो वह राष्ट्रीय योजना ऋण के लिये देते हैं।

पश्चिमी तिब्बत में फंसे हुए व्यापारी

*१३४२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जल्दी बर्फ गिरने से हिमालय के दर्रों के बन्द हो जाने के कारण लगभग एक सौ भारतीय व्यापारी गड़तोक और पश्चिमी तिब्बत के दूसरे स्थानों में फंस गये हैं ; और

(ख) यदि सच है, तो इन व्यापारियों को शीघ्र ही सकुशल भारत में वापस लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). जितने हिन्दुस्तानी व्यापारी तिब्बत में थे उन में से थोड़े सों को छोड़ कर बाकी बखैरियत वापस हिन्दुस्तान आ गये हैं। बावजूद बर्फ वगैरह के। थोड़े से तकलाकोट में रह गये हैं। उन के वापस लाने का इन्तजाम हो रहा है, यानी बर्फ साफ की जा रही है ताकि रास्ता साफ हो। हमारे जो काउंसल-जनरल ल्हासा में हैं वह तिब्बत की सरकार से मदद ले रहे हैं कि बर्फ साफ की जाय और लोग वापस आ सकें।

श्री भक्त दर्शन: क्या यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार सम्भव होगा कि दिसम्बर और जनवरी के महीनों में बर्फ साफ कर के उन दर्रों से हो कर भारत वापस आया जा सके ? यदि यह सम्भव नहीं है, तो क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि हैलीकोप्टर या हवाई जहाज़ के ज़रिये उन को वापिस लाने की कोशिश की जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जरूर यह मेरे लिये कहना मुश्किल है कि यह किस कदर सम्भव है। लेकिन सम्भव है; तभी तो कोशिश की जा रही है। अगर असम्भव होता तो क्यों कोशिश की जाती। और जो आपने हैलीकोप्टर का ज़िक्र किया, तो हैलीकोप्टर ऐसी जगह नहीं जा सकता। हैलीकोप्टर इतना ऊंचा उठ नहीं सकता और अगर ऊंचा पहुंच जाता है तो वहां से उतर नहीं सकता। उस की एक सीलिंग होती है उस से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो उस के जाने का तो सवाल ही नहीं है। मुमकिन है कि बड़े हवाई जहाज़ वहां जा सकें, लेकिन इस में बहुत पेच हैं और दिक्कतें हैं।

इंगलिस्तान का खाद्य मेला

*१३४३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर १९५४ में ओलम्पिया में हुए इंगलिस्तान के खाद्य मेले में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस मेले में किन किन भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था ;

(ग) क्या किसी भी रूप में भारत सरकार ने मेले में योगदान किया था ;

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कितना धन व्यय किया ; और

(ङ) भारतीय प्रदर्शनों की विशेषतायें क्या थीं ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस प्रदर्शनी के संयोजक ने भारत को कोई निमंत्रण दिया था और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया था ?

श्री करमरकर : सामान्यतः विदेशों में होने वाले सभी प्रमुख मेलों की सूचना हमें मिल जाती है । हम सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये उन में से कुछ को चुन लेते हैं । अन्य की सूचना हम सम्बन्धित उद्योगों को भेज देते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि इस मामले में भी हमने सूचना भेजी थी किन्तु स्थानीय खाद्य उद्योगों के लोगों में से किसी ने भाग लेने की इच्छा नहीं प्रकट की ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को ज्ञात है कि किसी एजेंसी द्वारा उक्त प्रदर्शनी में भारतीय खाद्यों का प्रदर्शन किया गया था ?

श्री करमरकर : स्पष्ट है कि सरकार को इस की जानकारी नहीं है ।

सामयिक-पत्र

*१३४४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार गत युद्ध के समय सूचना विभाग से प्रकाशित होने वाले "भारतीय समाचार" और "इंडियन इन्फर्मेशन" नामक सामयिक पत्रों को फिर से निकालने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इन के प्रकाशन में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) अक्टूबर में प्राप्त इन पत्रों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की परीक्षा पूरी हो जाने के तुरन्त पश्चात् ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इन पत्रों की अधिक आवश्यकता समझी जाती है, और यह प्रश्न बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन है, तो फिर ये पत्र प्रकाशित नहीं हो रहे हैं इस का क्या कारण है ?

डा० केसकर : यह बात सही है कि गवर्नमेंट के पास बहुत स्थानों से इस बात की सूचना आई है कि "इंडियन इन्फर्मेशन" और "भारतीय समाचार" को फिर से जारी किया जाये, खासकर कमर्शियल कंसर्न्स और यूनीवर्सिटीज की तरफ से बहुत मांग है । लेकिन इस सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी की यह सिफारिश है कि इन पत्रों को जारी करने से पहले जो मैगजीन हम चला रहे हैं उन में अगर कुछ किफायत हो सकती है तो करने की कोशिश की जाये । इसी लिये यह मामला अब तक स्थगित पड़ा रहा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पत्र इतने आवश्यक हैं, क्या सरकार कोई दूसरा तरीका निकालकर इन पत्रों को चलाने की कोशिश करेगी ?

डा० केसकर : इस मामले में जो कुछ हो सकता है उसे करने की कोशिश जरूर हो रही है ।

व्यापार प्रदर्शनियां

*१३४५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक विदेशों में कितनी भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां की गई ; और

(ख) इन प्रदर्शनियों से क्या विशेष प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) संलग्न के अनुसार--९। [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ख) इन प्रदर्शनियों से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ताओं और व्यापारियों की रुचि पैदा करने में सहायता मिलती है और साथ ही निर्यात व्यापार की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। हम जो औद्योगिक उन्नति करते हैं, इन से उस पर ध्यान केन्द्रित करने में भी सहायता मिलती है। हमारे निर्यात की वृद्धि में इन प्रदर्शनियों का जो प्रभाव पड़ा है उस को ठीक-ठीक आंकना संभव नहीं है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई प्रदर्शनी में भारत ने भी भाग लिया था। मेरा विचार है कि भारत में हाथ की बनी सारी वस्तुएं उस में रखी गयी थीं और उन में से अधिकतर बिक गयी थीं। काहिरा में किरलासकर वालों ने—काहिरा और साइप्रस, दोनों स्थानों पर--अपने तेल के इंजन बेचे। एक और निर्माता ने चावल की मिलें बेचीं। परन्तु जैसा कि मैं ने पहले कहा यह बताना सम्भव नहीं है कि इन प्रदर्शनियों के फलस्वरूप हमारे निर्यात व्यापार में ठीक ठीक कितनी वृद्धि हुई है।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि इस वर्ष काहिरा में एक व्यापार प्रदर्शनी हुई थी जिस में केवल भारत की ही वस्तुएं थीं। क्या सरकार ऐसी ही प्रदर्शनियां दुनियां के दूसरे भागों में भी करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : हमारा अगले वर्ष का कार्यक्रम विचाराधीन है।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि भारत अधिकतर उन प्रदर्शनियों में भाग लेता रहा है जो अमरीका या योरुप के कुछ भागों में हुई हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही कि एशिया तथा अन्य महाद्वीपों में ऐसी ही प्रदर्शनियों में भाग लिया जाय ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि हम विशेषकर एशिया के सम्बन्ध में इस सुझाव पर विचार करेंगे। परन्तु इस समय मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

श्री डी० सी० शर्मा : इन प्रदर्शनियों में भेंट में देने की तथा अन्य बढ़िया वस्तुएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं, क्या उन के निर्माताओं से कहा गया है कि उन्हें और बड़े पैमाने पर तैयार करें ?

श्री करमरकर : जी, हां। सच तो यह है कि हम ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ऐसी वस्तुओं की मांग के सम्बन्ध में पूछताछ की जाती है और हमारे निर्माताओं को पता है कि विदेशों में किस वस्तु की मांग है।

श्री एम० एम० लिंगम : इस बात को देखते हुए कि निर्यात बढ़ाने में इन प्रदर्शनियों से काफी प्रोत्साहन मिला है, क्या सरकार का विचार है कि इन स्थानों में व्यापार केन्द्र खोल दिये जायें जिस से कि हमारे निर्यात में और तेजी से वृद्धि हो ?

श्री करमरकर: मेरा विचार है कि मैं इसी विषय पर पहले एक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, परन्तु सम्भव है कि मैं भूल कर रहा होऊं। ऐसा विचार है कि इस में से कुछ स्थानों में व्यापार केन्द्र खोले जायें। धन की कमी के कारण अधिक स्थानों पर व्यापार केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है।

आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) के कार्य क्रम में सुधार

*१३४७. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुधार के लिये १९५३-५४ में ३ लाख रुपये की जो व्यवस्था की गयी थी और जो राशि १९५४-५५ में बढ़ा कर ६ लाख कर दी गयी थी, उस का उपयोग कैसे किया गया है?

सचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): १९५३-५४ और १९५४-५५ में जो राशि रखी गयी थी उस का प्रयोग निम्नलिखित मदों पर किया गया है और किया जा रहा है:

(१) संगीत कार्यक्रमों में सुधार और सरल संगीत शाखाओं की स्थापना;

(२) कलाकारों के पारिश्रमिक और वार्त्ताओं और नाटकों आदि के पारिश्रमिक में वृद्धि; और

(३) विशेष कार्यक्रम, जैसे कि रेडियो मास का समारोह। इन प्रयोजनों के लिये होने वाला व्यय ऐसी ही मदों पर साधारण व्यय में मिला दिया जाता है और किसी विशेष श्रेणी में नहीं रखा जाता।

सरदार हुक्म सिंह: इस राशि में से जो खर्च किया जाता है, उस में से कलाकारों और प्रशासकों को कितना कितना हिस्सा मिलता है?

डा० केसकर: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह विशेष राशि मांगने का एक कारण यह था कि आकाशवाणी में प्रशासन पर जो राशि खर्च की जाती थी वह अनुपात से उस राशि से बहुत अधिक थी जो कि कार्यक्रमों पर खर्च की जाती थी। इसलिये इस राशि का अधिकतर भाग कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह: दिल्ली से हर सप्ताह जो राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, क्या उस का खर्च भी इसी राशि में से किया जाता है?

डा० केसकर: जैसा कि मैं ने बताया यह कहना बड़ा कठिन है कि उस खर्च का कितना भाग साधारण राशि में से किया जाता है और कितना विशेष अनुदान में से परन्तु इस में से किया जाने वाला कुछ खर्च अवश्य ही कार्यक्रमों के सुधार के लिये माना जायगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इन कार्यक्रमों के उद्देश्य पूरे करने के लिये कोई नए कर्मचारी रखे गये थे?

डा० केसकर: साधारणतया इन कार्यक्रमों के लिये नहीं, वरन् इन के कुछ पहलुओं के लिये। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कुछ स्थानों पर नये कर्मचारी, जो कार्यक्रम तैयार करते हैं, ठेके पर रखे गये हैं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इन अतिरिक्त राशियों के उद्देश्य पूरे करने के लिये कोई अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था?

डा० केसकर: इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिंदरी कारखाना

*१३१४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर, १९५४ तक के समय में सिंदरी उर्वरक कारखाने में अमोनियम सल्फेट का कितना उत्पादन हुआ और उस का मूल्य लगभग कितना है; और

(ख) कितनी मात्रा की बिक्री हुई और उस से कितना लाभ हुआ ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १,९५,५७५ टन जिस का मूल्य ५३७·८३ लाख रुपये है ।

(ख) इस काल में २,५३,७२४ टन उर्वरक बिका । लाभ और हानि का आकलन प्रति वर्ष किया जाता है और १९५३-५४ के लाभ और हानि का विवरण और वार्षिक लेखे संसद् के पुस्तकालय में रख दिये गये हैं । माननीय सदस्य ने जिस काल के लाभ का अनुदान पूंछा है,वह नहीं दिया जा सकता क्यों कि उसमें ३ मास तो पूरे हो चुके वर्ष के हैं और ६ मास चालू वर्ष के । प्रति मास बेची गयी मात्रा और उत्पादन की मात्रा में फेर बदल होती रहती है जिस का प्रभाव उत्पादन की लागतों पर भी अवश्य पड़ता है । यह कम्पनी प्रति वर्ष संतुलन रखती है और ये आंकड़े लोक-सभा को दिये जाते हैं ।

पालर नदी सम्बन्धी विवाद

*१३१९. **श्री एन० आर० मुनिस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पालर नदी के सम्बन्ध में मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच झगड़े के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भेजा गया है जिस में यह सुझाव दिया गया है कि इस झगड़े की जांच करने के लिये तथा इस सम्बन्ध में सलाह देने के लिये संविधान के अनुच्छेद २६३ के अधीन एक परिषद् नियुक्त की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो अब इस मामले की क्या स्थिति है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास सरकार ने बताया है कि वह इस सम्बन्ध में टेक्नीकल आंकड़े आदि इकट्ठे कर रही है कि क्या मैसूर सरकार ने वह पानी रोका है जो कि उचित रूप से मद्रास का था । मद्रास सरकार ने यह बताया है कि यदि जांच से किसी ऐसी बात का पता चला तो वह केन्द्रीय सरकार को लिखेगी । दूसरी ओर मैसूर सरकार ने लिखा है कि उस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस से कि मद्रास के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । यह बात मद्रास सरकार को बता दी गयी है और उस से अगले पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राजस्थान में बेकारी

*१३२०. **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना** मंत्री ३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को राजस्थान सरकार से उस राज्य में बेकारी सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों के आंकड़ों की तुलना में यह कैसे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस जानकारी वाला कोई विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) राजस्थान सरकार से उस राज्य में बेकारी सम्बन्धी आंकड़े योजना

आयोग को नहीं मिले हैं। परन्तु राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार की स्थिति की विभिन्न बातों पर विचार किया है और रोजगार में वृद्धि करने के उपायों पर भी विचार किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कालीन

*१३२४. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि मदोही और मिर्जापुर के कुटीर उद्योगों में बनाये जाने वाले कालीनों के गुण प्रकार एक स्तर पर लाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार उन के लिये उपयुक्त बाज़ार ढूंढने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस उद्योग का विकास करने के लिये कोई कार्यवाही की है, यदि हां तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी हां इन कालीनों के लिये प्रमाप इस उद्देश्य तैयार किये गये हैं कि वे और बढ़िया बनें और निर्यात बढ़े।

(ग) सरकार ऐसे मामलों में यथा-सम्भव सहायता देती है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्योग का विकास करने के लिये कालीन के गुण प्रकार निश्चित करना प्रारम्भ किया है और सरकारी समितियां बना रही है और इन कारीगरों को सस्ते दामों पर अच्छे किसम का कच्चा माल दे रही है।

केन्द्रीय सरकार जहां आवश्यक हो राज्य सरकारों को कालीन उद्योग के सम्बन्धी योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देती है।

कोयला धोने के कारखानों सम्बन्धी समिति

*१३२७. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रौरकेला इस्पात कारखाने के लिये आवश्यक कोयला धोने के सम्बन्ध नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जी नहीं।

चाय

*१३३०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को कम चाय उत्पन्न करने वाला क्षेत्र घोषित करने की क्या कसौटी है ; और

(ख) चाय नियम, १९५४ के अधीन अब तक जिन चाय बागानों को कम उत्पन्न करने वाले क्षेत्र घोषित कर दिया गया है या समझा गया है उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर : (क) जनता की राय जानने के लिये प्रकाशित प्रारूप नियमों के अनुसार कम उत्पन्न करने वाले क्षेत्र की परिभाषा यह दी गयी है कि वह चाय बागान या चाय बागान के उपभाग जिनकी वार्षिक उपज ४५६ पौण्ड प्रति एकड़ के आधार पर से कम हो कम उत्पन्न करने वाले क्षेत्र कहे जायेंगे। नियम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन परिवारों का निष्कासन

*१३३१. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजपुरा गुड़ मंडी योजना के अधीन लगभग १५० हरिजन परिवारों को निष्कासित किया जा रहा है और वहां विस्थापितों के लिये १९२ क्वार्टर बनाये जाने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विरोधपत्र आया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) अभी तक ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां कुछ अभ्यवेदन प्राप्त हुये हैं ।

टेकनीकल प्रशिक्षण संस्था

*१३३४. **मुल्ला अब्दुलल्लाभाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नई टैकनीकल प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने के बारे में कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) हां, श्रीमान् । १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन के समय नये टेकनीकल प्रशिक्षण संस्थाओं के खोलने के लिये निम्न प्रयोजनायें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुई थीं कि इन्हें उन की योजना में सम्मिलित कर दिया जाय :—

(१) रवीन्द्र औद्योगिक स्कूल, खैरागढ़ ;

(२) कृषि सम्बन्धी ओवरसीयरों को प्रशिक्षण ;

(३) कृषि कालेज, जबलपुर,

(ख) उक्त योजना संख्या (१) और (२) को योजना आयोग ने मध्य प्रदेश योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति दे दी है । उक्त योजना संख्या (३) अभी विचाराधीन है ।

आर्थिक सर्वेक्षण

*१३४०. **श्री मगन लाल बागडी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जमशेदपुर के आर्थिक सर्वेक्षण के लिये किसी योजना का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है ;

(ग) सर्वेक्षण समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

(घ) उस के निर्देश पद क्या हैं ?

(ङ) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ; और

(च) कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (च). योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति ने जमशेदपुर शहर के द्रुत नगरीकरण की समस्या के अध्ययन के लिये उस के सामाजिक-आर्थिक सवक्षण करने की एक योजना को स्वीकार कर लिया है । सर्वेक्षण पटना विश्वविद्यालय के तत्वाधान और प्रो० बी० आर० मिश्र के निदेशन में किया जा रहा है । सर्वेक्षण के लिये २२,००० रुपये की राशि स्वीकृति की गयी है और आशा है कि यह लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

सामुदायिक परियोजनायें

*१३४६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में सामुदायिक योजनाओं द्वारा सर्वाधिक विकास हुआ है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : तीन विभिन्न कसौटियों पर विकास की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है जैसे :

१. लक्ष्य पूर्ति के लिये किये गये व्यय का अनुपात ;

२. जनता का सहयोग; और

३. वास्तविक सफलता ।

उक्त श्रेणियों के अधीन राज्यों की वास्तविक प्रगति में बड़ा अन्तर है और किसी विशेष राज्य को उस के कार्यों की उक्त कसौटियों पर जांच कर के सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित होगा ।

आकाशवाणी में परिवहन

*१३४८. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के पास (समाचार सेवा डिवीज़न और वाह्य सेवा डिवीज़न सहित) कितनी मोटर गाड़ियां हैं ;

(ख) किस प्रकार के काम के लिये इतनी अधिक मोटर गाड़ियां रखना आवश्यक है ; और

(ग) १९५२-५३ और १९५३-५४ में इस मद में पृथक पृथक कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १२ गाड़ियां ।

(ख) गाड़ियों का प्रयोग (१) कलाकारों से सम्बन्ध स्थापित करने और (२) बाहरी प्रसारों के लिये किया जाता है । इन का प्रयोग कलाकारों और कर्मचारी कलाकारों के लिये और आवश्यक कर्मचारियों के आने जाने के लिये जब सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से उपलब्ध न हो, किया जाता है । आवश्यक कर्मचारियों को उन के सामान्य सफर के अतिरिक्त आकाशवाणी के केन्द्र से आने और जाने के लिये भी इस के प्रयोग की अनुमति है ।

(ग) १९५२-५३ और १९५३-५४ में इन गाड़ियों पर क्रमशः ६९,८२१ रुपये और ७५,९२९ रुपये की राशियां व्यय की गयीं ।

मोटर साइकिल

*१३४९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर साइकिल बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या विवरण है ;

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान । मद्रास के एक व्यवसायिक सार्थ को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन, मोटर साइकिल बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गयी है ।

(ख) योजना का अनुमान है कि पांच वर्ष में निम्न प्रकार की पूरी मोटर साइकिलें बनने लगेंगी :

३५० सी० सी० बिना स्प्रिंग के फ्रेम वाली

३५० सी० सी० पिछले स्प्रिंग के फ्रेम वाली

१२५ सी० सी० माडल की ।

नदी घाटी परियोजनाओं हेतु संयंत्र और मशीनें

*१३५०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के लिये आवश्यक संयंत्रों और मशीनों और अलग पुर्जों के प्रमापीकरण करने और एक परियोजना के बचे हुए सामान को आवश्यकतानुसार दूसरी परियोजनाओं को उपलब्ध कराने के लिये कोई संगठन बनाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : निर्माण, संयंत्र और मशीन समिति की सिफारिशों और मंत्रियों के समायोजन बोर्ड की चर्चा के आधार पर नदी घाटी परियोजनाओं के मंत्रियों के समायोजन बोर्ड की प्रथम बैठक के निश्चय के अनुसरण में विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति बनाई जा रही है जो नदी घाटी परियोजनाओं के लिए बनाई गयी मशीनों के प्रमापित निर्माणों की देखभाल करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

अतिरिक्त मशीन और सामान को एक परियोजना से दूसरी परियोजना को भेजने के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग का सहयोग मिलेगा ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति

*१३५१. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् सिन्ध की स्वच्छता समितियों के क्षेत्रों को नगर-क्षेत्रों के रूप में मान्यता देने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ताकि उन दावेदारों को, जिन्होंने वहां अपनी निष्क्रांत सम्पत्तियां छोड़ी हैं ; क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निश्चय किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है ।

रेडियो सेट

*१३५२. **श्री गणपति राम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की विभिन्न हरिजन बस्तियों को ८६ रेडियो सेट बांटे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितने रेडियो सेट दिये गये हैं ;

(ग) ये बस्तियां कहां कहां हैं ;

(घ) ये रेडियो सेट किस से प्राप्त हुए थे और उनका कुल मूल्य क्या है ; और

(ङ) उन के संधारण पर यदि सरकार ने कोई व्यय किया है, तो वह कितना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) २ नवम्बर, १९५४ को सार्वजनिक भवन में हुए उपहार समारोह में एक सेट नई दिल्ली की रीडिंग रोड स्थित भंगी बस्ती को दिया गया था, और शेष ८५ सेट वितरण सूची के तैयार होते ही विभिन्न राज्यों को दे दिये जायेंगे ।

(ख) तथा (ग). प्रत्येक राज्य को दिये जाने वाले सेटों की संख्या तथा बस्तियों के स्थान के बारे में अनुसूचित जातियों तथा

आदिम जातियों के आयुक्त के परामर्श से निश्चय किया जा रहा है ।

(घ)

रेडियो सेट इन्होंने दान दिये थे	दान दिये गये रेडियो सेटों की संख्या
(१) रेडियो निर्माणकर्त्ता संस्था के सदस्य	२८
(२) आकाशवाणी व्यापारी संस्था के सदस्य	१९
(३) रेडियो उद्योग संस्था के एक सदस्य	३
(४) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त	३६

इन सेटों का कुल मूल्य लगभग २५,००० रुपये है ।

(ङ) इन रेडियो सेटों को राज्य सरकारों द्वारा वितरित करने और उन्हें उन के संधारण के लिये उत्तरदायी बनाने का विचार है । अतः इन के संधारण पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यय किये जाने की आशा नहीं है ।

ग्रामों में बिजली लगाना

*१३५ { श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मुरारका :

क्या योजना मंत्री १५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों तथा छोटे नगरों में बिजली लगाने की योजनायें के लिये राज्य सरकारों को किन शर्तों पर ऋण दिये गये हैं ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये सरकार का किन्हीं गैर सरकारी विद्युत् उपक्रमों को कोई ऋण देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) गांवों तथा छोटे नगरों में बिजली लगाने की योजना के लिए हाल ही में जो केन्द्रीय ऋण स्वीकार किये गये हैं, उन का प्रतिदान ३० वर्ष में होगा प्रथम पांच वर्षों में, ऋण की स्वीकृति के समय प्रचलित ब्याज-दर के अनुसार केवल ब्याज लिया जायेगा । तत्पश्चात् मूल राशि तथा ब्याज २५ समान किस्तों में लिया जायेगा ।

(ख) आज कल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महात्मा गांधी के सम्बन्ध में चल-चित्र

*१३५४. **श्री संगण्णा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सुविख्यात अमरीकी चलचित्र निर्माता, श्री ओटो प्रेमिंगर, ने महात्मा गांधी के जीवन पर एक वर्ष में एक चलचित्र बनाने के सम्बन्ध में सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निश्चय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) श्री ओटो प्रेमिंगर ने महात्मा गांधी के बारे में एक चलचित्र बनाने की अपनी इच्छा की सूचना दी है । प्रस्ताव यह नहीं है कि महात्मा गांधी को चल चित्र में सम्मिलित किया जाय अपितु यह है कि महात्मा गांधी के प्रवचनों का अन्य व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ा उसे दिखाया जाये ।

(ख) प्रस्ताव केवल एक विचार मात्र है और कोई पाण्डुलिपि तैयार न की गई है । जब पाण्डुलिपि प्रस्तुत की जायेगी तब सरकार उस पर विचार करेगी ।

भारतीय आर्थिक प्रतिनिधि मंडल

*१३५५. **डा० जे० एन० पारिख :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस भारतीय प्रतिनिधि ने, जिस ने यह अध्ययन करने के लिये यूगोस्लेविया का भ्रमण किया था कि वह देश अपनी आर्थिक योजना को कैसे कार्यान्वित कर रहा है, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) प्रतिवेदन तैयार हो रहा है ।

(ख) सरकार ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है ।

भारत पाकिस्तान सीमा

*१३५६. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के करीमगंज नगर से २० मील के भीतर पाकिस्तान सीमा पर जो पाकिस्तानी सेना पड़ी है, वह भारतीय नदी सरमा के आधे भाग पर अपने अधिकार का दावा कर रही है और क्या कुछ नौकायें रोक ली गई थीं तथा नाविकों सहित लोगों को परेशान किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). १९५० से पाकिस्तान सरकार यह कह रही है कि कटगांव-मुख तथा नटनपुर गांवों के बीच सरमा नदी की बीच धारा आसाम और पूर्वी बंगाल के बीच की सीमा होनी चाहिये, और वह इस बात पर समय-समय यह आपत्ति करती रही है कि इस पर भारत नियन्त्रण क्यों है । पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिक भी नदी में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछेरों तथा उस में चलने वाली नौकाओं के कार्य में अन्तर्बाधायें डालते र हैं । हाल में ही, पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने उस क्षेत्र में पड़ी हुई पाकिस्तान सीमावर्ती सेना की संख्या बढ़ा दी है ।

आसाम सरकार ने नदी पर पूर्ण रूप से भारतीय प्रभुत्व के खण्डन को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है । आसाम सरकार ने पूर्वी बंगाल सरकार से और कराची में भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान सरकार से पाकिस्तान की सीमावर्ती सेना की हाल में ही बढ़ाई गई संख्या और विद्यमान स्थिति को भंग करने के उन के प्रयत्नों का कड़ा विरोध किया है ।

आयात निर्यात मंत्रणा परिषद्

*१३५७. **श्री भीखाभाई :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनः संगठित आयात व निर्यात मंत्रणा परिषद् की सदस्यता के लिये किन किन व्यक्तियों का नाम निर्देशन हुआ है ; और

(ख) इन परिषदों के अधिकार तथा कार्य क्या क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]

(ख) आयात व निर्यात मंत्रणा परिषदें तो सर्वथा मंत्रणा देने वाली संस्थायें हैं। उन का संगठन आयात व निर्यात व्यापार की नीति तथा प्रक्रिया के मामलों में सरकार को मंत्रणा देने के लिये हुआ है।

कैलशियम कारबाइड

*१३५८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में (३१ अक्टूबर, १९५४ तक) देश में कितना कैलशियम कारबाइड बनाया गया ; और

(ख) स्वदेशीय तथा आयात किये गये माल के प्रचलित मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) लगभग ३४ टन।

(ख) स्वदेशीय ४५ रुपये प्रति हंडरवेट

आयात किया ६६–७० रुपये प्रति हुआ हंडरवेट

बाढ़ नियंत्रण

*१३५९. **श्री बर्मन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री निम्न बातों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण समिति ने अपनी बैठक में, जो नवम्बर, १९५४ में दिल्ली में हुई थी, किन किन विषयों पर विचार किया ;

(ख) विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्या क्या निरोधात्मक तथा रक्षात्मक कार्यों का सुझाव दिया ;

(ग) समिति का अन्तिम निश्चय क्या है ; और

(घ) उन निश्चयों के अनुसार, विशेषकर उत्तर बंगाल की नदियों के नियंत्रण के सम्बन्ध में, क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट, ५ अनुबन्ध सख्या ६९]

गोआ

*१३६०. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों गोआ, द्यो तथा दमन में हाल ही में पारपत्र प्रणाली लागू हो गई है, और उस के परिणामस्वरूप उन भारतीयों को, जो भारत आना चाहते हैं, बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं ; और

(ख) यदि हां तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सूचनानुसार पुर्तगाली प्राधिकारी पुर्तगाली बस्तियों से भारत को आने के लिये निकासी आज्ञापत्र के प्रकार की यात्रा आज्ञापत्र प्रणाली लागू करने वाले थे। प्रणाली के कार्यान्वित होने का दिनांक १ दिसम्बर, १९५४ बताया गया था जो बाद में बढ़ा कर १५ दिसम्बर कर दिया गया था। सरकार ने समाचारपत्रों में यह समाचार पढ़ा है कि प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण संभव है कि पुर्तगाली प्राधिकारी इस प्रणाली

को लागू करना अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दें ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूत्रबद्ध प्रचार कार्यक्रम

***१३६१. { श्री डी० सी० शर्मा : श्री हेम राज :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के सूत्रबद्ध प्रचार कार्यक्रम के अधीन चालू वर्ष में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) क्या इस वर्ष विकास योजनाओं तथा नदी घाटी परियोजनाओं पर के प्रलेख चलचित्र पर कुछ व्यय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में ३१ अक्टूबर, १९५४ तक ११,३१,५५९ रुपये व्यय किये गये ।

(ख) जी हां । पंच वर्षीय योजना के सम्पूर्ण कार्य पर, जिस में विकास योजनायें तथा नदी घाटी परियोजनायें भी सम्मिलित हैं, प्रलेख चलचित्र बनाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में ३१ अक्टूबर, १९५४ तक ४,३६,६२७ रुपये व्यय किये गये हैं ।

समुद्रपार के देशों में प्रचार

***१३६२. श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** १६ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तथा मध्यपूर्व के देशों में वैदेशिक प्रचार को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव किस प्रकार के हैं ; और

(ग) इन सुझावों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव यूरोप के तथा मध्य पूर्व के देशों में किये जाने वाले प्रचार को दृढ़ तथा उस का पुनर्नवीकरण करने के लिये ताकि उन की कार्यकुशलता बढ़ जाय ।

(ग) (१) बर्न स्थित हमारे मिशन में एक नये प्रचार (प्रकाशन) विभाग की स्थापना की गई है ।

(२) बोन तथा बीरुत स्थित हमारे मिशनों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर वहां के प्रकाशन विंगों (पाश्र्वों) की स्थिति मजबूत कर दी गई है ।

(३) बगदाद स्थित हमारे मिशन की प्रकाशन विंग जो अब तक एक कनिष्ठ पदाधिकारी अर्थात् सहायक प्रेस सहचारी के अधीन थी, अब वरिष्ठ प्रेस-सहचारी के अधीन रखी गई है ।

(४) यह निश्चय किया गया है कि सान फ्रांसिस्को स्थित महा वाणिज्यदूतावास में नियमित प्रकाशन विभाग की स्थापना की जाये ।

विद्युत् शक्ति

***१३६३. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये कुल कितनी विद्युत् शक्ति की मांग है, एवं किस प्रकार आजकल उस की पूर्ति की जाती है ;

(ख) नंगल जल-विद्युत् नहर से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली को दिल्ली में किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा ?

(ग) नंगल के दो बिजलीघरों से दिल्ली को कितनी बिजली मिलने वाली है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७०].

थोड़ी आय वालों के लिए सस्ते मकान

*१३६४. **श्री गणपति राम** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने थोड़ी आय वालों के लिये सस्ते मकानों वाली योजना में भाग लिया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : थोड़ी आय वालों के लिये सस्ते मकान वाली योजना २० नवम्बर, १९५४ को ही राज्य सरकारों को भेजी गई है, अतः इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि कौन से राज्य उस में सम्मिलित होंगे अथवा कौन से नहीं होंगे ?

गांवों में बिजली लगाना

*१३६५. **श्री संगण्णा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार को गांवों में बिजली लगाने के लिये ४०·०७ लाख रुपये का ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उड़ीसा में गांवों तथा छोटे छोटे शहरों में बिजली लगाने के लिये ४७·०७ लाख रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है।

(ख) स्वीकृत योजना का विस्तृत ब्यौरा एक विवरण में दिया गया है जो सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७१].

सीमाओं पर होने वाली मुठभेड़ें

*१३६६. **सरदार हुक्म सिंह** :
श्री एल० जोगेश्वर सिंह :
श्री एम० एल० अग्रवाल :
सरदार ए० एस० सहगल :
श्री रघु नाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़िला फीरोज़पुर में सतलुज नदी के भारतीय भाग में अभी हाल में भारत तथा पाकिस्तान निवासियों के बीच गोलियां चली थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार गोली चलने के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) यह गोली चलना कब बन्द हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) लगभग ११ घंटे तक गोली चलती रही और २७ नवम्बर, १९५४ को लगभग ५ बजे प्रातः बन्द हुई।

सिक्किम के लिए पंचवर्षीय विकास योजना

*१३६७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के लिये जो पंच वर्षीय विकास योजना है उस के लिये कोई धन मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने सिक्किम के लिये सात वर्षीय विकास योजना स्वीकृत की है जिस पर १९५४ से १९६१ की अवधि में लगभग दो करोड़ रुपया व्यय होगा। पहले दो वर्षों में तो ७७ लाख रुपया व्यय होगा और आगामी पांच वर्षों में शेष धन व्यय किया जायगा। इस योजना का उद्देश्य सिक्किम का सन्तुलित विकास करना है और विशेषतः संचार साधनों का विकास, सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं द्वारा कृषि का विकास, बागबानी, बीज के आलू उगाना, संतरे तथा सेव सहकारी संस्थाओं का संगठन तथा राष्ट्रीय विकास सेवा खंड की स्थापना करना है। फलों के परिरक्षण तथा उन को डिब्बों में बन्द करने के लिये एक कारखाने की स्थापना करनी है। जल विद्युत् उत्पन्न करना, डाक तथा तार-सेवाओं का बढ़ाना, शिक्षा, पशु चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, चिकित्सा सम्बन्धी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधायें देना और कुटीर उद्योगों का विकास करना भी इस योजना के अंग हैं। यह सम्पूर्ण सहायता वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता के रूप में दी जायेगी।

चाय अभिवृद्धि परिषद्

८२०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में चाय का प्रचार करने के लिए चाय परिषद् को १९५४-५५ में कितना धन दिया गया है;

(ख) परिषद् के कार्यों पर १९५३-५४ में कुल कितना धन व्यय हुआ है; और

(ग) अंशदान देने वाले तीन देशों ने इस व्यय में कितना कितना धन दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५४ में भारतवर्ष ने ४७५,००० डालर दिये।

(ख) तथा (ग).

भारतवर्ष	४५,००० डालर
श्रीलंका .	३५०,००० डालर
हिन्देशिया .	५०,००० डालर
अमरीकी चाय व्यापार	५२०,००० डालर
१९५३ का कुल व्यय	१,३७०,००० डालर

काश्मीर में शरणार्थी

८२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीरी क्षेत्र से १९४९ के बाद कुल कितने व्यक्ति जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आये ; और

(ख) उन को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) पाकिस्तान–अधिकृत काश्मीरी क्षेत्र से जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई क्रमबद्ध आंकड़े नहीं रखे हैं। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार १९४७ के बाद लगभग १,२१,००० व्यक्तियों के आने का अनुमान है।

(ख) (१) कृषि करने तथा घर बनाने के लिये प्रति परिवार को ५००) का पुनर्वास ऋण दिया गया है।

(२) परिवार में सदस्यों की संख्या तथा भूमि की किस्म के अनुसार प्रति परिवार को ४ से ६ एकड़ तक भूमि दी गई है।

(३) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए उपनगर बनाने के लिए योजना बनाई गई है।

औद्योगिक आवास योजना

८२२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक आवास योजना के लिए आर्थिक सहायता के अधीन पंजाब सरकार को अब तक कितना धन दिया गया है ; और

(ख) किस प्रकार इस का उपयोग हुआ है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पंजाब सरकार को औद्योगिक कर्मचारियों के निमित्त जो ३८२ छोटे-छोटे मकान बनाने के लिये ४·८२ लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं इतनी ही धन राशि का ऋण मंजूर हुआ था उस में से २·०२ लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में तथा ३·२६ लाख रुपये ऋण के रूप में अब तक पंजाब सरकार को दिये गये हैं।

(ख) यह धन अमृतसर में २०० तथा लुधियाना में १२४ मकान बनाने पर व्यय किया गया है। बटाला में अभी ५८ मकान बनाने शेष हैं।

चलचित्र संगीत

८२३. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चलचित्र संगीत का प्रसारण करने के लिए अब तक कितने चलचित्र निर्माताओं से करार किया है ; और

(ख) करार की क्या शर्तें निश्चित हुई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) कुछ दिन हुए जब कुछ चलचित्र निर्माताओं ने इस सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ की थी किन्तु अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेडियो सेट

८२४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५३ से अक्टूबर १९५४ तक कितने रेडियो सेटों का आयात किया गया है, तथा वे किन किन देशों से आये हैं ;

(ख) राज्यवार देश में कितने रेडियो सेटों के लिए अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में रेडियो अनुज्ञप्ति शुल्क बढ़ाने अथवा घटाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). वांछित जानकारी बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७२].

(ग) अनुज्ञप्ति शुल्क में संशोधन करने का प्रश्न सामान्यतः विचाराधीन है।

दामोदर घाटी निगम

८२५. **श्री एस० एन० दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि

(क) क्या, जैसा कि दामोदर घाटी निगम जांच समिति ने सिफारिश की थी

तिलैया विद्युत् केन्द्र को बोकारो से मिलाने के बारे में कोई निश्चय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क). जी हां ।

(ख) तिलैया विद्युत् केन्द्र को मुख्य दामोदर घाटी निगम विद्युत् लोहपंजर से बड़ही उपकेन्द्र पर जो बोकारो से गया जाने वाली १३२ किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन पर पड़ता लाया जायेगा । ट्रांसमिशन लाइन पर काम शुरू भी हो गया है ।

दामोदर घाटी निगम जांच समिति

८२६. **श्री एस० एन० दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री, सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि सरकार द्वारा नियुक्त दामोदर घाटी निगम जांच समिति ने तथा स्वयं निगम ने अपने से सम्बन्धित जो बहुत सी सिफारिशें की हैं, उन को क्रियान्वित करने के बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस० ५००/५४].

दामोदर घाटी निगम

८२७. **श्री एस० एन० दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाने की लागत में कमी करना सम्भव हो सका है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक, और

(ग) इस कार्य के आरम्भ होने के समय से पिछले वर्षों की लागत में कितना अन्तर पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मांगी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३].

दामोदर घाटी निगम जांच समिति

८२८. **श्री एस० एन० दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत ग्राम सहकारिता समितियों को, निगम के इंजीनियरों की देख-रेख में, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये मकान निर्माण करने का कार्य सौंपने के विषय में दामोदर घाटी निगम जांच समिति ने जो सिफारिश की थी, उस पर निगम द्वारा कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ग्राम सहकारिता समितियों को यह कार्य सौंपा गया है और उन में से प्रत्येक ने अब तक कितने कितने मकानों का निर्माण किया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । चूंकि दामोदर घाटी निगम जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों की ओर से अब तक मकानों के लिये कोई पसन्द प्राप्त नहीं हुई है, अतः निगम को उन के लिये मकान निर्माण कराने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ । विस्थापितों द्वारा मकानों की मांग की जाने पर इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिन्ध्य प्रदेश को अनुदान

८२९. **श्री रनदमन सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ी स्थानों के सुधार के लिये १९५४ में विन्ध्य प्रदेश को अब तक कुल कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) इस अनुदान की स्वीकृति का मुख्य प्रयोजन तथा उस की योजनाएं क्या क्या हैं ; और

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और कितना कार्य पूरा हो गया है ?

योजना उपमन्त्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). अमरकंटक का पहाड़ी स्थान के रूप में विकास करने के लिये १९५३-५४ (पुनरीक्षित प्राक्कलन) में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी और चालू वर्ष के आय व्ययक में भी एक लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है। राज्य सरकार की एक सूचना के अनुसार अभी तक इस पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ है।

बिजली

८३०. **श्री गिडवानी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५३ में सभी लोकोपयोगी विद्युत् केन्द्रों में कुल कितनी बिजली उत्पन्न की गयी थी ; और

(ख) इस में से कितनी विद्युत् उपभोक्ताओं को बेची गई थी ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). सूचना इस प्रकार है :—

उत्पन्न की गई बिजली ६ अरब ६९ करोड़ और ७० लाख किलोवाट ।

बेची गई बिजली ५ अरब ५९ करोड़ और ७० लाख किलोवाट ।

चाय उद्योग

८३१. **श्री वी० पी० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में १९५३-५४ में चाय के निर्यात से विदेशी विनिमय द्वारा प्राप्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) चाय उद्योग (बागानों तथा निर्माताओं) द्वारा ऊपर दिये हुए प्रत्येक वर्ष में मजरी का कुल कितना भुगतान किया गया है ; और

(ग) १९५२-५३ की तुलना में १९५३-५४ में सम्पूर्ण रूप से चाय उद्योग के लाभ का कितना अनुमान लगाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) । (क) २६·३ प्रतिशत ।

(ख) तथा (ग). मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नियुक्तियां

८३२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ५०० रुपये मासिक अथवा उस से अधिक वेतन (अस्थायी तथा स्थायी दोनों) वाले पदों पर पिछले चार वर्षों में मंत्रालय द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

सचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

हथकरघा उद्योग का वैज्ञानिकन

८३३. { **श्री एस० एन० दास :**
श्री एल० एन० मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के वैज्ञानिकन के लिये कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या इस विषय में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है ;

(घ) किन किन राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये हैं ;

(ङ) इस योजना के आर्थिक पहलू क्या हैं ; और

(च) क्या इस के फलस्वरूप होने वाली बेकारी के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (च). वस्त्र जांच समिति की रिपोर्ट की कंडिका ४७, ८१ तथा ८५ से ९९ में समिति ने हथकरघों को अर्द्ध-स्वचालित हथकरघों और विद्युत् से चलने वाले करघों के रूप में बदलने की एक योजना की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के लिये इस समय विचाराधीन है ।

समिति की रिपोर्ट पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है और उस का परिचालन सभी लोक-सभा के सदस्यों में किया जा चुका है ।

उड़ीसा में कुटीर उद्योग

८३४. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा की सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कोई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७४].

नदियों का जल विज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षण

८३५. **श्री घूसिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की वे नदियां कौन कौन सी हैं जिन का नदी घाटी योजनाओं के अन्तर्गत लाने के प्रयोजन से जल विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के आंकड़े एकत्र करने के लिये रेखा-चित्र पर्यवेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) वे नदियां कौन कौन सी हैं जिनका पर्यवेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ग) वे नदियां कौन सी हैं जिन के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये विदेशी सरकारों की अनमति प्राप्त करनी है ?

सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्रता से सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

औद्योगिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों के बीच समन्वय

८३६. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन मंत्री द्वारा २५ सितम्बर, १९५४ को १३वें रासायनिक इंजीनियरिंग और दिल्ली पोलीटेक्नीक के प्रौद्योगिकी संघ का उद्घाटन करते समय रखे गये इस सुझाव पर कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है कि औद्योगिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों के बीच समन्वय होना चाहिये जिस से योग्य टेक्नीशियनों को यथोचित काम में लगाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं। टेक्निकल कर्मचारियों की प्रशिक्षण सम्बन्धी सारी सुविधाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मूंगफली तथा अरण्डी के बीज

८३७. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली और अरण्डी के बीजों के निर्यात कोटे के लिये हैदराबाद के व्यापारियों का कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कुछ निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). इस प्रकार के कुछ अभ्यावेदन बहुत से स्थानों से बहुधा प्राप्त हुआ करते हैं। निर्यात के कोटे सामान्यतः उन ख्याति प्राप्त जहाज के समवायों को स्वीकृत किये जाते हैं जिन का विदेशी बाजारों से सम्पर्क रहता है और जो कोटे का सीधा उपयोग कर सकते हैं तथा नियमानुसार जिन लोगों के ऐसे सम्बन्ध नहीं हैं उन्हें कोटा नहीं दिया जाता है।

जापान से वार्ता

८३८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जापान के साथ भारत के सम्मिलित औद्योगिक उपक्रमों में उस के भाग लेने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक वार्ता हो चुकी है अथवा होने वाली है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं। जापान के साथ अब तक न तो कोई इस प्रकार की वार्ता हुई है और न भविष्य के लिये कुछ कह सकना ही सम्भव है।

ब्रिटिश गीआना

८३९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश गीआना के जाति-पाति सम्बन्धी तनाव पर ब्रिटिश गीआना कान्सटीट्यूशनल कमीशन, १९५४ की कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जिस को राबर्टसन कमीशन भी कहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन आरोपों का खण्डन करने के लिये कोई कार्यवाही की है जिस के लिये ब्रिटिश गीआना के भारतीय उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि गीआना ईस्ट इण्डियन एम्पायर का एक अंग हो जायेगा ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इंगलिस्तान की सरकार के पास कोई अभ्यावेदन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). रिपोर्ट में इस प्रकार के सीधे आरोप नहीं लगाये गये हैं । रिपोर्ट का तर्कसंगत सार इस प्रकार है :

> "अफ्रीकी उद्भव के गीआनावासी हमें यह बताने में भयभीत नहीं हुए कि ब्रिटिश गीआना के बहुत से भारतीय उस दिन की बाट जोह रहे हैं, जबकि गीआना ब्रिटिश राष्ट्रसंघ का नहीं वरन् ईस्ट इण्डियन एम्पायर का एक अंग बन जायेगा । इस का परिणाम यह हुआ है कि जाति-पाति सम्बन्धी तनाव का सुझाव बढ़ता गया है . . . "

ब्रिटिश गीआना के प्रमुख राजनीतिक दलों और बहुत से भारतीयों तथा अभारतीय संस्थाओं ने तथाकथित वक्तव्य का विरोध समाचार पत्रों के द्वारा तथा राबर्ट्स कमीशन के सदस्यों के पास, बिटिश गीआना के गवर्नर, इंगलिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकार के पास अभ्यावेदन भेज कर भी किया है । त्रिनिदाद के इण्डियन कमीशन ने भी स्थानीय समाचार-पत्र में इस का प्रत्युत्तर भेजा है । अतः ऐसी अवस्था में भारत सरकार कोई भी अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती है ।

पेट्रोलियम के उत्पाद

८४०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ के बाद से भारत में पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत का वार्षिक परिमाण कितना है ;

(ख) देशी उत्पादन से खपत का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है ;

(ग) अभी तक कितने नये कुओं का पता चला है ;

(घ) इन कुओं से अनुमानित उत्पादन कितना है ; और

(ङ) देश में उत्पादित कुल तेल का कितना भाग उड्डयन पैट्रोल (एवियेशन स्पिरिट) बनाने के योग्य है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह सूचना भारत संघ के मार्च, १९५४ के सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क राजस्व विवरण से प्राप्त की जा सकती थी, इस प्रकाशन की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में प्राप्त है ।

(ख) यह सात और दस प्रतिशत के बीच है ।

(ग) ऊपरी आसाम के नाहोरकटिया क्षेत्र में लगाये गये चार नये कुओं से तेल निकला है ।

(घ) उन का अनुमानित उत्पादन प्रति कुए में ५०० से ७०० बैरल प्रति दिन है ।

(ङ) इस में से अधिकतर तेल एवियेशन स्पिरिट बनाने के योग्य होता है ।

दामोदर घाटी निगम

८४१. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य नदी घाटी परियोजनाओं की अपेक्षा दामोदर घाटी निगम में सिंचाई की प्रति एकड़ लागत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम, हीराकुड तथा भाखड़ा नांगल परियोजनाओं के सिंचाई की प्रति एकड़ अनुमानित लागत को बताने वाला एक तुलनात्मक विवरण सभा पर रखा जायगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं श्रीमान् । वर्तमान सूचना के अनुसार दामोदर घाटी निगम में सिंचाई की प्रति एकड़ लागत अन्य नदी घाटी परियोजनाओं की लागत की तुलना में प्राय: एक जैसी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७५]. आंकड़े अनुमानित हैं ।

कोयला बोर्ड

८४२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से कोयला बोर्ड में कितने नये आदमी भर्ती किये गये हैं ; और

(ख) कोयला आयुक्त संगठन के कर्मचारियों में से उसमें कितने भर्ती किये गये ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) २४ ।

(ख) ८ ।

लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता के सार्टर और पैकर

८४३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय, कलकत्ता के सार्टरों और पैकरों को अर्धकुशल कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है ; और

(ख) उन का वेतन-स्तर क्या है?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सार्टरों और पैकरों को कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की श्रेणियों में नहीं बांटा गया है ।

(ख) ३०—१/२—३५ रुपये ।

छापेखाने

८४४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं । जहां इस मंत्रालय के नियन्त्रण के अधीन छापेखाने स्थित हैं ;

(ख) क्या इन में से किसी छापेखाने में शिशिक्षुओं (एप्रेंटिसों) को प्रशिक्षण देने का कोई प्रबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो कहां ;

(घ) इन छापेखानों में प्रतिवर्ष कुल कितने शिशिक्षु (एप्रेंटिस) लिये जाते हैं ;

(ङ) इन शिशिक्षुओं के लिये आवश्यक अर्हतायें क्या हैं तथा उन के प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ;

(च) क्या शिशिक्षा सामान्य जनता के लिये खुली हुई है; और

(छ) यदि हां, तो उन का चुनाव करने का क्या तरीका है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस मंत्रालय के नियन्त्रण के अधीन छापेखाने इन स्थानों

पर स्थित हैं :—

दिल्ली ३

कलकत्ता २

शिमला १

नासिक १

अलीगढ़ १

नीलोखेड़ी १ ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) कलकत्ता और नई दिल्ली स्थित मुख्य छापेखाने में ।

(घ) प्रतिवर्ष के आंकड़े भिन्न भिन्न होते हैं । युद्ध से पहले प्रति वर्ष एक शिशिक्षु भर्ती किया जाता था, किन्तु युद्ध काल में, भर्ती बन्द कर दी गई थी । उस के बाद से १९४८ में एक, १९४९ में दो, १९५१ में दो और १९५२ में चार शिशिक्षु लिये गये ।

(ङ) अभ्यर्थियों को स्नातक तथा १७–२२ वर्ष के आयु-वर्ग का होना चाहिये और प्रशिक्षण काल की अवधि चार वर्ष है जो उन औद्योगिक कर्मचारियों के लिये जो पहले से ही छापेखाने में काम कर रहें, कम कर के तीन वर्ष की जा सकती है ।

(च) हां, श्रीमान ।

(छ) विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने के बाद चुनाव नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री, द्वारा किया जाता है ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियां

८४५. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियों के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) औद्योगिक वित्त निगम से ऋण पाने के हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) विकास शाखा द्वारा विदेशी सहयोग से सम्बद्ध कितनी योजनाओं की जांच की गई और उन में से कितनी स्वीकृत की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ४९० ।

(ख) औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय के अधीन है और उसी से यह प्रश्न पूछा जा सकता है ।

(ग) ३२ ।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना

८४६. **श्री अच्युतन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विभिन्न योजनायें भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें किस प्रकार की हैं और प्रत्येक में कितना धन लगेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) और (ख). अभी तक तो त्रावनकोर-कोचीन सरकार से द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं की केवल रूपरेखायें ही प्राप्त हुई हैं । इन योजनाओं का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७६] .

राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम

८४७. **श्री भीखाभाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के लिये विभिन्न राज्यों के अनुसूचित

क्षेत्रों में से पिछड़े हुए क्षेत्रों को छांटने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों के नामों की एक सूची पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

योजना उपमंत्री श्री एस० एन० मिश्र) :(क) और (ख). राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के लिये क्षेत्रों को छांटना राज्य सरकारों का काम है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश को राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत लाने की इच्छा है ।

कपड़े की फर्में

८४८. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कपड़े की ऐसी कितनी फर्में हैं जो अभी तक विदेशियों के कब्जे में ह ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): सूचना एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

मोनाजाइट रज भांडार

८४९. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन के मोनाजाइट रज भांडारों को खोदने तथा उस का निर्यात करने में जो एजेन्सियां लगी हुई हैं उनके क्या नाम हैं ;

(ख) इन मोनाजाइट भांडारों में से थोरियम निकालने तथा उसे उपयोग में लाने के लिये अभी क्या प्रबन्ध है ; और

(ग) क्या किसी गैर-सरकारी एजेन्सी को अपने लेखे पर या सरकारी लेखे पर थोरियम को निर्यात करने की अनुमति दी गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) त्रावनकोर-कोचीन में त्रावनकोर मिनरल्स कन्सर्न्स लिमिटेड द्वारा पश्चिमी तट की रेत में से मोनाजाइट निकाला जाता है । मोनाजाइट का निर्यात निषिद्ध है ।

(ख) और (ग). मोनाजाइट त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अल्वाये स्थान पर स्थापित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा उस के संयन्त्र में तैयार किया जाता है । इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड एक ऐसा समवाय है जिस के शेयर पूर्णरूपेण भारत सरकार तथा त्रावनकोर-कोचीन सरकार के पास हैं । रेअर अर्थ और फॉस्फेट निकालने के बाद अवशेष थोरियम-यूरेनियम पपड़ी पर थोरियम-यूरेनियम संयंत्र में जो बम्बई के पास ट्राम्बे में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है, रासायनिक क्रिया की जायगी । जब तक यह संयंत्र कार्य प्रारम्भ न करे, तब तक इस पपड़ी पर फ्रांस में रासायनिक क्रिया कराने और तैयार उत्पादों को वापस मंगाने के अन्तरिम प्रबन्ध विद्यमान हैं । थोरियम का निर्यात नहीं किया जाता है । उस थोरियम नाइट्रेट को, जिस का उपयोग सड़क पर रोशनी करने तथा गैस के प्रकाश के लिये मेन्टिल बनाने में किया जाता है, सरकार की ओर से इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा निर्यात किया जाता है । किसी भी गैर-सरकारी एजेंसी या समवाय को इन उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति नहीं है । भारत निर्मित गैस मेन्टिल गैर-सरकरी कम्पनियों द्वारा निर्यात किये जाते हैं ।

अणु शक्ति सम्मेलन

८५०. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो :

(क) उन मुख्य विषयों की सूची जिन पर नवम्बर, १९५४ में अणु शक्ति सम्मेलन द्वारा "अणु शक्ति की शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के हेतु विकास" के सम्बन्ध में आयोजित किये गये सम्मेलन में चर्चा हुई थी ; और

(ख) वहां किये गये निर्णय किस प्रकार के थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी वह यह थे : अणु शक्ति विकास से सम्बन्धित सामान्य योजना; भूगर्भीय सर्वेक्षण; अणु धातुओं की खोज तथा निकासी निम्न स्तरीय धातु-प्रस्तरों को उच्च स्तरीय बनाना; यूरेनियम और थोरियम का निकालना तथा परिष्करण; अणु शक्ति में रसायन-शास्त्र का स्थान ; अणु शक्ति में धातु-कर्मिकता का स्थान ; रीएक्टरस; स्वास्थ्य सुरक्षण और अणु शक्ति का जैविकीय तथा चिकित्सकीय उपयोग ।

(ख) सम्मेलन में कोई निर्णय करने के अधिकार नहीं थे पर उपर्युक्त सभी विषयों पर चर्चा की गयी थी, और सम्मेलन में दिये गये रचनात्मक प्रस्तावों तथा सुझावों को नोट कर लिया गया है, और उन पर समुचित विचार किया जायेगा । कार्यवाही के एक संक्षिप्त विवरण को, जैसे ही वह तैयार होगा, सभा पटल पर रखने की प्रस्थापना है ।

औद्योगिक उत्पादन

८५२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में समग्र औद्योगिक उत्पादन का रुख कमी की ओर रहा है ;

(ख) १९५४-५५ में अब तक औद्योगिक उत्पादन का देशनांक ;

(ग) जनवरी, अप्रैल, अगस्त और नवम्बर, १९५४ के महीनों के देशनांक पृथक पृथक रूप से ; और

(घ) यह आंकड़े गतवर्ष की तत्स्थानी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ). औद्योगिक उत्पादन के देशनांक औद्योगिक सांख्यकी निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रति मास संकलित तथा मैनेजर आफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित "भारत के चुने हुए उद्योगों के उत्पादन के मासिक देशनांक" नामी प्रकाशन में दिये गये हैं । इस प्रकाशन की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

Friday,
17th December 1954

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 7-4-93
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
शंकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४२
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुर:स्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा से सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

	स्तम्भ
श्री पाटस्कर . .	२७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू .	२७६३
श्री टेक चन्द . .	२७६३
वाद-विवाद स्थगित	२७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . .	२७६४–६५, २७६४
डा० काटजू	२७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित	२७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६७–६९
डा० एन० बी० खरे	२७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई	२७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित	२७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—प्रसमाप्त . .	२७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . .	२७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर	२७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित	२७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७८०
श्री डी० सी० शर्मा	२७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई	२७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी	२७८७
राज्य-सभा से सन्देश	२७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . .	२७८८

लोक सभा

शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीनहुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

---

१२ बजे मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव

पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का बुलाया जाना

अध्यक्ष महोदय: श्री ए० के० गोपालन ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उसके सम्बन्ध में माननीय गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): चूंकि कलकत्ता सशस्त्र पुलिस के एक कांस्टेबल को कम्पनी मैस समिति का पैसा खाने के कथित आरोप पर मैस सचिव के पद से हटा दिया गया था, इस लिये समिति ने उसे उधार खाना देने से इनकार कर दिया था। कांस्टेबल काम के समय में खाना खाने के लिये बाहर जाना चाहता था किन्तु उसे अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उसने कहा कि वह बीमार है, अतः उसे अस्पताल भेजा गया जहां उस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और पुलिस के दो उपायुक्तों की प्रार्थना पर भी उसने खाना न खाया। उसने कहा कि उसे कुछ शिकायतें हैं किन्तु उस ने उन्हें प्रकट न किया। १० दिसम्बर १९५४ को उस कम्पनी के अन्य सिपाहियों ने सहानुभूति के रूप में भूख हड़ताल शुरू कर दी किन्तु वे अपना सामान्य कर्तव्य पूरा करते रहे। १० दिसम्बर की शाम तक भूख हड़ताल कलकत्ता पुलिस के तीनों सशस्त्र बटालियनों में जिन में ३००० सिपाही थे फैल गई। बाद में २००० बिना शस्त्र पुलिस भी भूख हड़ताल में सम्मिलित हो गई। भूख हड़ताल केवल कांस्टेबलों तक सीमित रही। शाम को भूख हड़ताली सिपाहियों के एक दस्ते ने जो अलीपुर टकसाल पर पहरा दे रहा था, अपने बदले में दूसरे लोगों को जो कि हड़ताल में सम्मिलित नहीं थे कार्य भार सौंपने से नकार कर दिया। स्थिति पर क़ाबु पाने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह आवश्यक समझा कि टकसाल के आज्ञा का उल्लंघन करने वाले पहरेदारों को तत्काल निश्शस्त्र कर दिया जाये और सब पुलिस शस्त्रागारों पर नियन्त्रण कर लिया जाये। इस प्रयोजन के लिये १० दिसम्बर, की रात को २०वीं डिवीज़न फोर्ट विलियम, कलकत्ता के कार्यकारी कमाण्डर से औपचारिक रूप से सैनिक सहायता

[डा० बटजू]

के लिये प्रार्थना की गई । ११ दिसम्बर १९५४ को ७ बजे प्रातः सेना के जवानों ने बिना किसी घटना के पुलिस के पहरेदारों को निश्शस्त्र कर के अलीपुर टकसाल और कलकत्ता के सब पुलिस शस्त्रागारों पर पहरेदारी का काम संभाल लिया ।

उसी दिन बाद में पुलिस के आयुक्त और महा निरीक्षक ने भूख हड़ताली सिपाहियों को भाषण दिया । राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि उन के वेतन आदि के सम्बन्ध में ३० अप्रैल १९५५ को निर्णय दिया जायेगा और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रिहा कर दिया जायेगा भूख हड़ताल उसी शाम को पूर्णतया समाप्त कर दी गई थी । अलीपुर टकसाल और शस्त्रागारों से सेना रात के ९ बज कर ४० मिनट पर हटा ली गई थी ।

बाद में हावड़ा पुलिस बल की सशस्त्र शाखा के सिपाहियों ने १२ दिसम्बर १९५४ से भूख हड़ताल कर दी और यह मांग की कि उन के वेतन में वृद्धि के सम्बन्ध में तत्काल घोषणा की जाये । पुलिस के महानिरीक्षक के आश्वासनों और सरकार के द्वारा इस प्रैस नोट के बावजूद कि वेतन के सम्बन्ध सरकार का निर्णय पश्चिमी बंगाल पुलिस पर भी लागू होगा, उन्हों ने भूख हड़ताल समाप्त करने से इन्कार कर दिया । १३ की शाम को ८ बजे तक ८०० व्यक्ति भूख हड़ताल पर थे । १३ दिसम्बर की रात को पश्चिमी बंगाल की सरकार ने औपचारिक रूप से सैनिक सहायता के लिये प्रार्थना की । १४ दिसम्बर को ७ बजे प्रातः सेना ने जिला सशस्त्र पुलिस को निश्शस्त्र कर दिया और हावड़ा जिला पुलिस लाइन्स और शिवपुर इंजीनियरिंग कालेज के पुलिस शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया । इम्पीरियल बैंक के हावड़ा कोष पर भी पहरेदारों के स्थान पर सेना लगा दी गई थी ।

उसी दिन शाम को अर्थात् १४ को ६ बजे सायं सेना के पहरेदार हटा लिये गये थे और सशस्त्र पुलिस पुनः नियुक्त कर दी गई थी ।

इस बीच हुगली, २४-परगना, मुर्शिदाबाद बांकुरा के जिलों से और मिदनापुर जिले के दो सब-डिवीजनों अर्थात् झाड़ग्राम और तामलूक से ये समाचार प्राप्त हुये थे कि कुछ सिपाही भूख हड़ताल कर रहे हैं । अन्तिम समाचारों से पता चलता है कि हुगली, बांकुरा और मिदनापुर जिलों में स्थिति में सुधार हुआ है । बांकुरा में उन सब सिपाहियों ने जिन्होंने १४ को दोपहर का खाना नहीं खाया था, उसी दिन रात को खा लिया था । हुगली में भूख हड़तालियों की संख्या १००० से लगभग ४०० तक रह गई है । झाड़ग्राम सब-डिवीजन में और मिदनापुर जिले के हिजली पुलिस स्टेशन में भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है । किन्तु बताया जाता है कि सियालदा रेलवे पुलिस और पुलिस ट्रेनिंग कालेज, बेरकपुर की सशस्त्र पुलिस बटालियन ने १५ तारीख से उपवास करना शुरू कर दिया है । वे काम के लिये उपस्थित हुये हैं और स्थिति शान्तिपूर्ण है । हावड़ा, हुगली, २४-परगना और मुर्शिदाबाद में शस्त्रागारों और खजानों पर अब सशस्त्र पुलिस का पहरा है ।

लगभग एक घंटा पहले यह समाचार प्राप्त हुआ है कि पिछली रात पश्चिमी बंगाल सरकार ने ४०० हड़तालियों को गिरफ्तार करने के लिये सेना की सहायता मांगी है । उन्हें आज प्रातः गिरफ्तार किया गया है । गड़बड़ वाले क्षेत्र को घेरने के

लिये और असैनिक पुलिस को सहायता देने के लिये १ बजे से साढ़े पांच बजे प्रातः तक सैनिक बुला लिये गये थे। गिरफ्तारियों के समय कोई घटना नहीं हुई। स्थिति शान्तिपूर्ण बतलाई जाती है। इन के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल पुलिस ने हावड़ा के अन्य स्थानों पर बिना किसी सहायता के लगभग १०० व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं और कहीं कोई घटना नहीं हुई।

अन्य स्थानों पर भूख हड़तालियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और बैरकपुर और सियालदा में भोजन करना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय सेना का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ?

डा० काटजू : जी नहीं। सेना केवल गिरफ्तारियां करने के लिये आई थी।

श्री ए० के० गोपालन : मेरा निवेदन है कि यह एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है क्योंकि एक स्थान पर सशस्त्र पुलिस में असन्तोष होने से देश भर की सशस्त्र पुलिस में असन्तोष फैल जायेगा। आप इस बात पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविक स्थिति यह है कि पुलिस चाहे वह सशस्त्र है या नहीं, पश्चिमी बंगाल सरकार के क्षेत्राधिकार में है और उस की शिकायत की जांच करना उस सरकार का काम है। जहां तक पुलिस प्रशासन का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार के सैनिक प्राधिकारियों का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, सैनिक प्राधिकारियों को यह हिदायत है कि वे केवल शान्ति बनाये रखने के लिये असैनिक प्राधिकारियों की सहायता के लिये जा सकती है। जब पश्चिमी बंगाल सरकार ने सैनिक सहायता मांगी थी तो कैसे इनकार किया जा सकता था। अब चूंकि सेना हटा ली गई है, इस लिये इस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं रही। मैं इस प्रस्ताव के लिये स्वीकृति नहीं देता।

पटल पर रखे गये पत्र

खनिज कनसेशन नियमों में संशोधन

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन, खनिज कनसेशन नियम १९४९ में कुछ और आगे संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं।

(१) अधिसूचना संख्या एम २—१५२(४८)।५४ दिनांक २३ सितम्बर, १९५४।

(२) अधिसूचना संख्या एम २—१५२(२३९)।५३, दिनांक, १३ अक्तूबर, १९५४।

(३) अधिसूचना संख्या एम २—१५२(४५)।५४, दिनांक ५ नवम्बर, १९५४।

(४) अधिसूचना संख्या एम २—१५९(१३)।५४ दिनांक, २४ नवम्बर, १९५४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस–४९८ / ५४]

१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब सदन अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर और आगे चर्चा आरम्भ करेगा।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मांग संख्या १२४ पर चर्चा करते समय मैं कह रहा था कि बाहर से चीनी आयात करने पर जो व्यय किया जाता है, वह हमारी खाद्य व्यवस्था के लिये श्रेयस्कर नहीं है। इस समस्या का हल तो गन्ना उत्पादकों, मिल मालिकों और उपभोक्ताओं के बीच उचित समझौते से होना है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

म इस प्रश्न के विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार को गन्ना उत्पादकों की शिकायतें दूर करनी चाहियें। सरकार को यह भी प्रबन्ध करना चाहिये कि चीनी की मिलों में उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक उत्पादन हो। यदि ऐसा किया जाये, तो इस देश में इतनी बड़ी मात्रा में चीनी आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सरकार ने चीनी की नई मिलें स्थापित करने की जो नीति निर्धारित की है, उस में भी यथासम्भव अधिक से अधिक उदारता लानी चाहिये। मे । एक सुझाव यह है कि जिस तरह हम चावल की कृषि के लिये जापानी ग का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह गन्ने की कृषि के लिये भी हमें जापानी ढंग अपनाना चाहिये ताकि प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बढ़ सके। स समय यह उत्पादन बहुत कम है। इस प्रयोजन के लिये मैं सरकार से कहूंगा कि गन्ने ी कृषि के तरीक़ों का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल जावा में भेजा जाये। कुछ भी हो चीनी का आयात शीघ्र से शीघ्र बन्द होना चाहिये।

मांग संख्या ५९ के बारे में मैं एक शब्द कहूंगा। कहा गया है कि इस देश में बच्चों के लिये फिल्में बनाई जायेंगी। इस प्रयोजन के लिये जो अनुदान दिया गया है, वह यदि पूर्णतया नहीं तो कुछ पहलुओं से अवश्य वांछनीय है, क्योंकि फिल्में हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन चुकी हैं। स समय हमारे बच्चे जो फिल्में देखते हैं वह बहुत हानिकारक होती हैं। उन के लिये ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहियें जो उन की रुचि के अनुकूल हों। मैं नहीं कह सकता कि फिल्म संस्था द्वारा जो फिल्में बनाई जायेंगी वे उचित स्तर ी होंगी या नहीं किन्तु सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को इस मामले की गम्भीरता को अनुभव करना चाहिये। वास्तव में इस मामले से स मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा और गृह-कार्य मंत्रालयों का भी सम्बन्ध है। मेरा सुझाव है कि बच्चों की फिल्मों के सारे मामले पर विचार करने के लिये इन तीन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित करनी चाहिये और इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि बच्चों को केवल वही फिल्में दिखाई जायें जिन से उन पर अच्छा प्रभाव पड़े।

सरदार लाल सिंह (फीरोज़पुर—लुधियाना) : मैं चीनी के आयात सम्बन्धी मांग का विरोध करता , क्योंकि हमें चीनी का आयात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। हमें स बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिये, क्योंकि स के एक तो रोज़गार बढ़ेगा और दूसरे विदेशी विनिमय की बचत होगी। हमें यह देख कर सन्तोष होता है कि हमारा देश खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो गया है, किन्तु चीनी उद्योग की अवस्था कुछ ीक नहीं है। १९४० से १९५१–५२ तक हम आत्मनिर्भर थे। १९५१–५२ में हमारा चीनी का उत्पादन १५ लाख टन था, और सरकार को सके निर्यात की बात सोचनी पड़ गई थी। उसके पश्चात् चीनी मिलों की संख्या और भी बढ़ चुकी

है, अतः उत्पादन भी बढ़ना चाहिये था, किन्तु १९५२ में सरकार ने गन्ने का मुल्य २५ प्रतिशत टा कर स उद्योग को दबा दिया है। चीनी का उत्पादन घट कर १० लाख टन रह गया है। स कमी के फलस्वरूप हमें चीनी का आयात करना पड़ रहा है। सितम्बर, १९५३ से दिसम्बर, १९५४ तक लगभग ८½ लाख टन चीनी आयात की जा चुकी । से समय में जब कि बेरोज़गारी का भूत हमारे सामने खड़ा है और जब कि हमें अपनी अविलम्बनीय आवश्यकताओं के लिये विदेशीय विनिमय की बचत करनी चाहिये, क सी वस्तु का निर्यात करना जिसका चाहो जितना उत्पादन यहीं किया जा सकता है नितान्त अनुचित है। यह देख कर कितना दुःख होता है कि एक ओर चीनी की खपत ब कर २० लाख टन हो चुकी है और दूसरी ओर मका उत्पाद घट कर १० लाख टन ही रह गया । वह देश जो गत पन्द्रह वर्षों में स पदार्थ के लिये स्वावलम्बी था आज ५० तिशत कमी का सामना कर रहा है। गन्ने का मूल्य घटने से कृषकों को ी फसल में पन्द्रह करोड़ रुपये की हानि हुई है किन्तु उपभोक्ताओं को चीनी सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं हो सकी। जिनके लिये गन्ने का मूल्य घटाया गया था उनको पहले से भी अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। उधर मिलों वाले और व्यापारी लोग लाभ उ ा रहे । न लोगों ने खूब रुपया कमाया है।

इस के पता चलता कि एक रुपया सात आने गन्ने के लिये लाभप्रद मूल्य नहीं है। हैदराबाद राज्य चीनी मिल को ३० से ४० प्रतिशत लाभ अ। है किन्तु उन्हें अपने गन्ना फार्म में हानि रही है। बम्बई राज्य में स्थित बालचन्द नागर फार्म का भी यही अनुभव है। भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने भी अपनी हाल ही की बठक में यह सिफारिश की है कि गन्ने का मूल्य १ पया १२ आना ति मन से अधिक नहीं ोना चाहिये। यह स्पष्ट है कि चीनी के कारखानों को अच्छा लाभ आ है पर कृषकों को हानि रही और उपभोक्ताओं का बहुत अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। निःसन्देह देश को चीनी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना आयोग १९६० में चीनी का उत्पादन २५ लाख टन होने की आशा करता है। आज चीनी का उत्पादन १०–११ लाख टन है अतः १९६० में उत्पादन २५ लाख टन तक बढ़ा लेना खिलवाड नहीं है। कृषकों को भी सन्तुष्ट करना आवश्यक और सके लिये गन्ने का मूल्य भी बढ़ाना होगा।

गत दो-तीन वर्षों से उत्तरी भारत के गन्ना पैदा करने वालों ने आन्दोलन किया कि चीनी के मिलों में जो अतिरिक्त लाभ होता है उसका अंश उन्हें ी मिले। सरकार ने उस आन्दोलन की मांगों को स्वीकार किया। पर सरकार के उस नये हल से भी गन्ना उत्पन्न करने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ। चीनी का भाव ३१ पये प्रित मन और गन्ने का दाम १ पया १२ आना प्रित मन था, पर अब, जब कि चीनी का भाव वही ३१ पये प्रति मन है, गन्ने का भाव १ पया ८ आना ९ पाई प्रतिमन से अधिक न ीं है। उक्त भाव वहां का है जहां सरकार ने अधिकतम प्रतिशत दर नियत कर दिया है और जहां अधिकतम तिशत ५३ है वहां पर गन्ने का भाव १ पया ७ ाने से भी कम पड़ेगा। कृषक सके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। स महीने की १९ तारीख को देश के सभी प्रान्तों के गन्ना पैदा करने वाले दिल्ली में क ठे हो रहे हैं। अतः सभी माननीय सदस्यों और सम्बन्धित मंत्री से निवेदन है कि उनकी बातें सुनें।

निःसन्देह सरकार को देश की खाद्य स्थिति सन्तोषजनक बनाने का श्रेय है पर

[सरदार लाल सिंह]

चीनी के सम्बन्ध में सरकार की नीति से सभी को असन्तोष है । आशा है सरकार शीघ्र ही स नीति को छोड़ कर एक समुचित नीति को अपनायेगी ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : निर्यात अभिवृद्धि को स्थापित करने के लिये एक लाख रुपये की मांग के सम्बन्ध में हमें कुछ कहना है मैं स प्रथा का विरोधी नहीं हूं पर देखता हूं कि सरकार बिना वास्तविक कारण का पता लगाये निर्यात अभिवृद्धि परिषदें बना देती है । पर उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता ।

जहां तक काजू उद्योग का सम्बन्ध है, हमें सके लिये अन्य देशों में बाजार ढूंढना पड़ेगा । हमारे देश में लगभग ६०,००० टन कच्चा काज पैदा होता है पर इससे काजू उद्योग का काम भली भांति नहीं चल सकता । कम-से-कम ५०,००० टन काजू हमें आयात करना पड़ता है । सी ५०,००० टन काजू के सम्बन्ध में हमें कुछ करना भी चाहिये । मसाला जांच समिति ने स ओर संकेत किया था । अपने देश में पैदा होने वाले ६०,००० टन काजू से हमारा काजू उद्योग केवल तीन चार महीने चल सकता है और आयात किये गये काज के सहारे कुल ९ हीने तक चल सकता है । शेष समय यह उद्योग प्प पडा रहता है ।

त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास राज्य में क्रमशः १,३५,००० एकड़ों और १,३५,००० एकड़ों से कुछ अधिक भूमि में काजू की खती होती है । अतः यदि २,००० या ३,००० एकड़ से अधिक भूमि में बागानों के तरीके या बड़े पैमाने पर उसकी खेती शुरू कर दी जायेगी तो शेष बागान एक, आधे और चौथाई एकड़ों के ही रह जायेंगे और सका असर सामान्य ग्रामीणों और श्रमिकों पर पड़ेगा ।

आयात किये गये ५०,००० टन काजू से ही सारा बाज़ार संभाला जाता है । बम्बई की कुछ व्यापारिक संस्थायें पूर्वी अफ्रीका से काजू का आयात करती हैं और जब हमारे देश का सारा काजू उद्योग समाप्त हो जाता है और बाज़ार ठप्प हो जाता है, उस समय यह अमेरिका से प्राप्त आदेशों पर उद्योगपतियों के दामों से कम दामों पर काज का निर्यात करते हैं । बेचारे उद्योगपति आयात किये गये काजू पर कोई लाभ नहीं उठा सकते । अतः वह अपनी हानि की पूर्ति के लिये काजू पैदा करने वालों से बहुत कम दामों पर काजू खरीदने लगते हैं इससे कृषकों को हानि होती है । अतः मैं चाहता हूं कि यदि सरकार इस उद्योग के कृषकों की सहायता करना चाहती है तो उसे काजू के आयात पर नियंत्रण लगा देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या दो तीन व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य किसी को आयात अनुज्ञप्तियां न दी जायें ?

श्री पुन्नूस : भारत सरकार आयात का भार अपने ऊपर ले और बम्बई की व्यापारिक संस्थाओं के काधिकार को तोड़ दे ।

काली मिर्च के लि भी हमें अन्य बाज़ार तलाश करने पड़ेंगे । यूरोप और एशिया के देश इसके लिये अच्छे बाजार हैं । इस उद्योग के सम्बन्ध में भी एक कठिनाई है कि साधारण ग्रामीण कृषक इसमें भी घाटा उ ता है । सौदागर उन्हें फसल तैयार होने के पूर्व अग्रिम धन दे देते हैं और तैयार फसल को सस्ते दामों पर क्रय करते हैं । इस प्रकार वायदे के सौदे की प्रणाली से ग्रामीण कृषकों को हानि होती है । सरकार को चाहिये कि ग्रामीण किसानों का हित सुरक्षित रखे । मलाबार की काली मिर्च पर हमारा एकाधिकार है । हम एक संगठन

तैयार करें जो इस काली मिर्च का सौदा विदेशों से करे। ग्रामीण कृषकों को भी एक नियत दर का आश्वासन दिया जाना चाहिये, चाहे वह दर बहुत थोड़ी ही क्यों न हो। इस प्रकार की एक समिति बनाई जानी चाहिये जिसमें ग्रामीण कृषकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अतः सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के एकाधिकारों को तोड़ कर ग्रामीण कृषकों, व्यापारियों और उद्योगपतियों की सहायता करे। इन परिस्थितियों में मैं इस मांग का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : मैं मांग संख्या १२४ का विरोध करता हूं। इस मांग में ११.४ करोड़ रुपये के व्यय की मांग चीनी के आयात के लिये की गयी है।

मैं उत्तरी भारत के चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों से गन्ना उगाने वालों को बहुत कम दाम दिया जा रहा है। गत वर्ष श्री किदवई ने किसी प्रकार परिस्थिति संभाल ली थी। १९४९ या १९५० में जो चीनी की धांधली हुई थी तब से हमारी चीनी सम्बन्धी नीति अनिश्चित ही है। गन्ना उत्पादकों को कम-से-कम १ रुपया १२ आना या दो रुपया प्रति मन अवश्य मिलना चाहिये। अभी हाल में ही बिहार के कृषि मंत्री ने कहा कि १ रुपया ७ आना प्रति मन की दर से गन्ना उत्पादक गन्ना नहीं दे रहे हैं अतः इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कम चीनी पैदा हुई।

सौभाग्य की बात है कि अब हमारी सरकार की समझ में यह बात आई है कि दक्षिण भारत गन्ने के लिये अच्छा स्थान है। जब तक चीनी उद्योग को उष्ण कटिबन्ध में न ले जाया जायेगा उसका उत्पादन ६०, ७० या ८० टन तक नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा किये बिना हम चीनी का मूल्य अन्य देशों के चीनी के मूल्य के बराबर नहीं ला सकते।

उत्तरी भारत की जलवायु गन्ने के लिये उपयोगी नहीं है। पुरानी बंगाल और उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रत्येक स्टेशन के पास एक दो चीनी के कारखाने पाये जाते हैं। पर इन कारखानों के स्थापित करने वालों को इस उद्योग के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं था। अब हमारी राष्ट्रीय सरकार है। दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल में बहुप्रयोजनीय योजनाओं के लिये बहुत सी जमीन ठीक की जाने वाली है उसी में चीनी के कारखाने बनाये जायें। इन क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन से करोड़ों रुपये की बचत हो सकेगी।

मैं सरकर को सी लिये दोषी ठहराता हूं कि पिछले ५ वर्षों से उसकी यह नीति सदैव ढुलमुल रही है। मुझे आशा है कि भविष्य में वह उसे ठीक कर लेगी।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांग संख्या ६१, ६३ और ६४ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमें इन मांगों पर कोई आपत्ति नहीं है यदि उनका उचित प्रयोग किया जाय।

मांग संख्या ६४ में संयंत्र तथा मशीन विदेशालय नामक एक नया विभाग खोलने की बात कही गई है। इस समय इस निदेशालय के खोलने में केवल ३१,००० रुपये लगेंगे। इसमें एक निदेशक एक उपनिदेशक और ५ सहायकों की आवश्यकता है। इन निदेशालयों का काम संयंत्रों का रूपांकन करना, नक्शे तथा सामान तैयार करना, विदेशी सहायता के अधीन मशीनें मंगाना मशीन और खाली पुर्जों के बनाने के कारखानों की योजना बनाना और सामान तथा खाली

[श्री मुहीउद्दीन]

पुर्जों का प्रमापीकरण करना होगा । मैं नहीं समझता कि कैसे यह छोटा सा निदेशालय यह सब काम कर पायेगा । उद्योग मंत्रालय में विकास विंग (पार्श्व) है, क्यों न यह सब काम उसको सौंपा जाय । फिर प्रारम्भ में लगभग ३१,००० रुपये लगेंगे पर बाद में इतने कम कर्मचारियों द्वारा काम पूरा नहीं हो पायेगा इस लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा ।

भारत के विभिन्न भागों में सिचाई परियोजनाओं की अनेक योजनायें विचाराधीन हैं । इन योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र दी जानी चाहिए । इस से बेकारी की समस्या में कुछ सुधार हो जायेगा ।

ुट २०, पर ४१,४०० रुपये की मांग प्रचार कार्य के लिये की गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व संसद् ने पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी प्रचार कार्य के लिये पर्याप्त धन सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मंजूर किया था अतः मैं चाहता हूं कि यह कार्य वही मंत्रालय क्यों न करे और प्रत्येक मंत्रालय को अलग अलग राशि क्यों मंजूर की जाय ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): हमने यह मामला तय कर लिया है ।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि निर्यात अभिवृद्धि परिषदों का प्रश्न सभा के सामने चर्चा के लिये उठाया गया है क्योंकि इस प्रकार हमें एक अवसर मिला है कि हम इन निर्यात अभिवृद्धि परिषदों के बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकें । जैसा कि सभा को विदित है, कुछ वस्तुओं के विशेषज्ञों में हम विशेष रुचि रखते हैं । जिन वस्तुओं को हमने चुना है वे उसी श्रेणी की हैं जिनके लिये हम निर्यात अभिवृद्धि परिषद स्थापित करने जा रहे हैं । इस प्रयोजन के लिये चुनी गयी वस्तुयें सूती कपड़ा, अच्छे रेशमी कपड़े, तम्बाकू, काली मिर्च, काजू, लाख, साधारण इंजीनियरिंग का सामान, प्लास्टिक का सामान, अभ्रक और खेलों के सामान हैं ।

सूती कपड़े और अच्छे रेशमी कपड़ों के लिये हम पहले ही निर्यात अभिवृद्धि परिषद स्थापित कर चुके हैं वस्तुतः इन वस्तुओं के बारे में निर्यात बाज़ार में भिन्न भिन्न अनुभव हुये है । हम लोग सूती कपड़े और अच्छे रेशमी कपड़ों के निर्यात में स्वभावतः अधिक चि रखते हैं क्योंकि वे विदेशी विनिमय के महत्वपूर्ण आय की मद है । हमारी वस्तुयें बहुत बढ़िया होती हैं और विदेशी बाजारों में वे बहुत सर्वप्रिय हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक कोई ऐसा संग न न ो जो निर्यात की अभिवृद्धि की देखभाल करने में चि रखे, तब तक निर्यात के काम में उन्नति नहीं होगी ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है हाल ही में घटिया क़िस्म का तम्बाकू होने के कारण उसकी मांग नहीं हुई और वह बिना बिक्री पड़ा रहा । यह एकत्रित मात्रा २ करोड़ ५० लाख पौण्ड से ३ करोड़ पौण्ड के बीच थी । हाल ही में हमारा क तिनिधिमण्डल चीन गया था और २००० टन घटिया क़िस्म का तम्बाकू चीन को बेचा गया है । केवल स प्रकार का प्रयत्न ही काफी नहीं है और यह मामला एक परिष की स्थापना कर उसमें विचार करने के लिये छोड़ दिया गया है । जैसा कि निस्सन्देह माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, हाल के वर्षों में लाख में भी उसकी मात्रा में २५ प्रतिशत और हमारे निर्यात के मूल्य में लगभग ५० प्रतिशत कमी हो गई है । अमरीका और इंगलिस्तान हमारे माल के मुख खरीदार हैं । कुछ इस प्रकार की आशंका की गई है कि इसके स्थान पर कोई नक़ली चीज़ का

योग करने से और लाख उत्पन्न करने वाले अन्य क्षेत्रों से हमें ति द्विता का सामना करना पड़े ।

मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस काली मिर्च और काजू के सम्बन्ध में बहुत कुछ बोले थे । उन्होंने ो बातों को एक ही में मिला दिया है । पहली यह कि हमें भारत के बाहर के देशों में काजू की मांग के लिये प्रचार करना । कुछ देश काजू के शौकीन हैं भी, यद्यपि अमरीका ने स व पहले की अपेक्षा कम मात्रा में काजू लिया है । अतः हमें विदेशों में काजू का उपयो ा बढ़े सके लिये विशे रूप से प्रयत्न करना है । श्री पुन्नूस आयात लाइसेंस सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के विषय में कहना चाहते थे । यह सच है कि हमारे बम्बई के आयातकों के प्रतिनिधि पूर्वी अफ्रीका में भी हैं । वास्तव में यह वही एजेंसी है जो पूर्वी अफ्रीका में काजू जमा करने का कार्य करती है और जो भारत को माल भेजती । असली बिक्री के योग्य बनाने वालों की कठिनाइयों को कम करने के लिये हाल ही में हमने उन्हें ५० तिशत लाइसेंस दिये, जिससे कि असली आयातक बिक्री के योग्य बनाने वालों से बहुत अधिक मूल्य न वसूल कर सकें । किसी भी प्रकार काजू की बिक्री के योग्य बनाने वाले लोग उन्हें निर्धारित किया गया ५० तिशत का पूरा कोटा नहीं आयात कर सके । किन्तु इतना ही काफी नहीं वरन् हमें विदेशों में सके उपयोग का प्रचार करना है । काली मिर्च का भी निर्यात इस समय बन्द हो गया है । १९४९-५० में १५,६३१ टन काली मिर्च का आयात किया गया था । १९५३-५४ में यह मात्रा घट कर १२,४४७ टन रह गई । युद्ध के पश्चात् तत्काल ही हमारा एक कार से एकस्व था किन्तु अब अन्य काली मिर्च के उत्पादन ... भी अपना माल बाजार में भेजने लगे हैं । हा ही में हमारी एक गरम मसाला जांच समिति ने बहुमूल्य कार्य किया है । उसने कुछ सुझाव भी दिये हैं । काली मिर्च और काजू के नि ति में वृद्धि करने के लिये मुझे विश्वास है कि सभा स बात से सहमत ोगी, ऐसी परिष लाभदायक सिद्ध ोंगी ।

१९५१-५२ में हमने अभ्रक भी ४.०७ लाख हंडरवेट भेजा था । १९५२-५३ में केवल २.८४ लाख हंडरवेट और १९५३-५४ में यह मात्रा २.५० लाख हंडरवेट रह गई । अभ्रक के स्थान पर नक़ली चीज के सम्बन्ध में भी आशंका की जाती है । हमें यथासम्भव अच्छे से अच्छा माल भेजने और नये विदेशी बाजारों को ढूंढने का यत्न करना चाहिये । हमारे यहां के जोनियरिंग और प्लास्टिक के सामान की खपत विदेशों में भी है । अतः स सामान के लिये परि दों की स्थापना की जानी चाहिये ।

न परिषदों के ठीक कार से कार्य करने के लिये यह सो ा गया है कि नका निर्मा बड़े व्यापार तथा अन्य सम्बन्धित हितों के प्रतिनि यों में से किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या न ोजों में देश आत्मनि र स कारण विदेशी बाजारों की खोज की जा रही है, अथवा यहां के लोगों ारा क्रय न किये जाने के कारण ऐसा किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यहां के लोग काजू का ब त उपयोग करते और विशेषकर कहवा के साथ वे काजू खाना अधिक पसन्द करते हैं । स कारण काजू के साथ कहवा के उत्पादकों की भी उन्नति हो रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : और चीनी की भी ।

श्री करमरकर : हम जबरदस ी लोगों को काजू नहीं खिला सकते । सका बाजार सीमित रहेगा । विदेशी बा ारों का ...

[श्री करमरकर]

भी आवश्यक कारण है । हम यह चाहते हैं कि इन पदार्थों की विदेशों में अच्छी मांग रहे।

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत न समितियों को गारंटी द्वारा मर्यादित समवायों के रूप में पंजीबद्ध करने का विचार किया गया है । प्रारम्भिक अवस्था में इन परिषदों का कुछ व्यय उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र देगा और कुछ सरकार द्वारा दिया जायेगा । हम यह आशा करते हैं कि ज्यों ही ये परिषदें लाभदायक सिद्ध हो जायें सरकार जो धन देती है, बन्द कर दिया जाये । जब तक इन परिषदों का उचित आदर नहीं किया जाता, सरकार विदेशी व्यापार तथा इन वस्तुओं के हित की दृष्टि से अपना अंशदान चालू रखेगी।

इन परिषदों का उद्देश्य निर्यात में यथासम्भव अभिवृद्धि करना होगा। उदाहरण के लिये, इन परिषदों के कार्य इन वस्तुओं का विदेश के बाजारों में भाव का पता लगाना, विदेशों में व्यापार मिशन भेजना, विदेशों में प्रतिनिधियों, एजेंटों अथवा सम्वाददाताओं की मूल्य एकत्र करनें और बाजारों का निरीक्षण करने के प्रयोजन से नियुक्ति करना, नियमित रूप से और लगातार प्रचार करना, सांख्यिकीय सूचना एकत्र करना, क़िस्म तथा पैकिंग का स्तर निर्धारित करना, सहकारिता रखने के लिये संगठन की स्थापना करना और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निरीक्षण करने के लिये एक संगठन स्थापित करना तथा यदा-कदा परिषद के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति वस्तुओं का सर्वेक्षण करना, आदि इसी प्रकार के कार्य हैं । ये परिषदें हमारे निर्यात व्यापार में अभिवृद्धि के लिये अत्यधिक लाभदायक होंगी। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एक आवश्यक पहलू यह है कि सम्बन्धित उद्योगों को ही ऐसी उन्नति में सम्मिलित कर दिया जाये। इसकी रचना के सम्बन्ध में कुछ सूचना हम से मांगी गई थी सी कारण मैं ने निर्यात अभिवृद्धि परिषद् के विषय में विस्तार से सभा में चर्चा की है ।

शेष एक वर्ष के समय में निर्यात अभिवृद्धि परिषद् की स्थापना के विषय में अन्तिम निर्णय करना हमारे लिये सम्भव नहीं है । दो परिषदों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम तम्बाकू, काली मिर्च तथा काजू के निर्यात अभिवृद्धि परिष के निर्माण करने पर अधिक ध्यान दे सकेंगे, अतः यद्यपि वास्तविक अंशदान कुछ अधिक लगाया गया था फिर भी इस वर्ष के अवशेष काल में जितना कार्य हम करना चाहते हैं उसके लिये हम एक लाख रुपये से ही सन्तोष कर लेंगे ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं मांग संख्या ५९ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने साधारणतः एक बाल चलचित्र समाज का निर्माण करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है और उस सभाज की स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है । एक प्रश्न यह उठाया गया था कि सरकार यह कार्य एक विभाग के द्वारा क्यों नहीं कर रही है, और स प्रयोजन के लिये एक पंजीबद्ध समाज का निर्माण करना क्यों आवश्यक समझती है । दो बातों के कारण हम इस प्रकार के समाज का होना लाभदायक समझते हैं ।

प्रथम यह कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें अधिकांश जनता चाव रखती है । इसमें सन्देह नहीं कि व्यापारी लोग इस चीज में चाव नहीं रखते किन्तु सम्पूर्ण रूप से जनता और समाज इस में पूर्ण चाव रखते

हैं कि बच्चों के लिये चलचित्र तैयार किये जायें, और मुझे बलवती आशा है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये अनुदान के रूप में बहुत बड़ी राशि में लोकोपयोगी धन प्राप्त हो जायेगा । यह धन तभी मिल सकेगा जब कि इस प्रकार की कोई पंजीबद्ध संस्था हो, जो इस कार्य को करे और यदि सरकारी विभाग इसको करता है तो यह सहायता नहीं मिलेगी ।

दूसरी चीज़ जो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये हम करना चाहते हैं वह यह है कि हम यथासम्भव अधिकाधिक प्रमुख समाजिक कार्यकर्ता और प्रमुख शैक्षणिक कार्यकर्ताओं से सम्पर्क रखें क्योंकि यह चलचित्र व्यापार की एक विशिष्ट शाखा है और हो सकती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब कि एक पंजीबद्ध संस्था हो अथवा सरकारी संस्था न हो कर एक स्वतन्त्र संस्था हो, जो इस कार्य को कर सके । निस्सन्देह ही निजी प्रस्तुतकर्ता इस कार्य को नहीं करना चाहेंगे । सरकार को भी निस्सन्देह कुछ चलचित्रों का निर्माण करने के लिये सहर्ष अंशदान देना होगा और उस समाज को कुछ अनुदान देना पड़ेगा किन्तु हमने यह देखा कि एक पंजीबद्ध संस्था का निर्माण करके और जनता का सहयोग प्राप्त करके हम बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े पैमाने पर चित्रों का निर्माण कर सकेंगे, जो यदि सरकारी विभाग करना चाहे तो सम्भव नहीं होगा ।

हमारे यहां फिल्म विभाग है जिसके पास इस समय अत्यधिक कार्य रहता है । उदाहरण के लिये यदि हम बाल चलचित्र बनाने का कार्य इस फिल्म विभाग को सौंप देते हैं तो हमें एक अलग यूनिट की स्थापना करनी पड़ेगी और जैसा कि सभा को विदित है, नई सरकार की स्थापना हो [illegible] ारम्भिक कार्य इतने अधिक करने पड़ते हैं और इतनी जटिलतायें आ जाती हैं कि कार्य बहुत समय तक रुका पड़ा रहता है, जबकि इस प्रकार के चित्र हम यथाशीघ्र बनाना चाहते हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री दामोदर मेनन ने यह एक बात कही थी कि सरकार इस संस्था के लिये जो अंशदान देगी क्या उसकी जांच नहीं की जायेगी कि वह संस्था उसको किस प्रकार व्यय कर रही है । इस संस्था के बोर्ड में सरकार के कई संचालक अथवा सदस्य रहेंगे और सरकार यह भी चाहेगी कि इसकी रचना इस प्रकार की हो कि इसमें उत्तरदायी तथा इस कार्य में चाव रखने वाले व्यक्ति ही लिये जायें, इस कारण सभा को इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि इसका कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकेगा अथवा कार्य में हानि होगी ।

हम यह भी विचार करते हैं कि इस संस्था का सभापति पंडित हृदयनाथ कुंजरू को बनाया जाये ।

बाल चलचित्र सम्बन्धी इस प्रकार के कार्य में उन्होंने अगुवा के रूप में सहायता की है ।

इस सम्बन्ध में आगे कुछ और कहना समय से बहुत पूर्व होगा क्योंकि इस प्रकार की संस्था, सम्बन्धी प्रस्ताव व नियम तथा विनियम जिसकी स्थापना की जायेगी, अभी विचाराधीन हैं । यदि आप चाहें तो इस सम्बन्ध में आय व्ययक चर्चा के समय अग्रेतर विचार विमर्श किया जा सकता है क्योंकि उस समय तक प्रस्ताव का और भी स्पष्टीकरण हो जायेगा तथा उस समय तक कुछ ठोस सुझाव सभा के सम्मुख रखे जा सकेंगे ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मंत्रालय की एक मांग पर इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से कुछ आलोचना हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय पुनर्वास मन्त्री भी समें भाग लें ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): जी हां ।

डा० पी० एस० देशमुख: यह एक बहुत पुराना प्रश्न है, जिस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इसमें जो भी तर्क दिये गये हैं उनमें कुछ भी नवीनता नहीं है । मेरे माननीय मित्र सरदार लाल सिंह गन्ना उत्पादकों के लिये अधिक मूल्य का आग्रह कर रहे हैं जब कि स्व० श्री किदवई के विचार से गन्ने का कम मूल्य रखना आवश्यक तथा न्यायोचित था उनका यह दावा था कि कम मूल्यों के कारण उत्पादन नहीं घटा क्योंकि पिछले वर्ष तक हम गन्ने के मूल्यों की घोषणा बोने के मौसम के पश्चात् करते थे । इसलिये उनका कहना था कि बोये जाने के पश्चात् कम मूल्य निश्चित करने से बोने पर प्रभाव पड़ना असम्भव था । इसके अलावा उनका यह भी दावा था कि सभा को यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि विदेशी विनिमय की कुछ राशि चीनी के आयात में व्यय हो रही है । उनका यह तर्क था कि हमारा पौंड पावना ब्रिटेन के खजाने में एकत्र होता जा रहा है तथा उस पर बहुत कम ब्याज प्राप्त हो रहा है वह उस धन का आयात के लिये उपयोग कर रहे थे, जिससे स देश का हित हो रहा था ।

दूसरे, मेरे मित्र वाणिज्य मंत्री ने अभी यह बताया है कि वह कुछ निर्यात अभिवृद्धि परिषदें नियुक्त करने वाले हैं, जिससे कि हमारे दूसरे पदार्थों का एक बड़ा परिमा दूसरे बाजारों में बिक सके, किन्तु ताली एक हा से नहीं बज सकती । हम तब तक निर्या कर तथा लोगों से अपना माल खरीदने को नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम भी कुछ वस्तुयें खरीदने को प्रस्तुत न हों । मैं यह दावा नहीं करता कि सस्ते चीनी के कम उत्पादन को न्यायोचित ठहराया जा सकता है, किन्तु इन पहलुओं पर भी विचार करके इन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिये ।

यह एक ग़लत आरोप है कि हमने कुछ भी नहीं किया है । हमने अक्सर यह बताया है कि हमने क्या क्या कार्यवाही की है । हम कुछ नये कारखानों को अनुज्ञप्तियां दे रहे हैं । हम चीनी के विशुद्धिकरण के लिये संयंत्र स्थापित कर रहे हैं । हम इस बात पर भी ग़ौर कर रहे हैं कि वर्तमान संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि हो । हमने कारखानों की स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की है । इन सब बातों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

[श्रीमती खोंगमेन पीठासीन हुईं]

जो कुछ भी हमने किया है उसे ध्यान में रखते हुये यह आलोचना, कि सरकार इस मामले में सो रही है तथा कुछ नहीं कर रही है, सही और न्यायोचित नहीं कही जा सकती है ।

जहां तक कि अच्छे गन्ने के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमने छः महीने पूर्व एक आन्दोलन चलाया था । यद्यपि यह मौसम के अनुसार कुछ देर से प्रारम्भ हुआ था, तथापि यह स्पष्ट है कि इससे बहुत अच्छी फसल प्राप्त होगी ।

अभी से शिकायतें हैं कि गुड़ जमा हो रहा है तथा खरीदार नहीं हैं । आज प्रातः लगभग बीस व्यक्ति बम्बई से आये । वे लोग गुड़ की अत्याधिक राशि एकत्रित हो ज के कारण चिन्तित थे । हमारे माननीय सदस्य जो गन्ने की ऊंची कीम कर का दावा

करते हैं, इस बात पर विचार नहीं करते कि इस प्रकार की असाधारण ऊंची क़ीमत का क्या परिणाम होगा ? १ रुपया ७ आने की दर होने की ही सम्भावना है तथा इस व हम देखेंगे कि बहुत से कृषकों को गन्ने को पेर कर गुड़ बनाने अथवा चीनी के लिये कारखानों में बेचने का सामर्थ्य नहीं होगा। इस प्रकार ऊंची क़ीमत से होने वाले लाभ की तुलना में, कृषक को अधिक हानि होती है। स्वर्गीय श्री किदवई ने इसी तर्क को अपनाया था कि यदि आप असाधारण रूप से ऊंची क़ीमतें दें तो स्वाभाविक रूप से कृषकों को यह प्रोत्साहन मिलेगा कि वे गन्ना अधिक भूमि में बोयें किन्तु क्योंकि पेरने की क्षमता सीमित है, यहां तक कि गुड़ के लिये पेरने की क्षमता भी सीमित है, अन्ततः कृषक को हानि उठानी पड़ती है। इसीलिये वह सदैव क़ीमतों को नीचे गिराने का उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रहे। जहां तक हमारा सम्बंध है मैं कह सकता हूं.....

श्री विमला प्रसाद चालिहा (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर) : गन्ने की क़ीमतों को कम रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उपभोक्ता को चीनी उचित मूल्य पर प्राप्त हो। क्या यह उद्देश्य पूरा हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक सूत्र है जिसके अनुसार गन्ने की क़ीमत चीनी की क़ीमत से सम्बन्धित रहती है। इस सूत्र में त्रुटियां हो सकती हैं तथा कोई व्यक्ति इसे पुनरीक्षित करने का आग्रह भी कर सकता है। किन्तु जहां तक मैं जानता हूं अधिकांश व्यक्तियों ने स सूत्र को स्वीकार किया है और यह गन्ने की क़ीमतों से सम्बन्धित है। उदाहरणस्वरूप यदि गन्ने की क़ीमत १ रुपया १२ आने हो, तो स्वाभाविक रूप से ही चीनी की क़ीमत बढ़ जायेगी। मैं सोचता हूं कि १ रुपया ७ आने की दर से हम चीनी के कारखानों को २७ रुपये २ आने अथवा २७ रुपये ४ आने से अधिक देने को तत्पर नहीं होंगे। इस प्रकार गन्ने तथा चीनी की क़ीमतों में एक सम्बन्ध बना है।

मैं आपको यह भी बता दूं कि स्वर्गीय श्री क़िदवई विभिन्न कृषि-उत्पादों की क़ीमतों में एक समानता बनाये रखना चाहते थे तथा वास्तविकता तो यह है कि वह कदाचित् वर्ष १९५५-५६ के लिये १ रुपया ७ आने से भी क़ीमतें घटाने के पक्ष में होते किन्तु हमने माननीय सदस्यों के इस आग्रह पर कि गन्ने की क़ीमतें बढ़ाई जायें अथवा वही रखी जायें उसे नहीं घटाया। यह सभीको ज्ञात है कि खाद्यान्नों की क़ीमतें गिर रही हैं, तथा बहुत से मामलों में हमने यह शिक़ायतें सुनी कि कृषकों को हानि उठानी पड़ी है क्योंकि मूल्य बहुत गिर गये हैं, इस मामले में कुछ समानता होनी चाहिये। खाद्यान्नों की गिरती क़ीमतों को ध्यान में रख कर, गन्ने की क़ीमतों को और भी घटाना न्यायोचित है किन्तु हमने क़ीमतें न घटा कर उन्हें वहीं रखा है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र सरदार लाल सिंह को इस बात से सन्तोष होगा कि सरकार ने क़ीमतें वही रखने में बुद्धिमानी का कार्य किया है

जहां तक आयात का सम्बन्ध है मैं मानता हूं कि हमें बहुत बड़े परिमाण में चीनी का आयात करना पड़ा, किन्तु यह अनिवार्य था। अन्यथा हमें पुनः नियंत्रण में उलझना पड़ता, जैसे ही नियंत्रण हटाया गया, बहुत से व्यक्तियों को, जिन्हें चीनी उपलब्ध नहीं हो रही थी, चीनी मिल गई। मैं यह भी आशा करता हूं कि लोक कल्याण राज्य के दृष्टिकोण से कम-से-कम इस सभा में भी कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो इस बात पर प्रसन्न ये होंगे कि देश में अधिक चीनी की खपत

[डा० पी० एस० देशमुख]

हो रही है । दूसरे हमें इस बात का भी श्रेय मिलना चाहिये कि हमने चीनी की क़ीमत नहीं बढ़ने दी । हम जानते हैं कि तीन वर्ष पूर्व कितना चोर बाज़ार चलता था यद्यपि किन्हीं स्थानों पर कुछ लोगों ने चीनी की अस्थायी कमी का लाभ उठा कर खूब लाभ कमाया, किन्तु सम्पूर्ण रूप से सारे भारत में क़ीमतें उचित स्तर पर रहीं । यदि हम अधिक परिमाण में चीनी का आयात न करते तो नियंत्रण नीति से ऐसा नहीं हो सकता । सभा ने स्वयं इस नीति का समर्थन किया है । क्योंकि यही एक उचित मार्ग था, हमें आयात की शरण लेनी पड़ी । क्योंकि पिछले वर्ष चीनी तथा गुड़ दोनों के ही उत्पादन में कमी रही । यद्यपि कम एकड़ भूमि में खेती हुई तथापि उत्पादन का अनुपात भी कम था । सभा को ये चीज़ें मालूम थीं, तथा इन पर एकाधिक समय चर्चा हो चुकी है । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई नई बात भी नहीं कही गई ।

मुझे आशा है कि मेरे तर्कों से आपको ज्ञात हो जायेगा कि सरकार इस मामले में सोई नहीं रही किन्तु उसने गन्ने की अच्छी खेती, चीनी के अधिक उत्पादन, यंत्रों की निर्माण क्षमता में वृद्धि तथा चीनी के कारखानों की स्थापना के लिये उचित कार्यवाही की । मैं आशा करता हूं कि इस नीति का यह परिणाम होगा कि कदाचित् थोड़े ही समय में हमें इस परिमाण में आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस परिमाण में हम कर रहे थे, कदाचित् छः अथवा आठ महीनों के भीतर ही वर्तमान राशि तथा अधिक उत्पादन जिसकी हम आशा कर रहे हैं के परिणामस्वरूप, हमारे पास अतिरिक्त राशि हो सकती है ।

श्री जे० के० भौंसले : मांग संख्या ६५ पर बोलते हुऐ, मेरे माननीय मित्र श्री गिडवानी ने उन उद्योगपतियों जो कुछ उपनगरों में उद्योग प्रारम्भ करना चाहते हैं, के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये थे । इस प्रयोजन के लिये सरकार ने ३ करोड़ रुपये रखे हैं । तथा ७५ लाख रुपये इसी वर्ष व्यय किये जाने वाले हैं । उनका सुझाव था कि शर्तें आकर्षक नहीं हैं, तथा उद्योगपति इसका लाभ उठाने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं । इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मित्र को यह बता दूं कि शर्तें पर्याप्त आकर्षक हैं । पहिले, सरकार उद्योगपतियों को चार प्रतिशत पर भूमि देने का विचार कर रही है जिसे वे इच्छा से खरीद सकते हैं। सरकार उद्योगपतियों के विवरणों के अनुसार कारखाने निर्मित करेगी और यदि उद्योगपति चाहें तो वे साढ़े पांच प्रतिशत की दर से ब्याज दे सकते हैं अथवा बाद में कम क़ीमत पर वह मारत खरीद सकते हैं ।

जहां तक बिजली तथा पानी की अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, बिजली उस क्षेत्र की प्रचलित दर पर तथा पानी भी सस्ते दर पर मिलेगा । मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र यह कहना चाहते थे कि बम्बई के एक मामले में, बम्बई सरकार दुर्भाग्य से बिजली सस्ते दर पर नहीं दे पाई, अर्थात् ९ पाई की दर से, जैसा कि उल्लासनगर के उपनगरीय क्षेत्र के आसपास होता है, वह दर २ आने ६ पाई के लगभग थी, तथा जहां यह सम्भव होगा वहां सरकार अवश्य ही आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर सोचेगी । जिससे कि सामान्य प्रचलित दर पर बिजली मिल सके । जहां तक ऋण का सम्बन्ध है सरकार द्वारा दी गई चौथी रियायत यह है कि सरकार उद्योगपति द्वारा स्थापित ५० प्रतिशत मशीनों को ४॥ प्रतिशत पर ऋण देने को स्तुत है तथा यह ऋण सात से दस वर्ष तक के बीच वापस किया जा सकेगा ।

श्री गिडवानी ने अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुये यह सुझाव दिया कि ऋण की वापसी २० वर्ष में होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है और सरकार का विचार है कि दस वर्ष का समय काफी है। उद्योगों के सम्बन्ध में भी उन्होंने बहुत से सुझाव दिये हैं, मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उनके सुझावों के बारे में अच्छी तरह जांच कराऊंगा और उचित समय में उनके परिणामों के बारे में जानकारी दूंगा।

मांग संख्या ८६ पर बोलते हुये श्रीमती ला पालचौधरी ने कहा था कि पुनर्वास विभाग में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें शरणार्थियों से कोई सहानुभूति नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि अगर उनका अभिप्राय पश्चिमी बंगाल मंत्रालय से है तो उसमें प्रत्येक कर्मचारी बंगाली है और यदि उनका अभिप्राय कलकत्ता स्थित छोटे मुख्यालय से है तो मंत्री को छोड़ कर, जो बंगाली तो नहीं किन्तु विस्थापित व्यक्ति अवश्य हैं, और उपसचिव को छोड़ कर लगभग बाकी सभी कर्मचारी बंगाली हैं। तत्कालीन परामर्शदाता का कार्यालय कलकत्ता स्थानान्तरित करने में जो ३१,००० रुपये व्यय हुये हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। यह व्यय कर्मचारियों के लिये कार, डाक तथा तार व्यय, फर्नीचर के क्रय, कार्यालय भवन की मरम्मत आदि टाइप राइटर की मरम्मत आदि पर व्यय हुआ है। अब चूंकि मंत्री कलकत्ता चले गये हैं और मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय के परिणामस्वरूप कि पूर्वी बंगाल में विस्थापितों के पुनर्वास कार्य को शीघ्रता से करना चाहिये, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये इतने कर्मचारी एवं धन का होना, जिसकी कि मांग की गई थी, आवश्यक है। मैं तो यह कहूंगा कि यह राशि इतनी अधिक नहीं है कि इसके विरुद्ध आपत्ति उठाई जावे।

श्री बी० के० दास (कटाई) : मांग संख्या ८६ के बारे में कहा गया है कि भूमि के अभाव के कारण शिविरों में पुनर्वास के कार्य में प्रगति धीमी रही है। पश्चिमी बंगाल के मंत्री ने उस दिन कहा था कि चूंकि भूमि का क्रय मूल्य १०० रुपये प्रति बीघा निश्चित कर दिया गया है अतः भूमि मिल नहीं रही है। श्रीमती चौधरी ने कहा था कि क्रय मूल्य को बढ़ा कर २०० रुपये कर देना चाहिये। क्या इसके बारे में कुछ हुआ है? दूसरी बात मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि मद (४)—गत वर्षों की बाकी धन राशि के समायोजन के बारे में क्या हुआ? उसके लिये भी कुछ धन की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या स्थिति है?

श्री जे० के० भौंसले : मैं इसके बारे में फिर बताऊंगा क्योंकि अन्य मंत्रियों को भी भाषण देना है।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जांच कार्य में जो देर हुई है उसके सम्बन्ध में कुछ आपत्ति की गई है। बाढ़ नियंत्रण के संबंध में तो यह ठीक है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। किन्तु फिर भी कुछ प्रतिबन्ध होते हैं जिनके आधार पर काम आगे बढ़ता है। कोसी के मामले में जांच होने में कुछ देर अवश्य हुई, किन्तु जब हम 'जांच' की बात कहते हैं तो इसका अभिप्राय यह होता है कि वास्तविक जांच से पूर्व बहुत सी अन्य बातों भी देखनी होती हैं, जैसे आकड़ों का इकट्ठा करना। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। न परियोजनाओं की अच्छी तरह जांच करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे पास कई वर्षों के आंकड़े

[श्री हाथी]

होने चाहियें । और तभी यह सम्भव है कि इन परियोजनाओं की जांच अच्छी तरह हो सके । इसी सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने सितम्बर मास में अपने एक भाषण में बताया था कि समें शीघ्रता से काम लेना सम्भव नहीं है और आंकड़े प्राप्त करने के कारण ही देर हो जाती है । अब जांच पूरी हो चुकी है और हमने वास्तव में कार्य प्रारम्भ कर दिया है । दक्षिण भारत के एक सदस्य श्री रेड्डी ने नन्दीकोंडा परियोजना में होने वाली देर के बारे में शिकायत की है । नन्दीकोंडा के मामले में भी परियोजना की जांच होनी है । जब किसी परियोजना का सम्बन्ध एक से अधिक राज्यों से होता है तो उन राज्यों से परामर्श लिया जाता है । परियोजना प्रतिवेदन केवल इसी मई, १९५४ में मिला । सम्बन्धित राज्य सरकारों को हमने अपनी राय भेज दी है और केवल एक राज्य सरकार ने उसका उत्तर भेजा है । आंध्र सरकार की राय आना शेष है और आंध्र सरकार का उत्तर आते ही इस परियोजना में कोई अनावश्यक देर नहीं होगी ।

तीसरी बात श्री आर० के० चौधरी ने पालसभरी के सम्बन्ध में कही थी । मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बात गम्भीरता से नहीं कही । वे केवल यही कहना चाहते थे इसकी प्रगति पर निगाह रखनी चाहिये । यहां से जो पदाधिकारी भेजे गये हैं उनके व्यवहार के सम्बन्ध में भी उन्होंने शिकायत की थी । उन्होंने जिस पदाधिकारी का उल्लेख किया वह तो आसाम सरकार का है और मूख्य इंजीनियर तो गत मास ही भारत सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त के रूप में गये । प्रभारी अधिकारी भारत सरकार के नहीं अपितु वे वास्तव में आसाम सरकार के नियंत्रण में थे ।

श्री आर० के० चौधरी की दूसरी शिकायत यह थी कि स्थानीय व्यक्तियों से कोई परामर्श नहीं लिया गया । स सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि न केवल स्थानीय पदाधिकारियों से ही परामर्श लिया गया था अपितु गैर सरकारी प्रविधिक व्यक्तियों से भी सुझाव मांगे गये थे । इसके अतिरिक्त गत मास २५ तथा २६ तारीख को सिंचाई और विद्युत् के केन्द्रीय बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें पूरा एक दिन इस बात के लिये रखा गया था कि जिसे बाढ़ नियत्रण कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो कहे । अतः यह स्वाभाविक है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें सभी व्यक्ति रुचि रखते हैं और इस सम्बन्ध में हमने सभी की राय ली है और लेंगे किन्तु इतना अवश्य है कि निर्णय वही होगा जो व्यावहारिक एवं प्रविधिक दृष्टि से ठीक होगा एवं जो विभिन्न मतों द्वारा प्रतिपादित भी होगा ।

पालसभरी के स्थानान्तरण का प्रश्न भावुकतापूर्ण है इसलिये जहां तक सम्भव हो, उसके स्थानान्तरण का प्रश्न टालना ही चाहिये । यह तभी सम्भव होगा जब कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि वे सभी अस्थाई कार्य जो अब किये गये हैं उस क्षेत्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं ; तब वहां के व्यक्तियों को बसाने के लिये कुछ किया जायगा ।

श्री दास ने यह कहा था कि इन जांच केन्द्रों का लाभ सम्पूर्ण देश को मिलना चाहिये । इनमें से एक केन्द्र आजकल ब्रह्मपुत्र, गंगा, तथा एक और केन्द्र दक्षिण एवं केन्द्रीय भारत के लिये है । यह स्वाभाविक है कि इस प्रविधिक परामर्श एवं जांच से सम्पूर्ण देश को लाभ पहुंचेगा ।

आज अन्तिम वक्ता ने यह पूछा था कि संयंत्रों एवं मशीनों के लिये नये निर्देश-

लय की क्या आवश्कता है। यदि वे विभिन्न कार्यों को देखें तो उन को पता चलेगा कि यह खाली निर्माण योजना नहीं है अपितु हमारे पास बहुत सी मशीनें एवं उनके अतिरिक्त भाग हैं जिनका मूल्य करोड़ों रुपये है और जिनका आदान-प्रदान एक परियोजना से दूसरी परियोजना तक हो सकता है ? इसलिये एक प्रशासनीय व्यवस्था द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि विभिन्न परियोजनाओं की क्या स्थिति ह, एवं उनके यहां किन किन मशीनों की आवश्यकता है और एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या मशीनें भेजी जा सकती हैं ताकि एक राज्य को उन मशीनों एवं सामान के लिये खर्च न करना पड़े। इस निदेशालय के बनाने का यही उद्देश्य है। इसके लिये अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि इस निदेशालय की रूपरेखा जो आजकल है उसकी अपेक्षा यह बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : माननीय मंत्री ने ९ दिसम्बर, १९५४ को एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि अगर कोई योजना प्रविधिक रूप से ठीक है तो धन के अभाव के कारण उसका कार्य नहीं रोका जायगा। कुछ परियोजनाओं के नाम मेरे पास हैं और जिनके बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने सिफारिश की है और प्रविधिक समिति उनकी जांच भी कर रही है। इनके कार्य संचालन के लिये ३०० करोड़ तथा २३ करोड़ पये की आवश्यकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं—कंसवटी जलाशय परियोजना और गंगा बांध परियोजना—का कार्य कब शुरू किया जायगा ?

श्री हाथी : यह प्रश्न तो इन परियोजनाओं को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने से है। जहां तक बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही का सम्बन्ध है, वे धनाभाव के कारण नहीं रोकी जायगी। दीर्घकालीन कार्यवाही की जांच योजना आयोग की प्रधिक समिति करेगी। प्रविधिक परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आ जाने के बाद ही इसके बारे में निर्णय किया जायगा किन्तु बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही धनाभाव के कारण नहीं रोकी जायगी।

श्री बूबराघस्वामी (पेरम्बलूर) : ३० लाख रुपये की अतिरिक्त मांग से आप भोपाल में बारना तथा कोलार परियोजना की जांच, आसाम की नदियों के सम्बन्ध में जलविज्ञान और अन्तरिक्ष-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े, ब्रह्म पुत्र, गंगा तथा दक्षिण की नदियों के मुहानों में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में जांच की जायगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर के लिये आपने बड़ी बड़ी योजनायें बनाई थीं जब कि दक्षिण के लिये एक या दो और वह भी बहुत छोटी छोटी। जब सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कार्यक्रम बना रही है तो इस मांग के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मद्रास राज्य की नदियों की जांच कराने के लिये भी कुछ धनराशि नियत की है ?

श्री हाथी : दक्षिण के लिये एक तीसरा केन्द्र खोला जा रहा है। दक्षिण तथा मध्य-भारत केन्द्र वहीं पर होगा।

सभापति महोदय : इन मांगों पर मतदान ६ई बजे होगा, अतः इस बीच कार्यक्रम की दूसरी मद पर हम विचार करेंगे।

———

१९५४-५५ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें*--आंध

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की ये मांगें सभापति महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
८	सिंचाई	६,१०,०००
११	जिला प्रशासन तथा विविध	१००
१४	पुलिस	२५,०००
१५	शिक्षा	७,५०,१००
१७	लोक स्वास्थ्य	८९,२००
२४	असैनिक निर्माण-कार्य	४,००,०००
२५	असैनिक निर्माण--संस्थापन, तथा औज़ार तथा संयंत्र	५१,६००
२७	विद्युत्	१,७२,३००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय	६४,५०,१००
३६	असैनिक निर्माण पर पूंजी व्यय	८,३८,०००
३७	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी व्यय	५,२४,३००

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में आप उन माननीय सदस्यों से पूछ सकते हैं जो अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या बता सकते हैं।

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : मेरे कटौती प्रस्तावों की संख्या ७, ८, ९ और १३ है।

सभापति महोदय : यदि वे ग्राह्य हों तो उन्हें स्तुत माना जायेगा। माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : तुंगभद्रा परियोजना के निर्माण पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं, परन्तु भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया गया है। योजना आयोग के प्रगति प्रतिवेदन में मैं देखता हूं कि १२,६०० एकड़ भूमि की बजाय, जिसे कृषियोग्य बनाने की आशा थी, केवल २,००० एकड़ भूमि कृषियोग्य बनाई गई है। इसका कारण यह है कि सरकार ने कृषकों को अपनी भूमि कृषियोग्य बनाने के लिये कोई सुविधा नहीं दी है।

पंचायतों के बारे में मेरा निवेदन है कि १९५० के ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार मद्रास तथा वर्तमान आंध्र राज्य की ग्राम पंचायतों को धारा ३५२, ३२३, ५०४, ४२० तथा ३७९ के अधीन छोटे छोटे मामलों जैसे दाण्डिक तथा व्यावहारकि मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है, परन्तु सरकार ने इन उपबन्धों को उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन उपबन्धों को यथा सम्भव शीघ्रता से कार्यान्वित करे और पुलिस तथा उपदण्डाधिकारी को हिदायत करे कि वे उन मामलों को पंचायती न्यायालयों में भेजें जिनकी वहां सुनवाई हो सकती है।

एक अध्यापक वाले स्कूलों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना आरम्भ की है जिसके द्वारा वे शिक्षित किन्तु बेकार लोगों की सहायता कर सकते हैं। परन्तु आन्ध्र राज्य सरकार ने आज तक इस मामले में कोई पहल नहीं की है अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह शिक्षा प्राधिकारियों को यथासम्भव शीघ्रता से ऐसे स्कूल खोलने को कहे।

अन्त में, मैं मद्य निषेध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपको विदित है कि मई, १९५४ में आन्ध्र सभा ने एक संकल्प पारित

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई।

किया था जिसमें सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह मद्य निषेध अधिनियम के निरसन के लिये राममूर्ति समिति की सिफारिश स्वीकार करे। केवल इसी विषय पर, आन्ध्र सरकार के विरुद्ध मत दिया गया था। आपको यह जानकर दुःख होगा कि आन्ध्र राज्य में मद्य निषेध कैसे कार्यान्वित हो रहा है।

सभापति महोदय : क्या मैं कह सकता हूं कि केवल कटौती प्रस्ताव संख्या ७ के अतिरिक्त माननीय सदस्य के अन्य समस्त प्रस्ताव नियम-विपरीत हैं।

श्री एम० सी० शाह : मेरा सुझाव है कि उन्हें न सारी मांगों पर बोलने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : मैं यह बता रहा था कि कुछ कटौती स्ताव ग्राह्य नहीं है।

श्री एम० सी० शाह : यदि कुछ कटौती प्रस्ताव नियम-विपरीत हैं तो निश्चय ही माननीय सदस्य को उन कटौती प्रस्तावों के विषय पर नहीं बोलना चाहिये।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : स्वयं मेरे गांव में चार या छः मद्यनिषेध कर्मचारी हैं जिनके पास मामलों का पता लगाने के लिये व त ही अपर्याप्त सामग्री है। अतः अधिकारीगण ग्राम चावडी जाते हैं और ग्राम अधिकारी से स्थानीय मद्य बनाने वालों के नाम पूछते हैं।

श्री एम० सी० शाह : मद्य निषेध के लिये अनुदान की कोई अनुपूरक मांग नहीं है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस विषय का उल्लेख नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं ने कहा था कि केवल संख्या ७ ग्राह्य है। मैं ने उन से निवेदन भी किया था कि वह अपने तर्कों को केवल उसी कटौती प्रस्ताव तक सीमित रखें।

श्री गडिलिंगन गौड़ : मैं लगभग भाषण की समाप्ति पर हूं। यदि आप यह न कहें कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं, मैं अपना भाषण पुनः आरम्भ करूंगा।

सभापति महोदय : यदि उन्हें कु और नहीं कहना है तो बैठ सकते हैं

तुंगभद्रा परियोजना के पानी से भूमि को तर कृषि के योग्य बनाने में असफलता

सभापति महोदय : अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८ पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शेषगिरि राव (नंदयाल) : अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों पर बोलते हुये मैं करनूल ज़िला की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक दो बातें कहूंगा। इसके अतिरिक्त, मैं किसी एक विशेष मांग पर ही नहीं बोलना चाहता अपितु मैं साधारण रूप से समस्त मांगों का उल्लेख करूंगा। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि आन्ध्र राज्य में करनूल राज्य निश्चय ही पिछड़ा हुआ ज़िला है। यद्यपि, लगभग २० परियोजनायें हैं, फिर भी उन में से किसी से भी करनूल ज़िला को सहायता नहीं होती। उन में से एक जिससे करनूल ज़िला को सहायता मिलेगी, के० सी० नहर को चौड़ा करके पुनः बनाने की परियोजना है।

खोसला समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उस नहर से लगभग ६,००० घन फुट पानी प्रति सैकिंड भेजा जायगा। परन्तु इंजीनियरों ने इस बात पर विभिन्न मत दिये हैं कि इतना पानी प्राप्त होगा या नहीं। यदि ऐसी बात है तो करनूल को प्रति सैकिंड १,८०० घन फुट से अधिक पानी प्राप्त न होगा।

श्री एम० सी० शाह : क्या हम जान सकते हैं कि आप किस मांग पर बोल रहे हैं ?

श्री शेषगिरि राव : सिंचाई पर । नहर और पानी संभरण सिंचाई के अन्तर्गत आते हैं । मैं समझता हूं कि इसके बारे में मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

अतः यदि प्रति सैंकिंड ६,००० घन फुट की बजाय १,८०० घन फुट पानी प्राप्त होगा, तो करनूल ज़िला को क्या सहायता प्राप्त होगी । मैं जानता हूं, बहुत सी परियोजनायें आरम्भ हो रही हैं और उनके पूर्ण होने तक आन्ध्र वासी समृद्ध हो जायेंगे । परन्तु जिस ज़िला में राजधानी स्थित है, उसके बारे में क्या है ? राजधानी को आवश्यक पानी के० सी० नहर से ही मिलता है । मैं जानता हूं कि इसके पुनः निर्माण के लिये ३ लाख रुपये का उपबन्ध है, परन्तु यह खोसला समिति के प्रतिवेदन के अनुसार नहीं है । करनूल की आवश्यकतायें तब ही पूर्ण होंगी जब कि उसे प्रति सैंकिंड ६,००० घन फुट पानी मिलेगा ।

दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता था । मुझ से पहले के वक्ता इस समस्या की ओर सरकार की घोर उपेक्षा का उल्लेख पहिले ही कर चुके हैं । निःशुल्क शिक्षा कहीं नहीं है । इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है सिवाय इसके कि कुछ बुलेटिनों में अमुक अमुक समिति की नियुक्ति का उल्लेख है । सरकार को केवल दूर के ज़िलों की ओर ही नहीं अपितु उस ज़िले की ओर भी ध्यान देना चाहिये जहां वह विराजमान है । ऐसा करने पर ही उसे दूर दृष्टि वाली सरकार कहा जायेगा ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : यह सर्वमान्य होगा कि एक वर्ष की आंध्र सरकार की प्राप्तियां कम नहीं हैं । इस बात के आधार पर मैं श्री गाडगिंगन गौड़ के कटौती प्रस्ताव संख्या ७ के बारे में निवेदन करता हूं कि आन्ध्र सरकार ने तुंगभद्रा परियोजना के अधीन भूमि को शीघ्रता से कृषियोग्य बनाने का भरसक प्रयत्न किया है । उन्होंने अनेकों योजनायें भारत सरकार के समक्ष रखी हैं और इस भूमि को कृषियोग्य बनाने में उन्हें जो वास्तविक कठिनाई हुई वह यह थी कि कुछ कृषक तो भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये तैयार थे और कुछ कृषक जिनकी भूमि मुख्य नहर से कुछ दूरी पर थी, तैयार नहीं थे । अतः सारे कृषकों को इस बात के लिये तैयार करना कि वे अपनी भूमि को कृषियोग्य बनायें, कठिन था । मेरे माननीय मित्र, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपने प्रभाव से कृषकों को किसी बात पर सहमत करके इस बात के लिये तैयार कर सकेंगे कि वह सरकार से सहायता को मांग करें और मुझे विश्वास है कि आन्ध्र सरकार वह सहायता देगी और इस ओर ध्यान देगी कि भूमि शीघ्र ही कृषियोग्य बनाई जाय । अतः यह टिप्पणी करना कि आन्ध्र सरकार बहुत सुस्त है, और इसने भूमि को सुधारने के लिये कुछ नहीं किया है ठीक नहीं है ।

ग्राम पंचायतों को कुछ व्यावहारिक और दाण्डिक क्षेत्राधिकार देने के बारे में, मुझे सभा को यह बताना है कि आन्ध्र सरकार स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में कुछ सुधार करने के लिये एक व्यापक योजना पर विचार कर रही है । उन्होंने एक विधेयक बनाया है और यदि सभा भंग न होती तो वह उसके समक्ष प्रस्तुत हो गया होता । इस विधेयक में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा ज़िला बोर्डों में सुधार करने के उपबन्ध थे । वे ज़िला बोर्ड के लिये एक प्रकार का

परोक्ष निर्वाचन लागू करना चाहते थे जिससे पंचायतों और नगरपालिकाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता । मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ने आन्ध्र सरकार का प्रशासन अस्थायी रूप से अपने हाथ में लिया है और भावी सभा इन संस्थाओं में सुधार करने की ओर ध्यान देगी ।

मेरे माननीय मित्र शेषगिरि राव की इस आपत्ति के बारे में कि के० सी० नहर के सम्बन्ध में खोसला समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये अधिक प्रयास किया जाना चाहिये, मैं यह कह सकता हूं कि टैक्नीकल समिति के अन्तिम प्रतिवेदन में कहा गया है कि के० सी० नहर को प्रति सैकिंड ६,००० घन फुट पानी ले जाने के लिये फिर से बनाना चाहिये । मेरा ख्याल है कि भारत सरकार ने भी आन्ध्र सरकार को इस बारे में यही करने की हिदायत दी है । मुझे विश्वास है कि सरकार इन सारी बातों पर जो टैक्नीकल समिति ने बताई हैं, विचार कर रही है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही कुछ निश्चय किये जायेंगे । मुझे यह भी आशा है कि पुनः के० सी० नहर को प्रति सैकिंड ६,००० घन फुट पानी की क्षमता की नहर बनाया जायेगा ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : मैं उन लोगों में से हूं जो यह महसूस करते हैं कि भूतपूर्व आन्ध्र सरकार ने अनेकों कार्य किए हैं । उन में बहुत से ऐसे भी कार्य थे जो कदाचित् भिन्न प्रकार से भी किये जा सकते थे यदि हमारे सामान्य वामपक्षी मित्रों ने भविष्य के लिये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये होते तो अच्छा होता, क्योंकि भूत के बारे में विचारने से कोई लाभ नहीं होता । श्री गाडिलिंगन गौड़ को केवल ग्राम पंचायतों के बारे में कई बातें मिल सकी हैं, जो कार्यान्वित नहीं की गई हैं । ग्राम पंचायतों को यथोचित सर्वाधिकार देने के लिये पर्याप्त समय है । इसके अतिरिक्त, मैं उच्च न्यायालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिस की परिस्थिति बड़ी ही भद्दी रही है । न्यायाधीश की नियुक्ति में विलम्ब हुआ है कुछ महीनों से आन्ध्र उच्च न्यायालय में बहुत कम कार्य किया गया है । मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं । सम्भव है कि कुछ कठिनाइयां रही हों । माननीय गृहकार्य मंत्री को चाहिये कि आन्ध्र उच्च न्यायालय का ऐसा प्रबन्ध करें कि न्यायाधीशों के अभाव के कारण काम का हर्ज न हो । मुझे यह पता नहीं है कि अभी भी न्यायाधीश पूरी संख्या में नियुक्त किये जा चुके हैं या नहीं । यदि नहीं किये गये हैं तो अब समय आ गया है कि उनकी नियुक्ति कर दी जाये ।

आंध्र उच्च न्यायालय बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना काम चला रहा है सरकार ने उसके भवन आदि के लिये जो उपबन्ध किया है वह बहुत ही कम है । फिर भी काम आरम्भ तो हो ही जायेगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार राज्य की उच्चतम न्याय सभा के गौरव के अनुरूप ही भव्य भवन आदि निर्माण करने के लिये पर्याप्त मात्रा में धन व्यय करने में संकोच नहीं करेगी ।

आन्ध्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिये अपेक्षित औज़ारों तथा यंत्रों के सम्बन्ध में जो मांग प्रस्तुत की गई है उस का मैं स्वागत करता हूं । अन्य मामलों की तरह सिंचाई के साधन जुटाने के मामले में भी आन्ध्र बहुत समय से अपेक्षित रहा है। नन्दीकोण्डा परियोजना तथा ऊंचाई पर बहने वाली तुंगभद्रा नहर के बनाये जाने के सम्बन्ध में जनता की ओर से बहुत समय से जोर दिया जा रहा है । जितनी जल्दी सरकार इन परियोजनाओं को आरम्भ करेगी उतना ही

[श्री रघुरामैया]

अधिक जनता समृद्ध होगी। इस दृष्टिकोण से जो राशि मंजूर की जा रही है वह बहुत कम है । इन परियोजनाओं के आरम्भ कर दिये जाने पर और अधिक बड़ी धन राशियों की आवश्यकता होगी ।

वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के लिये जो मांग रखी गई है मैं उसका भी समर्थन करता हूं । आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन विषयों में आन्ध्र विश्वविद्यालय विशेष ज्ञान प्राप्ति के साधन उपलब्ध नहीं कर सका है उनके लिये इस विश्वविद्यालय में विशेष प्रबन्ध किये जायें । सरकार को चाहिये कि इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों विश्वविद्यालयों में एक ही विषय के सम्बन्ध में विशेषज्ञता का प्रबन्ध करें ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : माननीय सदस्यों को सम्भवत: यह मालूम है कि तुंगभद्रा परियोजना पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा चुका है और यह परियोजना नियत समय से बहुत पहले पूरी होने वाली है । परन्तु सब से दुख की बात यह है कि लाखों घन फीट पानी बांध कर रखा हुआ है परन्तु एक एकड़ भूमि भी इस पानी का लाभ नहीं उठा रही है । चारों ओर का क्षेत्र पानी के लिये बेचैन है और योजना बनाने वालों ने आस पास की भूमि को पानी का प्रयोग करने योग्य बनाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है । इसका परिणाम यह है कि बाढ़ के दिनों में इस जल को, अन्य जिलों में जहां जल का कोई अभाव नहीं है, एक और फसल उगाने के लिये काम में लाना पड़ता है ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
८.	श्री राघवाचारी	अनन्तपुर तथा धर्मकिरम् तालुकों में सिंचाई के लिए तुंगभद्रा उच्च स्तरीय धारा से शाखा धारा ।	१०० रुपये
१५.	श्री राघवाचारी	अध्ययन के पाठ्यक्रमों में दोहरापन होने की नीति की अस्वीकृति ।	७,५०,०९९ रुपये
१५.	श्री राघवाचारी	सरकारी आर्ट्स कालेज, अनन्तपुर में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों सम्बन्धी नीति की अस्वीकृति ।	७,५०,०९९ रुपये
३४.	श्री राघवाचारी	रायलसीमा में 'ग्रामवार' सिंचाई के साधनों सम्बन्धी नीति की अस्वीकृति ।	६४,५०,०९९ रुपये
३७.	श्री राघवाचारी	२५ साइकल्स की विद्युत् शक्ति को ग्रामीण भागों में फैलाने के लिए ५० साइकल्स कर देने की वांछनीयता ।	१०० रुपये
३७	श्री राघवाचारी	कृषि आवश्यकताओं विशेषतया सिंचाई के लिए पम्पिंग को प्राथमिकता ।	१०० रुपये

सभापति महोदय : अब ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

श्री राघवाचारी : जनता इस बात के स्वप्न देखती थी कि समुद्र के समान यह अपरिमित जल राशि एक दिन आस पास की झुलसती हुई भूमि को लहलहाती हुई फसलों से ढक देगी । ऊंचाई पर बहने वाली नहर के सम्बन्ध में अब जांच आरम्भ की गई है । मैं चाहता हूं कि जांच के दौरान में कुछ बातों का ध्यान रखा जाये । धर्मावरम और अनन्तपुर तालुके ऊंचाई पर स्थित हैं इस लिये ऊंचाई पर बहने वाली यह नहर वहां की भूमि को भी सींच सकती है । बहुत समय से आन्दोलन किया जा रहा है कि यरवाकोंडा तालुका में स्थित पेन्नाओबलम् नामक एक विशेष स्थान से पेन्नार नदी के ऊपर से तथा उसके आर पार एक छोटी नहर ले जाई जा सकती है जो इन दोनों तालुकों की हजारों एकड़ भूमि को सींच सकती है जिससे कि मेरे जिले अनन्तपुर को, जो अभी कम उपज वाला जिला है अतिरिक्त उपज वाला बनाया जा सकता है । उस क्षेत्र की जनता को किसी और सिंचाई परियोजना से कभी भी लाभ प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा । तुंगभद्रा परियोजना आरम्भ में अनन्तपुर जिले के गूटी तथा टाडेपेट तालुकों तथा अन्य जिलों के लिये बनाई गई थी । परन्तु इंजीनियरों का विचार है कि ऊंचाई पर बहने वाली नहर से इन स्थानों में भी पानी पहुंचाया जा सकता है और सभी तालाब भरे जा सकते हैं । श्रम करने वालों का कोई अभाव नहीं है । इस लिये इस क्षेत्र की खाद्य समस्या हल की जा सकती है । इस लिये मैं चाहता हूं कि अन्य बातों की जांच करते समय एक छोटी नहर को मोड़ कर इस ओर लाये जाने के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये ।

एक ओर विश्वविद्यालय, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, के लिये अनुदान का उपबन्ध करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । अनन्तपुर में एक बहुत बड़ा कालिज है जहां हर प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है । परतु वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का स्थान तिरुपति रखा गया है । इस लिये मैं चाहता हूं कि जिन विषयों के सम्बन्ध में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के साधन अनन्तपुर में वर्तमान हैं उन से भिन्न विषयों के सम्बन्ध में ही वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में प्रबन्ध किया जाय ।

इसके बाद में विद्युत् शक्ति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

१९५४–५५ क लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सामान्य अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में सब कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुये मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ७ वापस लेना चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सब कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष रखता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

सब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए । मांग संख्या २४ क कल स्वीकृत हो चुकी है । अब मैं शेष मांगों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि:

"मांग संख्या २, ३९, ४३, ५९, ६१, ६३, ६४, ८५, ८६, १००, १२४ और १३३ के निमित्त ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये क्रम पत्र के तृतीय स्तम्भ में दिखाई हुई अलग अलग अनुपूरक राशियां स्वीकृत की जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[जिन अनुपूरक अनुदानों की मांगों के प्रस्ताव लोक-सभा द्वारा स्वीकृत हुए थे उन्हें नीचे दिया जाता है—सम्पादक, संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
२.	उद्योग	१,००,००० रुपये
३९.	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान	३२,००,००० रुपये
४३.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	१,००,००० रुपये
५९.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	१,००० रुपये
६१.	सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय	४,५०,००० रुपये
६३.	बहुमुखी नदी योजनायें	३०,००,००० रुपय
६४.	विविध विभाग और सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अधीन व्यय	६,८४,००० रुपये
६५.	पुनर्वास मंत्रालय	१,११,००० रुपये
८६.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	८२,४२,००० रुपय
१००.	संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित)	३६,००,००० रुपये
१२४.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	११,३९,८३,००० रुपये
१३३.	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,००,००,००० रुपये

विनियोग (संख्या ४)
विधेयक

राजस्व और असैनीक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं और प्रस्ताव *करता हूं कि:

"वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमनत्रसू विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बधी समिति

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा १५ दिसम्बर, १९४९ को सभा में प्रस्तुतकिये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धीस मितिके अठारहवें प्रतिवेदनसे सहमत है ।"

मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि यह सभा १५ दिसम्बर, १९४९ को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल तथा नियंत्रण करने वाले संविहित निकाय सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय: ३ दिसम्बर, १९५४ को श्री के० एस० राघवाचारी ने जो संकल्प

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तुत किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

रखा था उस पर अब सभा अग्रेतर विचार करेगी । श्री राघवाचारी ने अपना भाषण चार मिनट तक ही दिया था और सभा की बैठक स्थगित हो गई थी । श्री राघवाचारी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : इस विषय का सम्बन्ध सार्वजनिक वित्त से है जिस में सभा के सभी सदस्य बिना किसी दल विभेद के दिलचस्पी रखते हैं, और जब जनता का पैसा तरह तरह के उपक्रमों में लगाया जाये तो संसद् का कर्तव्य है कि वह इन निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में देखभाल करता रहे और पूरा पूरा नियंत्रण रखे । आज के युग में सारे राष्ट्र को देश की औद्योगिक नीति पर पूरी निगाह रखने की आवश्यकता है । औद्योगीकरण आज की सब से बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हमें न केवल उन वस्तुओं के बनाने की आवश्यकता है, जो हमारी जनता की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी हैं, वरन् हमें देश की सुरक्षा से सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध में भी आत्म निर्भर होने की आवश्यकता है । लोकलेखा समिति तथा महा-लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि सरकारी औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है । योजना के प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ १५१ से लेकर १६९ तक दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया इन उपक्रमों में विनियोजित है ।

पिछले बार डा० लंका सुन्दरम् ने जब इसी विषय पर चर्चा चलाई थी तो वित्त मंत्री ने संसदीय नियंत्रण का अधिकार मानते हुये भी कहा था कि आज की स्थिति में ऐसा नियंत्रण वांछनीय नहीं है । पहली बात उन्होंने यह कही थी कि इन उद्योगों में लगाया जाने वाला धन भारत की संचित निधि से लिया जाता है, इसलिये महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षण करने का अधिकार भी संविहित है । जिन गैर-सरकारी समवायों में हमारा पैसा लगा हुआ है उन में राष्ट्रपति या किसी विभाग विशेष का नाम भागीदार के तौर पर अंकित है । इसका मतलब यह है कि समस्त संसद् तथा सारा राष्ट्र उस में भागीदार है और केवल भागीदार ही नहीं है वरन् उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि भी है । इस लिये संविधान के अनुसार महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य भी है कि वह जांच कर के इस बात का संतोष करें कि जनता के पैसे का उचित उपयोग किया जा रहा है । परन्तु इसके विपरीत गैर-सरकारी समवाय अपने उपनियमों से संचालित होता है, इसलिये जब तक उस में ऐसा कोई उपबन्ध न हो कि भारत का महालेखा परीक्षक उसके खातों की जांच कर सकता है महालेखा परीक्षक को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसलिये इस सम्बन्ध में हम इस उक्त समवाय विशेष की इच्छा पर निर्भर हैं । सभी गैर सरकारी समवायों में सामान्यतः प्रति वर्ष समवाय के संचालन मण्डल की मर्जी से ही लेखा परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं । इसलिये यदि अभी उन्होंने लेखा परीक्षकों के खाते जांचने के अधिकार को मान भी लिया है तो आगे चलकर वह इस उपनियम को बदल भी सकते हैं । निस्सन्देह यह बात नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संविहित दायित्व के विरुद्ध है । नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने १० दिसम्बर, १९५३ के संसदीय वादविवाद की पृष्ठ संख्या १९१५ तथा १९१६ में दिये गये उद्धरण के अनुसार, स्वयं कहा है कि इस प्रकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है । उस समय माननीय वित्त मंत्री

ने भी कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कथन ठीक था ।

माननीय वित्त मंत्री का यह भी विचार है कि चूंकि यह बातें विभिन्न मंत्रालयों के कार्य-क्षेत्रों में आ जाती हैं और उन्हीं के द्वारा इन में धन विनियोजित किया जाता है इस लिये प्रतिवर्ष जब संसद् इन अनुदानों को मंजूर करती है तो उस को इन के सम्बन्ध में चर्चा करने तथा इन पर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा अवसर मिलता है । इस लिये एक प्रकार से संसद् वास्तविक देखभाल करता ही रहता है । मैं निवेदन करता चाहता हूं कि संसद् सदस्यों को इतने से ही सन्तोष नहीं है कि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं ।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि एक तरीक़ा और है जिस से संसद् नियंत्रण तथा देखभाल रखता है और वह देखभाल लोक लेखा समितियों तथा प्राक्कलन समितियों के द्वारा की जाती है । लोक लेखा समितियों इतनी व्यस्त रहती है कि वह एक वर्ष में केवल एक या दो मंत्रालयों को ही देख सकती है । इसलिये जो जांच की जाती है वह केवल शव परीक्षा होती है । और जो कुछ थोडी बहुत जांच हुई है उस से यही परिणाम निकला है कि इन उपक्रमों का प्रबन्ध बहुत ही अनुचित ढंग से किया जा रहा है । इस लिये संसदीय नियंत्रण तथा देखभाल के यह दोनों तरीक़े बहुत ही असन्तोषजनक हैं और इस प्रकार संसद् सदस्य अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते हैं । इस लिये इस कार्य के लिये कोई और निकाय बनाया जाये । सरकार का विचार था कि अभी हम को कुछ और अनुभव प्राप्त करना चाहिये और जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाये हमें अपना नियंत्रण भी बढ़ाते जाना चाहिये । मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम ने बहुत दिनों तक संतोष से काम लिया है और इस काल में हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह यह बताता है कि भारी भारी राशियों का कोई उचित हिसाब किताब नहीं रखा जाता है । इस लिये अनुभव प्राप्त करने के लिये यदि हम और अधिक राह देखते रहे तो और अधिक गोलमाल होता रहेगा । हमें अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये और वैसे ही निकाय बनाने चाहियें जैसे कि इंगलिस्तान, अमरीका तथा अन्य देशों की संसदों ने इन बातों पर नियंत्रण रखने के लिये विशेष निकाय बनाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यहां एक संविहित निगम चाहते हैं ?

श्री राघवाचारी : मेरा केवल यही कहना है कि वहां एक निकाय है जो इन बातों का नियंत्रण करती है और उसे ही ऐसा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या उनका आशय संसद् की किसी समिति से है ?

श्री राघवाचारी : मैं रिपोर्ट का निर्देश करके बताऊंगा कि वह क्या है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : शायद माननीय सदस्य का यह विचार है कि इंगलैंड का बोर्ड आफ ट्रेड संसद् का कोई निकाय नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य चाहते क्या हैं । क्या वह यह चाहते हैं कि सभी सरकारी उपक्रमों का संचालन करने के लिये एक संविहित निगम होना चाहिये ? अथवा वह यह चाहते हैं कि इन उपक्रमों के प्रशासन का सुपरिवीक्षण करने के लिये एक और संसदीय समिति होनी चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से वह एक संविहित निकाय चाहते हैं ।

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक हमें ज्ञात है वहां कोई संसदीय समिति नहीं है।

श्री राघवाचारी : मेरे संकल्प में यह मांग की गई है कि इन उपक्रमों का नियंत्रण करने के लिये एक संविहित निकाय होना चाहिये। जब संसद् इन कार्यों के प्रबन्ध तथा सुरक्षित विनियोजन का सुनिश्चय करने के लिये किसी संविहित निकाय की संस्चना, शक्तियों इत्यादि के सम्बन्ध में कोई संविधि पारित करता है तो केवल तभी संसदीय नियंत्रण पूर्णरूपेण होता है, क्योंकि इस अवस्था में संसद् विधान द्वारा एक ऐसा निकाय बनाता है जो स्वयं उसी की ओर से कार्य करता है। अतः यह कथन कि संविहित निकाय संसद् के नियंत्रण को समाप्त कर देता है, मेरी समझ में नहीं आता है।

यह तर्क केवल इसलिये दिये गये हैं जिस से कि यह सिद्ध किया जा सके कि इस समय के नियंत्रण सन्तोषजनक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह एक स्वायत्त शासी निकाय है ? संविहित निगम होने के नाते क्या वह स्वायत्त शासी है या नहीं ? संविहित निकाय के होते हुये संसद् के अधिकारों को अक्षुण्ण रखना किस प्रकार सम्भव है ?

श्री राघवाचारी : मेरी प्रस्थापना केवल यह है कि इन उपक्रमों का सुपरिवीक्षण करने तथा इन पर नियंत्रण करने के लिये एक संविहित निकाय स्थापित किया जाये क्योंकि नियंत्रण की चालू प्रणाली सन्तोषजनक नहीं है, इसलिये संसद् द्वारा बनाये गये किसी निकाय का होना आवश्यक है

श्री सी० डी० देशमुख: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। संसद् द्वारा बनाया गया कोई संविहित निकाय आवश्यक रूप से ऐसा कोई निकाय नहीं होगा जो कि संसद् के प्रस्तावित कृत्यों को संपादन करेगा। इस का अर्थ तो केवल यह होगा कि दिन प्रति दिन के मामलों की देखरेख कार्यपालिका द्वारा न की जा कर किसी अन्य निकाय द्वारा की जायेगी जिस में कार्यपालिका सरकार के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ और व्यक्ति भी होंगे। यदि इसी प्रस्थापना का समर्थन यह कह कर किया जा रहा है कि और अधिक संसदीय नियंत्रण होना चाहिये तो इस से मैं सहमत नहीं हो सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कहना चाहता था। पहली बात, क्या हम दूसरों को सम्मिलित करना चाहते हैं ? दूसरे, यदि यह एक संविहित निकाय है, तो क्या यह निकाय एक संविहित निकाय का नियंत्रण करने के लिये एक दूसरा संविहित निकाय होगा ? क्या वर्तमान संविहित निकायों के सिर पर एक और अधि-संविहित निकाय होगा और वह कार्यपालिका सरकार को हटा कर उन पर सीधा संसद् का अधिकार स्थापित करेगा ?

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : क्या ऐसा करना संविधान के अनुकूल होगा ?

श्री राघवाचारी : मैं इस धारणा को लेकर चला था कि संसद् के नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली ने सन्तोषजनक रीति से कार्य नहीं किया है। इसलिये कोई संविहित निकाय होना चाहिये। मैं यह कहने को भी तैयार हूं कि इस संविहित निकाय में केवल संसद् सदस्य ही नहीं होने चाहियें; परन्तु हम को इन कृत्यों का संपादन करने के लिये एक निकाय स्थापित करना चाहिये। संसदीय संविधि में जो रूपरेखा बनायी है उसी के अनुसार यह निकाय कार्य कर सकता है। अतः इस से संसद् के किन्हीं अधिकारों का उल्लंघन या निराकरण नहीं होगा। उस

से प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट मांगी जा सकती है। उस से यह पूछा जा सकता है कि संसद् द्वारा निर्धारित की गयी नीति का परिपालन किस प्रकार किया गया है, क्या इस से देश को हानि हुई है अथवा लाभ हुआ है, इत्यादि। यह सभी ब्यौरे संविधि में नियमित किये जा सकते हैं। और उस संविधि के अन्तर्गत वह निकाय कार्य कर सकता है।

श्री सी० डी० देशमुख: उस का कार्य पालिका से क्या सम्बन्ध होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: और संसद् से ?

श्री सी० डी० देशमुख: संसद् तो कोई भी विधि पारित करके किसी भी प्रकार का निगम स्थापित कर सकता है। उस निगम को सरकार के किसी मंत्रालय के सामान्य नीति नि शन के अन्तर्गत कार्य करना होगा। वास्तव में वह उन कृत्यों के करेगा जो कि अन्यथा सरकार ारा किये जायेंगे। यदि ऐसा है तो इस से संसदीय नियंत्रण किस प्रकार बढ़ जायेगा ?

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण): यदि ऐसा कोई निकाय बना दिया गया और यदि नियंत्रण प्रणाली तथा नियंत्रण के प्रभाव के सम्बन्ध में मंत्रालय तथा उस संविहित निकाय में कोई मतभेद हुआ तो किस का निर्णय अन्तिम होगा—मंत्रालय का या संविहित निकाय का ?

श्री राघवाचारी: मैं वित्त मंत्री की आलोचना का उत्तर दूंगा। यह भी तो सम्भव है कि बनाये जाने वाले संविहित निकाय में कार्यपालिका को भी स्थान दिया जाये। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पूर्णतया निकाल ही दिया जाये। इस अतिरिक्त नियंत्रण का आशय केवल यही है कि यह संस्थायें आगे भी उसी प्रकार कार्य न करें जिस प्रकार कि वह अब तक करती आयी हैं। अत: कार्यपालिका को भी उसमें स्थान दिया जा सकता है। मेरा आशय केवल यही है कि ऐसे किसी संविहित निकाय के स्थापित किये जाने की आवश्यकता को समझा जाये, और यदि ऐसा करना अपेक्षित हो तो उसे स्थापित कर दिया जाये। मेरा यह आशय नहीं है कि कार्यपालिका का अधिकार बिल्कुल ही हटा दिया जाये, मैं यह चाहता हूं कि इन शक्तियों का इस प्रकार से उपयोग किया जाये जिस से कि संसद् को सन्तोष हो सके कि रुपया ठीक तरह से खर्च किया जा रहा है।

मेरा संकल्प तथा मेरा प्रयोजन यह है कि सरकार का ध्यान एक ऐसी अन्य संस्था या निकाय बनाने की ओर खींचा जाय जो कि संतोषजनक रूप से नियंत्रण एवं जांच कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय: सकल्प प्रस्तुत हुआ कि:

> "इस सभा की राय है कि सरकार तुरन्त ही एक संविहित संस्था बनाये जो ऐसे उद्योगों की सामान्य देखभाल तथा नियंत्रण करे। जिनमें सरकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का पूरा या पर्याप्त हित हो।"

इस संकल्प पर श्री बी० के० दास (कंटाई) तथा श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) ने अपना अपना संशोधन रखा और ये दोनों संशोधन उपाध्यक्ष महोदय ारा प्रस्तुत हुये।

श्री बी० के० दास: मेरे संशोधन का मंतव्य यह है कि प्रस्तावित संस्था मंत्रणा देने वाली हो, तथा उसका क्षेत्र भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीयित समवायों तक ही सीमित हो। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के औद्योगिक उपक्रम एक ही मंत्रालय के अधीन रहें। मेरा प्रयोजन है कि

[श्री वो० के० दास]

कम-से-कम संयुक्त स्कंध समवायों (ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों) के लिये एक मंत्रणा निकाय रहे । यह मंत्रणा निकाय नियंत्रण अथवा सामान्य देखभाल नहीं करेगा प्रत्युत सरकार के मंत्रणादाता के रूप में कार्य करेगा; उदाहरणस्वरूप १९५० में भी उद्योगों की एक विकास समिति की स्थापना हुई थी ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

यह समिति सरकार को उद्योगों को कुशलतापूर्वक चलाने में सहायता देने के विशेष प्रयोजन से स्थापित हुई थी । इसी प्रकार का मंत्रणा निकाय संयुक्त स्कंध समवायों के लिये भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहां फर्टिलाइजर्स, हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान शिपिंग प्रकार की कई कम्पनियां हैं, और मेरा प्रयोजन है कि यदि संसदीय समिति, मंत्रालय का सहयोग प्राप्त करे तो वे घनिष्ट सहयोग में रह कर निकट से देखभाल कर सकते हैं ।

पिछली बार वित्त मंत्री ने सभा को आगाह किया था कि अभी किसी ऐसी संस्था की स्थापना करने का समय नहीं हुआ है । मैं उनसे सहमत हूं कि हमें यह सावधानी रखनी चाहिये कि हम प्रारम्भ में ही कोई ऐसी बात न करें जिससे इन उपक्रमों की प्रगति में बाधा पड़े । इस समय हमें एक बोर्ड से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिये जो कि मंत्रणादाता के रूप में कार्य करेगा ।

मेरे विचार से यदि उत्पादन मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रणा निकाय बनाया जाय, तो संसद् को इस बात से संतोष हो जायेगा कि उसकी एक संस्था वहां है ।

पहिले विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित कई स्थाई समितियां होती थीं क्योंकि वे सन्तोषजनक प्रमाणित नहीं हुईं इसलिये हाल ही में एक स्थाई समिति बनाई गई । मेरे विचार से यदि यह मंत्रणा निकाय भी एक स्थायी समिति का रूप धारण कर ले तो प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा ।

मेरा आशय इतना ही है कि सरकार को इन औद्योगिक उपक्रमों, जो इस समय सीमित समवायों के रूप में चल रहे हैं, तथा भविष्य में जिनके संयुक्त स्कंध समवायों के रूप में स्थापित होने की आशा है, के उचित नियंत्रण तथा देखभाल के सम्बन्ध में मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रणा निकाय बनाना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य) : सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा है मेरा ख्याल है कि प्रस्ताव के पीछे जो भावना है, शब्दों से वह भावना प्रकट नहीं होती । यह बात सही है कि अब हमारी सरकार दिनोंदिन उद्योगों को अपने हाथ में ले रही है और यह भी सम्भव है कि कुछ दिनों के बाद हमारे देश में जो दूसरे उद्योग अभी चालू हैं उनका राष्ट्रीयकरण भी हो जाये । इसलिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस बात का निर्णय करे कि जो उद्योग इस समय सरकार के हाथ में है और आगे जिन उद्योगों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है उनके प्रबन्ध का क्या रूप होगा । अब तक समय समय पर जो बहस इस सम्बन्ध में इस सदन में हुई है और सदस्यों ने अपने जो विचार प्रकट किये हैं और समय समय पर हमारे वित्त मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है

कि सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित की है या नहीं की । हमारे माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कंट्रोलर ऐंड आडिटर जेनरल ने सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बना कर राज्य के उद्योगों को चलाया जाय । माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं कि यह विषय सरकार द्वारा अटौरनी जनरल के पास भेजा गया था और उससे पूछा गया था कि क्या कंट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल का यह विचार कि इस तरह की प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बनाना हमारे विधान पर एक फ्राड है, सही है ? मुझे मालूम है कि अटौरनी जनरल ने कंट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल की राय के खिलाफ अपने विचार प्रकट किये हैं और कहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बना कर सरकार द्वारा उद्योगों का चलाया जाना विधान के खिलाफ नहीं है । फिर भी यह बहुत ही महत्व का विषय है और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने एक मौक़े पर जब कुछ देर के लिये सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि दरअसल में किन उद्योगों को सरकार किस संगठन के ज़रिये से चलाना चाहती है ।

यद्यपि उनके एक वक्तव्य से यह भी प्रकट हुआ था कि अभी जो कम्पनीज़ बिल इस सभा के सामने आने वाला है उसमें इस तरह का एक अध्याय जोड़ा जा रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के प्रबन्ध में राज्य के उद्योग धन्धे किस प्रकार चलाये जायेंगे । मालूम नहीं कि जो प्रवर समिति बैठी है उसमें इस विषय में कहां तक प्रगति हुई है । मुझे इस समय इतना ही कहना है कि सरकार के ऊपर जो उद्योगों के संचालन की ज़िम्मेवारी और जवाबदेही आ रही है उसके सम्बन्ध में सरकार को जल्दी से जल्दी अपनी नीति का निर्णय कर लेना चाहिय । दो तीन दिन हुये जब मैं ने एक प्रश्न उत्पादन मंत्री महोदय से किया था और इस सम्बन्ध में मैं ने कई प्रश्न दूसरे अधिवेशन में भी किये थे कि क्या सरकार केन्द्र में कोई ऐसा संगठन स्थापित करने का विचार कर रही है कि जिसके ज़िम्मे जो हमारे चालू उद्योग हैं उन पर निगरानी रखने का काम हो । जवाब में उत्पादन मंत्री ने बतलाया है कि अभी तक सरकार इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है । मेरा कहना इतना ही है कि जब राज्य की ज़िम्मेवारी बढ़ती जा रही है और हम बड़े बड़े उद्योगों का संचालन कर रहे हैं तो हमें जल्दी से जल्दी इस बात का निर्णय कर लेना चाहिये कि किन किन उद्योगों के संचालन के लिये हम किस किस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करेंगे । हम जानते हैं कि रेलवे उद्योग का संचालन रेलवे मंत्रालय कर रहा है । हम जानते हैं कि पोस्टल विभाग का संचालन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री कर रही है । लेकिन साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि जो सिंदरी का फर्टिलाइजर का कारखाना है उसके संचालन के लिये एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनायी गयी है । हम यह भी जानते हैं कि बंगलौर में जो टैलीफोन इन्डस्ट्री चालू है उसके संचालन के लिये भी एक प्राइवेटलि मिटेड कम्पनी बनायी गयी है । इन संस्थाओं में सरकार ने काफी रुपया लगा रखा है । सवाल यह है कि इन संस्थाओं के संचालन में कितना अधिकार सरकार को है, कितना अधिकार संसद को है, कितना अधिकार मंत्री को है, और इनकी निगरानी और नियंत्रण में किस हद तक सरकार का हाथ रहेगा यह निर्णय नहीं हुआ है ।

इस समय देश में दो विचार धारायें चल रही हैं । एक विचारधारा तो यह है कि एक बार यदि किसी उद्योग का संचालन

[श्री एस० एन० दास]

भार किसी संस्था को दे दिया जाय तो फिर उसके कार्य में सरकार की तरफ से कम हस्तक्षेप होना चाहिये । दूसरी तरफ यह विचारधारा है, और इस संसद् के बहुत से माननीय सदस्य दूसरी विचारधारा के मानने वाले हैं, कि जब राष्ट्र किसी संस्था में या किसी उद्योग में रुपये लगाता है तो उसका फर्ज़ है कि वह उस पर सरकार और संसद् के द्वारा पर्याप्त निगरानी, निरीक्षण. और नियंत्रण रखे । एक दिलचस्पी हमारी यह है कि हम टैक्सपेयर के प्रतिनिधि हैं और उस हैसियत से हमें यह अधिकार है कि हम देखें कि जो रुपया हम किसी संस्था को उद्योग चलाने के लिये देते हैं वह संस्था उस उद्योग को ठीक प्रकार से और मितव्ययता के साथ चलाती है या नहीं । दूसरी ओर हम उपभोक्ता के भी प्रतिनिधि हैं और उस हैसियत से हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम यह देखें कि उस उद्योग के द्वारा जो माल तैयार होता है वह ठीक प्रकार का है या नहीं और मितव्ययता के साथ तैयार किया जाता है या नहीं । इसलिये यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और मेरा ख्याल है कि शायद सरकार को जितना ध्यान इस पर देना चाहिये उतना वह नहीं दे रही है, अथवा वह यह नहीं सोच पा रही है कि इस बढ़ती हुई ज़िम्मेदारी को निभाने के लिये किस प्रकार का संगठन कायम किया जाय । एक सवाल है संगठन को कायम करने का । दूसरा सवाल यह है कि उस संगठन पर सरकार का, संसद् का नियंत्रण किस तरह का हो और तीसरा सवाल यह है कि जो सरकारी विभाग है उसका नियंत्रण और निगरानी उस संगठन पर कैसी होगी । यह इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं कि जिन पर जल्दी में निर्णय कर लेना भी अच्छा नहीं । इस लिये हमने जो संशोधन रखा है उस का आशय है कि राष्ट्रीय उद्योग और व्यवसायिक संस्थाओं के कार्य पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिये एक संविहित संस्था की आवश्यकता पर संसद् की एक समिति द्वारा विचार किया जायगा । साथ ही यह भी ज़रूरी है कि राष्ट्रीय उद्योगों को चलाने के लिये किस तरह का संगठन होना चाहिये, उसके अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होंगे और उसका कितना अधिकार क्षेत्र होगा, कहां तक वह संगठन सरकार के नियंत्रण में काम करेगा, कहां तक उस पर संसद् का और संसद् के द्वारा मंत्री का उस पर अधिकार होगा । इसलिये सभापति महोदय, जो मैं ने संशोधन रखा है उसकी भावना यह है कि इन सब प्रश्नों पर यदि सरकार विचार कर रही है तो अच्छी बात है लेकिन संसद् के सदस्यों को भी मौक़ा देना चाहिये कि वे इस सारे पहलू पर सब दृष्टिकोणों से विचार करके अपने विचार सरकार और देश के सामने रखें कि उनका राजकीय उद्योगों को चलाने के बारे में क्या विचार है, कहां तक उन उद्योगों पर संसद् का और संसद् के द्वारा मंत्री का अधिकार होना चाहिये और जो संस्था उद्योग को चलाने के लिये बनायी जायगी उसके अधिकार का दायरा क्या होगा और उसकी जवाब देही क्या होगी, उनका एक दूसरे से क्या सम्बन्ध होगा । इन सारी बातों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करके संसद् के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिये एक समिति बनायी जाय और यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो अन्धकार सा मालूम होता है और जो यह विचारधारा साफ नहीं मालूम होती वह साफ हो जायगी और अन्धकार नहीं रहेगा । मैं चाहता हूं कि संसद् के सदस्यों की वह समिति बने जो इस सम्बन्ध में सारे पहलुओं पर विचार करके संसद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे और उस रिपोर्ट पर फिर हम सरकार

के साथ विचार करें। इस प्रकार हम समझते हैं कि इस कल्याणकारी राज्य के अन्दर जो बड़े बड़े उद्योग हम अपने हाथ में लेने वाले हैं उनके विषय में हमारा दिमाग साफ हो जायगा। अगर इस विषय में हमारा दिमाग साफ नहीं रहेगा तो आगे हम उद्योगों के उत्तरदायित्व को ठीक से निभा नहीं सकेंगे। इसलिये संसद् के सदस्यों की एक कमेटी बनाना हमारे लिये बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिये ताकि संसद् के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का और दूसरे लोगों के विचारों को, जो कि उद्योगों का अनुभव रखते हैं, समझने का अवसर, प्राप्त हो, और हम दूसरों के अनुभव से लाभ उठा सकें।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : मुझे दुख है कि मैं श्री राघवाचारी के संकल्प से असहमत हूं। किन्तु मेरे विचार से यह संकल्प सभा के प्रतिकूल है। वह राज्य द्वारा व्यवस्थापित उद्योगों के नियंत्रण के लिये एक निगम स्थापित करना चाहते हैं। वास्तविक समस्या यह है कि इन उद्योगों की व्यवस्था किस प्रकार की हो, तथा कड़े राज्य प्रशासन की और लाल फीताशाही का ध्यान रखते हुये भी सर्वाधिक कुशलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। मेरे विचार से जिस व्यवस्था का सुझाव दिया गया है, उसमें व्यापार तथा सार्वजनिक प्रशासन, दोनों की ही अच्छाइयां सम्मिलित हैं। हम जानते हैं कि हमारे विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों की व्यवस्था करने के लिये निजी सीमित समवाय बना लिये गये हैं तथा ये भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन पंजीयित भी हैं।

किन्तु श्री राघवाचारी ने जो सन्देह प्रकट किये हैं वे १९५३ में डा० लंका सुन्दरम् ने भी व्यक्त किये थे। उनके अनुसार संसद् को इन उपक्रमों के कार्य की परीक्षा करने तथा उस पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिये। संक्षेप में, वह इन उपक्रमों पर देखभाल करने का अधिकार चाहते हैं।

हम जानते हैं कि ब्रिटेन में भी राष्ट्रीय उद्योग, संविहित निगमों के द्वारा चलाये जाते हैं। किन्तु निजी सीमित समवाय होने के कारण इन पर संसद् का अधिकार अधिक है।

इस समय स्थिति यह है कि आवश्यक राशि, स्वीकृति के लिये संसद् के समक्ष रखी जाती है तथा उस पर अनुदानों की मांग के रूप में स्वीकृति प्राप्त की जाती है तथा संसद्, मंत्री जी से प्रश्न पूछ कर अथवा बजट पर चर्चा करके अपना नियंत्रण रखती है। इसके अलावा इन समवायों की सत्ता के अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि उसे समवाय अधिनियम के अधीन विहित लेखा परीक्षा के अलावा भी लेखा-परीक्षा करने का अधिकार है, यदि इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं तो साथ ही इनमें सामान्य वाणिज्यिक उपक्रमों के नियमों तथा विनियमों का लाभ भी प्राप्त है तथा इन उपक्रमों में कुशलता का ऊंचा मानदण्ड तभी रखा जा सकता है जब कि इन संस्थाओं की व्यवस्था वाणिज्यिक आधार पर हो।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मुझ से पहले के वक्ता तथा वित्त मंत्री ने जो कुछ भी कहा है उससे प्रतीत होता है कि वे सब इस सम्बन्ध में अनजान हैं। हमें अभी नियंत्रण तथा देखभाल की एक उचित पद्धति विकसित करनी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने उद्योगों के नियंत्रण तथा देखभाल और व्यवस्था में भ्रांति उत्पन्न कर दी है। आज राज्य उपक्रमों पर प्रभावशाली रूप से देखभाल व नियंत्रण करने के लिये कोई कार्य प्रणाली नहीं है।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

इनकी भारत में एकरूपता नहीं है । विभिन्न प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है इसलिये यह अधिक आवश्यक है कि इन राज उपक्रमों के व्यापक क्षेत्र में नियंत्रण व देखभाल के लिये एक स्वतन्त्र संविहित संस्था हो ।

जो उपक्रम रक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं उनमें तो संसद् का कुछ नियंत्रण रहता है किन्तु रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में हम नहीं जानते कि वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : रक्षा प्रतिष्ठापनों में कोई निगम अथवा समवाय कार्य नहीं कर रहे हैं । यदि माननीय सदस्यों को सूचना नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि गोपनीयता के कारण ऐसा हो । अन्यथा कार्यपालिका से संसद् को सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा तात्पर्य यह था कि यदि नागरिक क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्र दोनों के ही नियंत्रण तथा देखभाल के लिये कोई संविहित बोर्ड होता तो बहुत अच्छा रहता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर) : मेरा निवेदन है कि जब हम बजट पर, जिसमें कि ४०० करोड़ रुपये का व्यय अन्तग्रस्त रहता है, चर्चा करते हैं तो सरकारी क्षेत्र में सभी सूचनायें उपलब्ध रहती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी सार्वजनिक धन अन्तर्ग्रस्त हो वहां इस प्रकार की गोपनीयता नहीं रखी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल्कुल जुदा मामला है । किसी सूचना को गोपनीय रखना मंत्रिपद का विशेषाधिकार है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे हस्तक्षेप करने का कारण केवल यह था कि माननीय सदस्य का तर्क इस बात पर आधारित था कि चूंकि संसद् को यह ज्ञात नहीं रहता कि रक्षा प्रतिष्ठापनों का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है इसलिये हम एक निगम चाहते हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है यह कार्यपालिका का सीधा उत्तरदायित्व है और यदि कुछ सूचना प्राप्त नहीं होती तो वह दूसरे कारणों से है, न कि संविहित निगम की अनुपस्थिति से ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह कहना चाहता था कि इस प्रकार का निकाय बनाने से रक्षा प्रतिष्ठापनों के कार्यों में सुधार होगा और गोपनीयता भी बनी रहेगी । ऐसे एक निकाय के स्थापित हो जाने से अधीक्षण और नियंत्रण में अधिक सुविधा हो जायेगी । इस संविहित निकाय के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संसद् तय करेगी और इस काम के लिये सरकार को एक विधेयक पेश करना चाहिये । इसका एक और कारण यह भी है कि राज्य उपक्रम अभी नया है और प्रयोगात्मक अवस्था में है, और सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है अतः यह निश्चित करने के लिये कि कौन से प्रकार का प्रबन्ध सर्वोत्तम है, एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है ।

श्री एन० ए० बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मेरा इरादा नहीं था कि इस प्रस्ताव पर मैं अपनी राय जाहिर करूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित ही होगा कि नागपुर शहर में नागपुर इलैक्ट्रिक लाइट एंड पावर हाउस कम्पनी के संचालकों और कर्मचारियों में चल रही एक लड़ाई जिसको कि मैं छोड़ कर यहां आया हूं उसके बारे में मैं अपने अनुभव पार्लमेंट के सामने रखूं । नागपुर में एक इलैक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर हाउस कम्पनी है जो कि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट १९४८ के नियमा-

नुसार चलनी चाहिये । इस ऐक्ट के मुताबिक़ ५ फीसदी से ज्यादा डिविडैंड नहीं दिया जा सकता लेकिन इस कम्पनी के मैनेजिंग डाइरैक्टर और दूसरे लोगों ने यह तै कर लिया है कि ५ फीसदी नहीं, १० फीसदी और १५ फीसदी डिविडैंड देना चाहिये और वह ऐसा करते भी रहे हैं । यह सब कुछ बैलेंस शीट में मौजूद है । बैलेंस शीट से पता चलेगा कि इस कम्पनी में कितनी धांधलेबाज़ी चल रही है । अब उस कम्पनी के मालिकों ने यह तै किया है कि मज़दूरों को निकाल दिया जाये । और १२० कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया । इस पर हम उन को मिलने गये और मज़दूरों की तक़लीफें उन के सामने रखीं और कहा कि यह बेचारे भूखे मर रहे हैं, उन को न निकाला जाये । मैंने देखा है कि १९४८ का इलैक्ट्रिक सप्लाई एक्ट होते हुये भी उस की प्रोविज़न्स को कंट्रावीन किया जाता है और गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती । नागपुर इलैक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर हाउस कम्पनी के बारे में ही देख लीजिये कि वहां पर अब मज़दूर कितनी तक़लीफ़ में हैं और किस तरह से इस कम्पनी के मालिक इस ऐक्ट की प्रोविज़िन्स को कंट्रावीन कर रहे हैं । इस वास्ते एक ऐसी बॉडी की बड़ी ज़रूरत है जो कि यह देखे कि मज़दूरों को बिना किसी वजह के न निकाला जाये और मालिक अपनी मन मानी न कर सकें । इस बॉडी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह देखे कि कारोबार ठीक तरह से चलता रहे और उत्पादन भी बढ़े । इन सब चीज़ों की देखभाल करने के लिये मैं यह चाहूंगा कि एक कंट्रोलिंग बॉडी बना दी जाये जिसका काम यह भी देखना हो कि हमारे देश की उपज बढ़े ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है एम्प्रैस टैक्सटाइल मिल के बारे में जो कि नागपुर में कपड़े का एक बहुत बड़ा कारोबार कर रही है । वहां भी मज़दूरों को निकाला जाता है और बड़े अफसरों को भर्ती किया जाता है । यह तरीक़ा भी अन्यायमूलक है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर) : यह सब प्राइवेट मिल की बातें कर रहे हैं जो कि इस रैज़ोल्यूशन के स्कोप से बाहर हैं ।

श्री एन० ए० बोरकर : प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट है ।

श्री राघेलाल व्यास (उज्जैन) : ये सब ग़ैर सरकारी उपक्रम है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह सब संकल्प के "अन्यथा" शब्द में आ जाता है । अतः माननीय सदस्य का कथन प्रकरणसंगत है ।

श्री एन० ए० बोरकर : मैं ज्यादा न कहते हुये इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है यह बहुत ही ज़रूरी है और एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिये जो कि यह देखे कि इन कम्पनियों वग़ैरह में काम ठीक ढंग से चलता रहे और मज़दूरों को किसी तरह का नुक़सान न होने पाये, उन पर अत्याचार बन्द हो जाये और उत्पादन भी बढ़े ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जहां तक पब्लिक सैक्टर का सवाल है मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उसने एक ऐसा क़दम उठाया है जिस से देश को उन्नत करने में बड़ी भारी सफलता मिली है । मैं समझता हूं कि इस सैक्टर को जहां तक मुमकिन हो सके बढ़ाना चाहिये और प्राइवेट सैक्टर के लिये बिल्कुल ही लिमिटेड स्कोप होना चाहिये । यह मैं इस वास्ते कहता हूं कि जब कभी देश में संकट आता है या लड़ाई छिड़ जाती है या चीज़ों की कमी हो जाती है तो उस वक्त प्राइवेट सैक्टर केवल अपने फायदे के लिये और

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

लोगों को एक्स्प्लौइट करने के लिये ही काम करता है और उसको चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाने की इच्छा नहीं होती और न ही वह यह चाहता है कि इसमें ज्यादा धन लगाया जाय जिस से कि देश का भला हो।

सलिये जहां तक पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने का सवाल है मैं इसका स्वागत करता हूं। अब जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने है वह उसके प्रबन्ध का है। हम यह देख रहे हैं कि जितने भी उद्योग हमारे देश में खोले जा रहे हैं उन में काम करने वाले कर्मचारियों की शर्तें भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से वहां का काम चलाया जाता है। इसके इलावा रुपये की बहुत हानि हो रही है, क्योंकि देखभाल करने के लिये जो व्यवस्था हम ने की है वह ठीक नहीं है। यह सब सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे इस रुपये को जो कि उनकी डिस्पोज़ल पर रख दिया जाता है किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। एक सैक्रेटरी महोदय जो कि लिमिटेड कम्पनी के चेयरमैन बन जाते हैं उनके पास इतना अवकाश नहीं होता कि वह तमाम चीज़ों का सुपरविज़न कर सकें या देखभाल कर सकें। कहने को तो कहा जाता है कि तमाम देश भर में जगह जगह काम हो रहे हैं, उनमें बड़ी भारी प्रगति हो रही है और देश बहुत उन्नति कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पये का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है और बहुत सा रुपया फज़ूल व्यय किया जाता है। मैं ने एक बार वित्त मं ी महोदय से यह पूछा था कि इन सब उद्योगों में कितनी पूंजी लगाई गई है और मन्त्री महोदय ने वायदा किया था कि वे यह इनफर्मेशन हाउस को सप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसी इन्फर्मेशन नहीं सप्लाई की। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उन्होंने यह इन्फर्मेशन सप्लाई क्यों नहीं की ? क्या देश को और इस सदन को यह चीज़ पूछने का हक़ हासिल नहीं है ? क्या देश को और इस सदन को यह जानने का हक़ नहीं है कि यह सब उद्योग किस ढंग पर चल रहे हैं, क्या इन में कोई नफा हो रहा है या नुक़सान हो रहा है, सालाना वित्तीय आंकड़े क्या हैं इत्यादि ? मैं ने अपने आंकड़े इकट्ठे किये हैं और उन के अनुसार पंचवर्षीय प्लैन के अन्दर आप ने प्रोग्रैस रिपोर्ट में लिखा है कि उद्योगों में आप सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और अगर सभी सरकारी उद्योग आप ले लें तो उस में तक़रीबन दो हज़ार करोड़ रुपये व्यय होंगे। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से पूछता हूं कि वह यह सब आंकड़े अभी तक हमें क्यों सप्लाई नही कर सके हैं। ४०० करोड़ रुपये को आप बजट में दिखाते हैं और इस पर आप इस सदन में वादविवाद करते हैं, लेकिन यह बतलाने की तक़लीफ गवारा नहीं की जाती कि इन उद्योगों में कितनी पूंजी लगाई गई है और इन का काम किस ढंग से चल रहा है और आगे के लिये आप किस ढंग से चलाने का विचार कर रहे हैं। यह सब बातें सदन के सामने ज़रूर आनी चाहियें। मैं यह सब बातें जानने के लिये मंत्रियों से भी जाकर मिला हूं और जब एक बात पूछने के लिये मैं एक मन्त्री के पास जाता हूं तो वह कहते हैं कि यह किसी दूसरे मन्त्री का महकमा है और आप उनके पास जाइये और जब उनके पास जाता हूं तो वह कहते हैं कि तीसरे के पास जाइये। मैं इंडियन ेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की ही बात करता हूं। जब इसके बारे में मैं वित्त मंत्री जी से पूछने गया तो उन्होंने कहा कि यह कम्युनिकेशन मिनिस्टर का महकमा है आप उनके पास जाइये और जब मैं उनके पास जाता हूं तो वह कहते हैं कि आप वित्त मंत्री के पास जाइये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज कोई

यूनिफौर्मिटी नहीं है कोई कोआरडीनेशन नहीं है।

आज ज़रूरत इस बात की है कि इन सब इण्डस्ट्रीज़ का काम सुचारु ढंग से चले और उनमें कोआर्डिनेशन हो। आज यह दोनों ही नहीं हैं। इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ में मैं ने देखा कि एक बड़े अफसर ने अपना साला नौकर करवा लिया और उसको माल खरीदने की जगह पर लगा दिया। जब भी कोई माल टेंडर के ज़रिये उसे खरीदने को कहा जाता था तो वह कागज़ात को दबा कर बैठ जाता था और जब डिमांड बहुत एमर्जेंट हो जाती थी तो वह कहता था कि बाज़ार से खरीद कर ली जाये और चूंकि टेंडर के ज़रिये वह चीज़ इतनी जल्दी मंगाई नहीं जा सकती थी जितनी जल्दी उस चीज़ की ज़रूरत होती थी इस वास्ते उस चीज़ को बाज़ार से लोकली खरीद करने की ही इजाज़त दे दी जाती थी और वह मन माने दामों पर ही खरीद कर ली जाती थी। इस तरह से उसने काफी रुपया कमाया। आखिरकार जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने इस चीज़ को डिटैक्ट किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस कमेटी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह इन सब चीज़ों में जाये और यह अधिकारियों का ही फर्ज़ होनाचाहिये कि वे इनको देखें। इतना ही नहीं जो इन्फर्मेशन सप्लाई की जाती है वह भी ग़लत सप्लाई की जाती है। आई० टी० आई० की ही मिसाल ले लीजिये। मैं वहां पर गया और मैं ने उनसे पूछा कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भारत में ही बना लेते हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बाहर से मंगाते हैं। मुझे बताया गया कि ३० फीसदी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं और ७० फीसदी चीज़ें यहीं पर तैयार की जाती हैं। मैं ने पूछा कि कुल उत्पादन में कितनी चीज़ें लगती हैं तो मुझे बताया गया कि ५००। फिर मैं ने पूछा कि हिन्दुस्तान से कितनी चीज़ें मिलती हैं तो उन्होंने कहा कि ५०। अब आप अन्दाज़ा लगाइये कि उन्हों ने कितनी ग़लत और कंट्राडिक्टरी इन्फरमेशन हमें सप्लाई की। पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ३० फीसदी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं और बाद में कहा कि ५० चीज़ें हिन्दुस्तान में पैदा होती हैं और ४५० बाहर से मंगाई जाती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुये किस तरह से पब्लिक का दिमाग़ ठीक ढंग से काम कर सकता है और किस तरह से मंसद् सदस्य ठीक तरह से सोच सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन सब चीज़ों को आप ठीक तरह से प्लैन करें और देखें कि इन में ठीक ढंग से खर्च किया जा रहा है। जब इन उद्योगों में हम बड़ी बड़ी रक़में खर्च कर रहे हैं तो हमारा यह फर्ज़ भी हो जाता है कि हम देखें कि यह ठीक ढंग से खर्च हो रही हैं। कोई साल भर हुआ मैं ने एक बिल पेश किया था जिस में मैं ने एक योजना बना रखी है कि हमें चाहिये कि हम एक कंट्रोल बोर्ड की नियुक्ति करें जिस में बहुमत अधिकारियों का न हो बल्कि जनता के प्रतिनिधियों का हो। वह बोर्ड हो जनता के प्रतिनिधियों का। जो उन कामों को समझते हों उनका उसमें प्रतिनिधित्व हो। जब तक किसी काम में एक्सपर्ट भाग नहीं लेते तब तक वह अच्छी तरह से नहीं चल सकता। तो मैं चाहता हूं कि एक कंट्रोल बोर्ड बनाया जाय और यह उसकी जिम्मेदारी रखी जाय कि वह देखे कि जो हमारे उद्योग हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाय, कैसे उनकी उन्नति की जाय और कैसे उनमें एकरूपता लायी जाय। अगर इंगलैंड अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पाया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में भी ऐसा करने की क्षमता नहीं है। यहां एक से एक योग्य आदमी मौजूद हैं। आप उनको अपने विश्वास में लें तभी आपके

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

उद्योग धन्धे ऊंचे बढ़ सकेंगे। और यदि आप थोड़े से ब्यूरोक्रेट लोगों के हाथ में सारे अधिकार रखेंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। जनता में अभी भी इस बात पर चिन्ता है कि इस बात पर सरकार ग़ौर नहीं कर रही है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं वित्तमंत्री और प्रोडक्शन मंत्री से और भी मंत्रियों से जिनके पास सरकारी उद्योग हैं कि वे इन प्रश्नों को संसद् के सामने लावें ताकि इस चीज़ को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

राज्य या किसी संविहित निकाय का जितना ही कम नियंत्रण रहेगा देश के उद्योग के लिये उतना ही अधिक अच्छा रहेगा। ऐसा संकल्प तो उस समय पेश होना चाहिये था जब हमारे देश के उद्योग की स्थिति काफी मज़बूत हो जाती। मुझे दुख है कि अब तक भी आसाम में बड़े पैमाने पर कोई उद्योग नहीं है।

मैं नहीं समझता कि इस संकल्प में आये 'अन्यथा' शब्द का क्या अभिप्राय है।

मैं आसाम के बारे में कह रहा था कि वहां कुटीर उद्योगों को छोड़ कर अन्य उद्योग नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के बारे में जारी किये गये ज्ञापन में कहा गया है कि आसाम में चाय उद्योग में वृद्धि हुई है। पर मैं कहता हूं कि इसका श्रेय सरकार को नहीं है। उसी ज्ञापन में कहा गया है कि एक चीनी मिल, एक जूट मिल और एक कागज़ मिल शीघ्र ही आसाम में स्थापित किया जाने वाला है पर इस 'शीघ्र ही' शब्द का अर्थ 'अनिश्चित काल' के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि सरकार ने आसाम राज्य में उद्योगों की अभिवृद्धि के लिये क्या किया है ?

महायुद्ध के बाद १९४६ में जनता के पास धन था—वे एक कपड़े का कारखाना एक जूट का कारखाना और एक क़ागज़ का कारखाना खोलना चाहते थे। क़ागज़ का कारखाना खोलने के लिये आसाम में बहुत अधिक सुविधायें हैं क्योंकि बांस वहां बहुतायत से पैदा होता है।

जहां तक कपड़े की मिल के खोलने का प्रश्न है, वास्तव में, कुछ तकलियां खरीदी गयी थीं और १९४७ में व्यक्तिगत उपक्रम प्रारम्भ किया जाने वाला था पर सरकार ने इस पर रोक लगा दी। सरकार ने न तो कोई पूंजी दी, न किसी समवाय को काम करने दिया और न इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ही किया।

मैं नहीं चाहता कि औद्योगिक संगठनों के भीतरी कार्यक्रमों में दखल दिया जाय। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संकल्प वापिस लें।

श्री सी० डी० देशमुख : अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य के हृदय में जो थोड़ा सा भय उत्पन्न हो गया था उसके विपरीत मैं मुख्य संकल्प और उस के बारे में रखे गये संशोधनों का विरोध करता हूं।

जहां तक इस संकल्प के प्रस्तावक का सम्बन्ध है, मैं उनके उन अस्पष्ट शब्दों का विरोध करता हूं जिन्हें उन्होंने मेरे सम्बन्ध में प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि इस समस्या के बारे में वित्त मंत्री ने कुछ विचार प्रकट किये हैं और मुझे लगता है कि वास्तव में वह एक ऐसे निकाय के सम्बन्ध में सचमुच सहमत हैं। मैं ने अपने भाषण को पुनः पढ़ा है, पर मुझे उसमें ऐसी कोई बात नहीं मिली

जिससे उक्त विचारों का समर्थन होता हो। फिर भी, उस अवसर पर कहे गये मेरे शब्दों का वह कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने 'काफी समय में' शब्दों का प्रयोग किया है। पर मैं अपने भाषण में इन शब्दों को भी नहीं पा सका। एक स्थान पर हमने 'उचित समय पर' और एक स्थान पर 'पूरे समय पर' शब्दों का प्रयोग किया है और इन शब्दों का प्रयोग अन्य प्रसंगों में किया गया है।

अपने भाषण को दोबारा पढ़ते समय मैं ने देखा कि जहां तक सरकारी संस्थाओं के प्रबन्ध के मामले का सम्बन्ध है मैं ने कहा था:

> "कि जहां तक सामान्य मामले का सम्बन्ध है, वह राज्य उपक्रम के कुशल व्यवहार का है और मैं समझता हूं कि अच्छा होता यदि इस विषय पर एक सर्वांगीण चर्चा हुई होती कि इन राज्यों के उपक्रमों का प्रबन्ध कैसे चलाया जाय।"

अतः मैं इस विशेष संकल्प द्वारा पैदा हुई चर्चा का स्वागत करता हूं यद्यपि मुझे चर्चा के विषय और स्वरूप से पूर्ण असंतोष है। अधिक अच्छा और उपयोगी होता यदि हम पहले इस बात का अध्ययन कर लेते कि हमारे देश और अन्य देशों में प्रबन्ध के कौन कौन से भिन्न भिन्न स्वरूप हैं; उनके क्या अनुभव हैं और हमारे अग्रेतर अनुभव क्या हैं और उसके पश्चात् यहां वादविवाद में विचारों का स्पष्टीकरण करते। तब हमें एक विशेष स्वरूप में ही अपने विचारों को प्रकट करना आवश्यक न होता। मेरा मतलब यह है कि उक्त प्रकार से हम सरलता से इस निश्चय पर पहुंच जाते कि सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिये कहीं विभागीय प्रबन्ध, कहीं समवाय प्रबन्ध और कहीं निगम प्रबन्ध अधिक सुविधाजनक रहते हैं।

हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं और मुझे कुछ बातों का उत्तर देना है जो कही गयी हैं। ऐसा करने के पूर्व मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि आप की बातें वैधानिक दृष्टि से असंगत हैं, क्योंकि संसद् और कार्यपालिका के बीच की कोई चीज नहीं हो सकती। संसद् के कर्तव्य अलग हैं और कार्यपालिका के अलग हैं और संगठित किया गया कोई भी निकाय या तो संसदीय निकाय होगा या उसके अधीन होगा अथवा कार्यपालिका के निदेशन और नीति के अधीन होगा; इसी कारण यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि पर्यवेक्षण के लिये केवल एक संविहित निकाय बना देने से ही इस सम्बन्ध की सारी कठिनाइयां कैसे दूर हो जायेंगी। क्योंकि यदि हम ऐसा एक निकाय बनाते हैं तो उसके कार्यों को किसी मंत्रालय या मंत्री से सम्बन्धित करना पड़ेगा और वह विशेष मंत्री संसद् तथा मंत्रिमंडल के समक्ष उस कार्य के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार, कार्यपालिका के रूप में समुचित पर्यवेक्षण करने में समर्थ नहीं है तो इस प्रकार के सफल पर्यवेक्षण की कितनी आशा संसद् द्वारा बनाये गये एक संविहित निकाय से की जा सकती है। क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जब हमारे सामने बहुत उपक्रम होंगे तब केवल एक निकाय उनकी नीतियों का निदेशन और कामों का अधीक्षण नहीं कर सकेगा। हर प्रकार से यह काम कार्यपालिका सरकार से सम्बन्धित है।

पिछले वादविवाद के बाद कुछ नई बातें हुई हैं जिनके बारे म मैं कुछ कहना चाहता हूं। मंत्रिमंडल में एक उत्पादन समिति बनाई गयी है। इसमें प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के अतिरिक्त वह मंत्री भी हैं जिनका सरकारी उपक्रमों से कुछ सम्बन्ध है जैसे रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री उत्पादन मंत्री,

[श्री सी० डी० देशमुख]

वाणिज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्री, संचार मंत्री, पुनर्वास मंत्री तथा सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित एक दो अन्य मंत्री सदस्य हैं। अतः सरकारी उपक्रमों के नियंत्रण और अधीक्षण के काम के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल में काफी विशेषज्ञता है।

दूसरे, आप को स्मरण होगा, मैं ने कहा था कि जहां तक समवाय स्वरूप का प्रश्न है, हमारा विचार था कि समवाय विधि (संशोधन) विधेयक में कुछ ऐसी बातें जोड़ दी जायें कि सरकारी उपक्रमों या उन उपक्रमों, जिनमें सरकार के अधिक अंश हों, के लिये कुछ विशेष सुविधायें अथवा उत्तरदायित्व की व्यवस्था हो जाय। मेरे पास एक अध्याय का प्रारूप है उसे मैं प्रवर समिति के सामने उचित समय पर रखूंगा। पर चूंकि यह मामला उपयुक्त है अतः मैं लेखा निरीक्षण के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। प्रारूप यह है:

"सरकारी समवाय के सम्बन्ध में निम्न उपबन्ध लागू होंगे ;

"धारा २०९ से २१८ में आई सभी बातों के होते हुये भी भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अधिकार होगा कि वह समवाय के लेखा परीक्षण के लिये परीक्षक को अपनी इच्छानुसार निदेश दे. . . "

आदि, आदि।

मैं यह कह रहा हूं कि समवाय चाहे किसी भी प्रकार का हो यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण के अधीन है। उसके हो जाने के बाद यदि संसद् उसका अनुमोदन कर दे तो इस विषय की बहुत कुछ अनिश्चित बातें दूर हो गई होंगी।

एक माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि वह वित्त मंत्री से सूचना प्राप्त न कर सके। दुर्भाग्यवश, वित्त मंत्री वह एजेन्सी नहीं जो माननीय सदस्यों द्वारा वांछित सूचना एकत्र करे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : परन्तु आपने वचन दिया था।

श्री सी० डी० देशमुख: हो सकता है मैं ने वचन दिया हो। हो सकता है कि मैं बहुत ही ढीठ हो गया हूं, परन्तु मैं ने जो कहा था वह यह था कि उत्पादन मंत्रालय के इन उद्यमों के बारे में सूचना उत्पादन मंत्री से मिल सकती है। तत्पश्चात् बहुत से चिट्ठे प्रकाशित हुये हैं, और माननीय सदस्य उन्हें एकत्र करके अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः मेरा ख्याल है कि उनका यह आरोप कि वह सरकारी वक्ता से सूचना प्राप्त न कर सके उचित नहीं है। क्योंकि उन्होंने ग़लत ढंग को अपनाया था, इसलिये उसका परिणाम प्रकट हो गया।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं उनके पास गया था और उन्हें सूचना देने को प्रार्थना की थी, और वह सहमत हो गये थे। मैं ने उन्हें एक पत्र भी लिखा था।

श्री सी० डी० देशमुख: हो सकता है कि माननीय सदस्य को कृतज्ञ करने के लिये मैं अत्यधिक इच्छुक रहा हूं। परन्तु मेरा ख्याल है कि मैं ने जो परिश्रम किया वह मेरे लिये बहुत ज्यादा था और उस सूचना को वह भी एकत्र कर सकते थे।

अब मैं केवल एक बात का और उल्लेख करूंगा, अर्थात् कुछ देशों में वाणिज्यिक निगम अधिनियम या सम्राट् निगम अधिनियम है। वे साधारण अधिनियम हैं जिनमें सरकारी निगमों के मुख्य भार की रूपरेखा दी है, यदि हम सरकारी उद्यमों को उस रूप में चलाना चाहते हैं तो मेरे पास यहां कनाडा का एक नमूना है। वहां सस्कटचेवान

नाम का एक राज्य है जो आकृति में तो समाजवादी है, और इसलिये वहां ऐसे इस प्रकार के अनेकों उपक्रमों के होते हुये, सामान्य उपबन्धों के अतिरिक्त—सम्पत्ति तथा अधिकार अर्जन, आदि का वहां उपबन्ध है—एक यह उपबन्ध है :—

> "इस अधिनियम के द्वारा या उसके उपबन्धों के अनुसार किसी निगम पर रखे गये अथवा गढ़े गये कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रयोग के लिये, निगम कार्यपालिका परिषद् के उस सदस्य के प्रति उत्तरदायी होगा जिसे परिषद् का उप-पदाधिकारी नियुक्त करे।"

मेरा अभिप्राय यह है कि आप चाहे किसी प्रकार का निगम बनायें, वह निगम अवश्य ही अन्त में कार्यपालिका के किसी पदाधिकारी के साधारण निदेशों के अधीन कार्य करे, इस गुत्थी को सुलझाने का और कोई उपाय नहीं है।

अब केवल उस संसदीय समिति का मामला शेष है जिसे संसद् की ओर से इन मामलों की जांच करनी चाहिये। यह एक सर्वथा भिन्न विषय है जिस पर माननीय सदस्य ने यहां चर्चा नहीं की है।

मैं बता चुका हूं कि इस पर विचार करने से पहले हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिये, और यदि हमें यह प्रतीत हो कि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति इन मामलों पर विचार नहीं कर सकती, तो हम मामले के इस अंग पर यथासमय पूर्णरूप से विचार कर सकते हैं।

श्री के० सी० रेड्डी : इस चर्चा से उत्पन्न होने वाले मुख्य विषयों के बारे में, मेरे माननीय साथी, वित्त मंत्री ने उन बातों का पर्याप्त उत्तर दिया है। मुझे अब उन कुछ साधारण बातों का उल्लेख करना है जिन पर इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने टीका टिप्पणी की या मत प्रकट किये हैं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस देश के उद्योगीकरण में राज्य को अधिकतर भाग लेना है। हाल ही में अनेकों सरकारी उपक्रम खोले गये हैं, और वे कार्य कर रहे हैं। मेरा मत है कि वे लगभग सन्तोषजनक रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसी धारणा प्रतीत होती है कि सरकारी उपक्रम इस प्रकार के होते हैं कि उनकी व्यवस्था तथा देखभाल पर्याप्त कुशल ढंग से नहीं की जा सकती। किन्तु मेरी ऐसी धारणा नहीं है। सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के काम करने के अपने अनुभव से तथा अन्य उन व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर, जो इन सरकारी उद्योगों में से कुछके भार-साधक हैं, मैं यह कह सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण हम आजकल सरकारी उपक्रमों के कार्य करने के ढंग के बारे में निराशा अनुभव करें।

दूसरी बात यह है। प्रतीत होता है कि बोलने वाले अनेकों सदस्यों तथा अन्य लोगों का यह विचार है कि इन सरकारी उपक्रमों की देखभाल तथा प्रबन्ध के लिये उचित व्यवस्था नहीं है, और देखभाल तथा प्रबन्ध को कड़ा बनाने के लिये, तथा जनता के धनकी सुरक्षा के लिये, जो इन सरकारी उपक्रमों के बनाने में लगा है, कुछ किया जाना चाहिये।

पहिले बताया जा चुका है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के तीन या चार विभिन्न रूप हैं। कुछ विभागीय उपक्रम हैं, जैसे रेलवे, डाक तथा तार विभाग, चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना, रेल डिब्बा निर्माण कारखाना, आदि। सरकार इन उपक्रमों का प्रबन्ध विभाग द्वारा करती है, और उन उपक्रमों के कार्य पर संसद् को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

फिर, निगम आते हैं, जो संविधियों द्वारा बनाये गये हैं। स्वयं संसद् ने ही विशिष्ट

[श्री के० सी० रेड्डी]

अधिनियमों, में जिनसे यह निगम बने हैं, उपबन्ध किया है कि ऐसे उपक्रमों के कार्य पर संसद् का कितना नियंत्रण हो और उन निगमों का प्रशासन कैसे हो। उन संविधियों के बारे में संसद् की देख भाल तथा नियंत्रण निर्धारित है।

तत्पश्चात्, स्थापित हुये ये नये उपक्रम हैं जिनका प्रबन्ध कार्य स्थापित समवायों ने समवाय विधि के अधीन अपने हाथ में लिया है। यही वे समवाय हैं जिन के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों को कुछ भ्रम हो गया है। यह पहिले ही बताया जा चुका है कि इस प्रकार के प्रबन्ध का निश्चय इस दृष्टि से किया गया है कि इन उपक्रमों के कार्य में थोड़ा लचीलापन आ जाय और अनुचित प्रतिबन्ध या अनावश्यक देखभाल तथा नियंत्रण के कारण प्रबन्धक की पहल निर्विघ्न रूप से सुरक्षित रहे। इन उपक्रमों को वाणिज्यिक आधार पर और व्यापार जैसे रूप में चलाने के लिये सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार किया है तथा निश्चय किया है। अभी हमें यह देखना है कि यह प्रणाली कैसे चलती है। इस बीच हमें पहले की तरह काम करना तथा फिर से यह खोजने का प्रयत्न करना है कि क्या कोई और ढंग अधिक सन्तोषजनक हो सकता है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि हम अभी कोई नया निश्चय नहीं कर सकते। हमें अपनी ओर से सोचना और हमें यह खोजना है कि ये औद्योगिक उपक्रम कैसे चल रहे हैं। हमें अन्य देशों के अनुभव का भी पता लगाना है, और फिर हमें यह निश्चय करना है कि क्या हमें वर्त्तमान प्रणाली को, जो हम आजकल मान रहे हैं, छोड़ना चाहिये या नहीं।

इंगलैंड में प्रचलित प्रणाली का उल्लेख किया गया था। मेरा ख्याल है कि संकल्प के प्रस्तावक माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां संसद् की एक विशिष्ट समिति या उस प्रकार की एक संसदीय समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया है जैसी समिति का वह यहां समर्थन कर रहे हैं। उसके सम्बन्ध में, मैं यह बता सकता हूं कि अभी तक इंगलैंड की सरकार ने वैसा कोई निश्चय नहीं किया है जैसा उन्होंने यहां उल्लेख किया है। यह सच है कि तीन या चार वर्ष पूर्व इस महत्वपूर्ण तथा, यदि मैं ऐसा कह सकूं तो, जटिल प्रश्न की जांच करने के लिये संसद् ने एक विशिष्ट समिति बनाई थी। संसद् की उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन सरकारी उपक्रमों के कार्य के कुछ अंगों की जांच के लिये संसद् की एक विशिष्ट समिति बनाई जानी चाहिये। समस्त सरकारी उपक्रमों की देखभाल तथा नियंत्रण के लिये यह सुझाव नहीं दिया गया था। यह विशेष रूप से कहा गया था कि इस प्रकार का कोई नियंत्रण ऐसी समिति को, जो विचाराधीन है, नहीं दिया जा सकता। यह केवल इन उपक्रमों के कार्य का साधारण पुनरीक्षण करने, वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन समवायों के सम्बन्ध में अन्य विवरण प्राप्त करने, और उन पर साधारण रूप से विचार करने, और नीति आदि के प्रश्न पर मुख्य रूप से उनका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से था। प्रस्तावित प्रवर समिति को देखभाल तथा नियंत्रण का कोई अधिकार देने की इच्छा न थी। यहां तक कि संसद् की कार्यवाही से उत्पन्न हुये उस सीमित प्रस्ताव को भी अभी तक इंगलैंड की सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, और इंगलैंड की अभी वही स्थिति है। अन्य देशों में भी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल तथा नियंत्रण के लिये इस प्रकार की कोई समिति नहीं है, जिसका कि अब प्रस्ताव रखा गया है। अतः

जब कि हम अपने देश का उद्योगीकरण आरम्भ कर रहे हैं, और जब कि सरकार ने इन उपक्रमों के स्थापन में अधिकोत्तर अधिक भाग लेने का निश्चय किया है, इस बात का सुझाव दिया जा रहा है ।

जहां तक देखभाल तथा नियंत्रण के विद्यमान ढंग का सम्बन्ध है, इधर बनाये गये इन समवायों के बारे में माननीय सदस्य श्री ए० एम० थामस ने इस मामले के कुछ अंगों का उल्लेख किया है । सम्बद्ध मंत्रालय बोर्ड बनाते हैं । यह बात नहीं है कि सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिक उपक्रम एक मंत्रालय के नियंत्रण में हैं । उन पर अनेकों मंत्रालयों का नियंत्रण है । परन्तु वह एक भिन्न प्रश्न है । सम्बद्ध मंत्रालय बोर्ड बनाते हैं, और वे इन उपक्रमों के भार साधक हैं । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इन बोर्डों के काम की देखभाल और नियंत्रण का सरकार को साधारण अधिकार है । अतः बात यह नहीं है कि इन बोर्डों के काम की कोई देखभाल या नियंत्रण नहीं है । अन्ततोगत्वा, संसद् के प्रति सरकार उत्तरदायी है । अतः हमारी यही व्यवस्था है ।

बनाये गये अनेकों समवायों के संथा के निबन्धनों में इन समवायों के कार्य के सम्बन्ध में कुछ परीक्षण तथा सन्तुलन का उपबन्ध है । यह बताया जा चुका है कि एक सरकारी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिये अपेक्षित पूंजी के लिये संसद् की अनुमति प्राप्त करनी है, और उस से अधिक पूंजी के लिये भी संसद् की अनुमति प्राप्त करनी है। पिछले दिनों में हम विभिन्न समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन, लाभ व हानि खाते और चिट्ठे सभापटल पर या पुस्तकालय में रखते रहे हैं। यदि संसद् चाहे तो उसे इन उपक्रमों के कार्य पर विचार-विमर्श करने के लिये पर्याप्त अवसर है । वे ऐसी चर्चा कर सकते हैं, वे आधे घन्टे की चर्चा कर सकते हैं, और जैसा कि सभा को विदित है, इन समवाय के स्वरूप के सरकारी उपक्रमों के कार्यसंचालन के अनेक पहलुओं पर भिन्न प्रश्न पूछे जा रहे हैं ।

सैन्य सामान (युद्धास्त्र, आदि) बनाने के कारखानों अथवा अन्य सरकारी उपक्रमों जिनका प्रबन्ध विभाग करता है, की अपेक्षा इस प्रकार के उपक्रमों के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न किये गये हैं । इसलिये ऐसी बात नहीं है कि इन राज्यीय उपक्रमों के सम्बन्ध म संसद् ने विचार न किया हो । जब इन संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा संतुलन पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं तो इनके कार्य-संचालन के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये भी संसद् में कहा जा सकता है । इस प्रकार इनके कार्य संचालन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के बारे में संसद् को काफी अवसर मिलते हैं । इसलिये इस प्रकार के किसी विशेष संगठन की, जैसा कि उसके बनाने के सम्बन्ध में अब प्रस्ताव किया गया है अथवा जैसा कि संकल्प में कहा गया है कि इसकी स्थापना तुरन्त ही की जाय, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो इस संकल्प के अन्तर्गत न केवल राज्यीय उपक्रम आते हैं अपितु गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योग भी आ जाते हैं । इस संकल्प की भाषा को देखते हुये यही एक कमी है । किन्तु यहां जो भाषण हुये हैं उनको देखते हुये एवं विशेषतः प्रस्तावक के भाषण से यह स्पष्ट होता है कि उनका अभिप्राय विशेषतः उन नये उपक्रमों से है जिनकी स्थापना अभी हुई है और जिनके लिये कम्पनी बनाई गई है । हो सकता है कि ऐसा सोचने में मेरी कोई भूल हो, किन्तु अपना विचार ऐसा है । कई अन्य सदस्यों का विचार यह है कि इस संविहित निकाय की देखभाल एवं नियंत्रण में सभी उद्योग आने चाहियें । उदाहरणतः, श्री एम० एस० गुरु-

पादस्वामी ने कहा था कि रक्षा-उद्योगों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है जब कि अन्य सदस्यों ने कहा था कि चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार मैं देखता हूं कि माननीय सदस्यों के विभिन्न मत हैं। वे कहते कुछ हैं उनका उद्देश्य कुछ और है तथा उनके संकल्प की भाषा कुछ और है, और माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है वह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। इसलिये संकल्प तथा उससे सम्बन्धि संशोधनों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

संशोधनों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्री बी० के० दास का कहना है कि देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये सरकार अथवा मंत्रालय को परामर्श देने के लिये एक मंत्रणा समिति हो। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बताया था कि पहले एक संसदीय प्रवर समिति थी जो अब समाप्त हो गई है। इसके समाप्त होने का क्या कारण था? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब प्रवर समिति कार्य कर रही थी तो उस समय प्रजातन्त्रीय सरकार नहीं थी। अब एक उत्तरदायी सरकार है जो संसद् के समक्ष उत्तरदायी है। एक यही कारण था जिसके आधार पर उस प्रवर समिति को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने हाल ही में अनौपचारिक मंत्रणा समितियां बनाने का निर्णय किया है। इन समितियों ने कुछ सप्ताहों से ही काम करना प्रारम्भ किया है और हो सकता है कि ये समितियां उसी प्रकार काम करने लगें जैसा कि माननीय सदस्य का विचार संसदीय स्थायी समितियों के कार्य से है। इसलिये इस तथ्य को दृष्टि में रख कर भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई ऐसी मंत्रणा समिति अलग से बनाई जाय जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है।

एक दूसरे संशोधन में यह कहा गया है कि इस प्रश्न का अध्ययन एवं उसकी जांच करने और फिर संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक समिति बनाई जाय। मेरे विचार से इस प्रकार की समिति बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभा में एक दो बार इसकी चर्चा भी हो जाती है और इसके अतिरिक्त सदस्यों के मत जानने के अन्य साधन भी हैं। इसलिये इस प्रकार की समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिये संकल्प अथवा इससे सम्बन्धित संशोधनों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

श्री बी० के० दास : मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री एस० एन० दास : मैं भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं :

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिए गये।

सभापति महोदय द्वारा संविहित निकाय की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कल्याण विभाग के बारे में संकल्प

श्री ब्रह्म चौधरी (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिये एक उपयुक्त उपाय करने के लिये एक कल्याण विभाग तुरन्त बनाया जाये

जो एक अलग मंत्रालय के अधीन काम करे।"

देश में ५ करोड़ १० लाख हरिजन, अर्थात् अनुसूचित जातियां, १ करोड़ ९० लाख अनुसूचित आदिम जातियां तथा २ करोड़ पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। संविधान के अनुसार हमने शपथ लिया है कि हम उनकी उन्नति के प्रयत्न करेंगे और संविधान के अनुच्छेद ४६ में यह बात स्पष्ट भी कर दी गई है। संविधान के लागू होने के बाद आगामी १० वर्षों तक संसद् तथा राज्यीय विधान-मंडलों में भी उनके लिये विशेष रूप से स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार हमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। आदिम जाति के लोग साधारणतः पहाड़ी इलाक़ों में रहते हैं। वहां आवागमन के साधन ठीक नहीं हैं। कुछ सड़कें बनी भी हैं किन्तु वे अच्छी दशा में नहीं हैं। वहां की उत्पादित वस्तुओं के लिये कोई बाज़ार नहीं है जहां कि उन्हें अच्छे दामों पर बेचा जा सके, वहां के निवासियों को अपने अन्य पड़ोसी लोगों से मिलने का, जो कि काफी सभ्य एवं प्रगतिपूर्ण हैं, अवसर नहीं मिलता। इसलिये आदिम जाति वाले क्षेत्रों में, अनुसूचित आदिम जाति वाले क्षेत्रों में, सड़क इत्यादि बनाने के लिये काफी धन दिया जाना चाहिये। वे बहुत निर्धन हैं और सरकार द्वारा उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। चूंकि ये लोग घनी बस्तियों में रहते हैं जहां स्कूल नहीं होते एवं धन के अभाव के कारण से अपने बच्चों को ज़िले के बड़े स्थानों में भी नहीं भेज सकते अतः इन क्षेत्रों में बहुत से स्कूल खोलने चाहियें, और इनकी शिक्षा के लिये काफी धन भी नियत करना चाहिये।

ये लोग अधिकांशतः खेती पर निर्भर हैं इनका खेती करने का ढंग भी प्राचीन है और अच्छा भी नहीं। खेती के ढंग सिखाने के लिये इनके यहां कोई प्रबन्ध नहीं है। आदिम जाति के कुछ व्यक्ति भूमि हीन हैं। जो किसान भी हैं उनके पास भूमि एवं पशु नहीं हैं। काफी भूमि परती पड़ी है किन्तु इसे कृषि योग्य नहीं बनाया गया है। इस भूमि को ट्रैक्टरों की सहायता से कृषि योग्य बना कर भूमि हीन व्यक्तियों में बांट देना चाहिये। उन्हें भूमि ऋण, पशु ऋण, तथा औज़ार ऋण आदि देने चाहियें ताकि वे कृषि को अपना पेशा बना कर अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारें। किन्तु हम देखते हैं कि उनकी कोई सहायता नहीं की गई है।

उन क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सम्बन्धी अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं है और न वहां कृषि केन्द्र ही खोले गये हैं। इन लोगों के पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। उनके बीमार पड़ने पर भी उनके लिये चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि यहां के निवासियों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। यदि वहां ऐसी ही दशा रही तो एक ऐसा दिन आयगा जब वहां एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई देगा।

उन क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। ये लोग सूत कातना-बुनना, एवं बांस तथा बेंत से चीज बनाना जानते हैं। सरकार को चाहिये कि वे इन उद्योगों को ऋण एवं अन्य साधनों द्वारा सहायता दे तथा उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करे।

सामुदायिक परियोजनायें एवं विकास वाली अन्य योजनायें प्रगतिशील क्षेत्रों के लिये ही बनाई गई हैं, न कि इन पिछड़े वर्गों के लिये। इन वर्गों का कुछ ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये। सूदखोरों तथा इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों के शोषण के फलस्व-

[श्री ब्रह्म चौधरी]

रूप ही ये लोग निर्धन एवं भूमि हीन बन गये हैं। इन लोगों से इनकी रक्षा करने के लिये सरकार ने कोई नियम अथवा विधान नहीं बनाया है।

बहुत से राज्यों में आदिम जाति कल्याण विभाग खोले गये हैं। किन्तु केन्द्र में ऐसा कोई विभाग नहीं है। हालांकि आदिम जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग, के आयुक्त के अधीन एक विभाग खोला गया है किन्तु यह उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। और न यह इन समस्याओं को हल ही कर सकता है।

आदिम जाति के मामलों की देखभाल यहां केन्द्र में दो विभागों—गृहकार्य मंत्रालय तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय—द्वारा की जाती है। आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण पूर्णतया राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। हालांकि केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन अनुदान देती है किन्तु यह नहीं देखती कि क्या राज्य सरकारें इन अनुदानों का व्यय ठीक ढंग से करती हैं अथवा नहीं। योजना आयोग ने जिस अतुल धन की स्वीकृति दी थी उसका उपयोग भी, उचित देखभाल के अभाव के कारण, ठीक ढंग से नहीं हो सका। इन सब बातों को देखते हुये मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस प्रयोजन के लिये एक अलग मंत्रालय हो, और कृषि, शिक्षा संचार स्वास्थ्य आदि सभी विभाग इसके अधीन हों ताकि यह इन समस्याओं को हल कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री कजरोलकर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : श्री ब्रह्म चौधरी जो प्रस्ताव लाये हैं उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। अपने प्रस्ताव में उन्होंने सरकार से मांग की है कि हरिजनों, इतरजनों और गिरजनों की देखभाल करने के लिये एक अलाहिदा मिनिस्ट्री होनी चाहिये। यह मांग हमारे हरिजनों और गिरजनों की कितने ही सालों से है लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि हमारी इस मांग पर जो कि पूर्णतया न्यायोचित है सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हो सकता है कि यह मिनिस्ट्री बनाने का प्रश्न सरकार के सामने उतने महत्व का न हो लेकिन हम हरिजनों और गिरजनों के लिये यह बड़े महत्व का प्रश्न है। हमारी सरकार ने हमें जो विशेष सेफगार्डस दिये हैं वह खाली दस वर्ष के लिये दिये हैं और दस साल में से तीन साल तो चले गये और अब केवल सात साल और बाकी रह गये हैं। मुझे मालूम नहीं है कि इन सात सालों में हमारी स्थिति में कितना सुधार हो जायगा लेकिन अभी जिस ढंग से काम चल रहा है, मैं नहीं समझ सकता हूं कि यह जो हमारी कठिनाइयां और दुर्दशा है यह सात वर्षों के अन्दर खत्म हो जायगी और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे काम की देखभाल के लिये एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। हमारी इस मांग का यह मतलब नहीं है कि अभी होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर काम कर रहे हैं उनके ऊपर या अपने होम मिनिस्टर या डिप्टी होम मिनिस्टर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। वह हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं और हमारी सहायता करना चाहते हैं लेकिन यह काम इतना बड़ा है और उनको इतने काम होते हैं कि उनको हमारी कठिनाइयों पर विशेष रूप से ध्यान देने का समय नहीं

मिलता । जिस तरह रेफ्यूजीज़ प्राबल्म को डील करने के लिये आपने उसके लिये एक अलग मिनिस्ट्री बनायी ताकि उनकी जो कठिनाइयां और समस्यायें हैं उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके और उनको शीघ्र से शीघ्र हल किया जा सके, उसी तरह हम हरिजनों के वास्ते भी एक अलग मिनिस्ट्री का निर्माण होना चाहिये जो हमारी समस्याओं और कठिनाइयों को सुलझा सके । मैं नहीं समझता कि जब बहुत सी स्टेट्स में हरिजनों और गिरजनों के लिये अलग मिनिस्ट्री मौजूद है तब सेंटर में ऐसी मिनिस्ट्री क्यों न हो । इसके अलावा आज हमारे शेड्यूल कास्ट कमिश्नर को काफी पावर्स नहीं हैं । वह अपनी रिपोर्ट में हरिजनों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में लिखते भी हैं और सरकार से सिफारिश भी करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उन सिफारिशों पर अमल नहीं होता है और इस स्थिति से वह खुद परेशान हैं और अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखते हैं कि में बारबार उनके लिये कहता हूं लेकिन मेरे कहे पर पूरी तरह अमल नहीं होता है । अगर शेड्यूल कास्ट कमिश्नर के साथ साथ एक स्टैचूटेरी बाडी होती तो भी हमारा कुछ काम हल हो सकता था लेकिन अभी तक एक स्टैचूटेरी बाडी भी शेड्यूल्ड-कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिये नहीं बनाई गयी है । मेरी प्रार्थना है कि यह जो प्रस्ताव हमारे चौधरी साहब ने रक्खा है और सरकार से जो मांग की है उसको स्वीकार किया जाय ।

देहातों में आज के दिन भी हरिजनों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । देहातों में अभी भी हरिजनों को पानी नहीं मिलता है । जानवरों को पानी मिलता है लेकिन हरिजनों को पानी नहीं मिलता । सरकार का रुख हमारे साथ सहानुभूतिपूर्ण है और वह हमारी मदद करना चाहती है लेकिन उसकी जो सदइच्छा है उस पर अमल नहीं होता है और हरिजनों की जो दशा हो रही है उसको देख कर मुझे लोमड़ी और सारस वाली कहानी याद आ जाती है । सरकार का फ़र्ज़ है कि वह इसको देखे कि जो वह करना चाहती है—और उसने हमारे हित और उद्धार के लिये क़ायदे क़ानून बनाये हैं—उन पर अमल हो । अभी अनटचेबिल्टी आफेंस बिल सेलेक्ट कमेटी से हो कर आने वाला है, उसके अन्दर हम लोगों ने हरिजनों की दशा सुधारने के लिये बहुत से उपयोगी सुझाव दिये हैं । मुझे आशा है कि यह जो प्रस्ताव हमारे भाई श्री ब्रह्म चौधरी लाये हैं, सरकार उसको स्वीकार करेगी । इन शब्दों के साथ मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : इस विषय पर कई बार मैं ने अपने विचार प्रकट किये हैं । आदिमजाति वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की बड़ी कमी है और उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है वहां कोई कुंआं नहीं है । उड़ीसा के एक पदाधिकारी ने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में ६०० कुएं खोदे गये हैं किन्तु उड़ीसा में कितनी आदिम बस्तियां हैं ? आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस क्षेत्र के एक आदिम जाति के सदस्य ने कम-से-कम यह बात अपने मुख से वे बातें कहीं तो सही जिनके बारे में में पिछले दो वर्षों से बराबर कहता आ रहा हूं ।

सभापति महोदय : अब पांच बज गये हैं । माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, १८ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—575 LSD—16 6 55—000.